

PERFECT 7

FORTNIGHTLY CURRENT AFFAIRS

जुलाई 2022 / Issue-2

यूपीएससी और राज्य आधारित पीसीएस परीक्षाओं के लिए उपयोगी



मुख्य परीक्षा विशेष

भूगोल, भारतीय समाज और सामाजिक

- भारत में गिग अर्थव्यवस्था का भविष्य
- ब्रिक्स का बढ़ता प्रभाव
- बिम्सटेक यात्रा तथा भविष्य
- सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा सभी की जिम्मेदारी
- भारत में बढ़ती कट्टरता - लोकतंत्र के लिए खतरा
- भारत में कुपोषण की स्थिति
- कृषि तालाबों के माध्यम से ग्रामीण विकास



ध्येय IAS
most trusted since 2003



PMI

(PRE+MAINS+INTERVIEW)
PROGRAMME 2022

AUGUST 2022
SCHEDULE



14th
August

PRELIMS

Timing : 12:00Noon-2:00pm

21st
August

MAINS

Timing :
GS Test : 9:00am-12:00Noon
Essay Test : 1:00pm-4:00pm

28th
August

INTERVIEW

Personality Test by a Panel of Retd. & Working Bureaucrats and Professors

SYLLABUS

PRELIMS & MAINS

(TOPIC : Economy, Budget & Economic Survey,
Current of April 2022)

Source :

NCERT-6th to 10th & Current Affairs
(Dhyeya Class Notes + Magazine Perfect-7 +
Open Sources + Government Document)

SYLLABUS

ESSAY

(TOPIC : Issues relating to poverty and hunger,
Health, Education, Human Resource,
Aptitude and foundational values for Civil Services,
Empathy, tolerance and compassion
towards the weaker sections)

Source : Open Source, Dhyeya Booklet

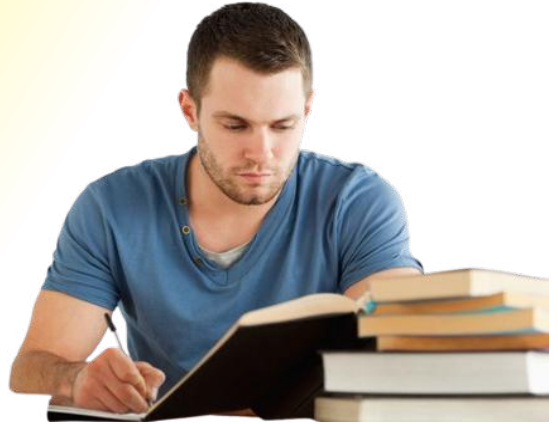


0522-4025825
9506256789

www.dhyeyaias.com

ALL INDIA UPSC MAIN TEST SERIES 2022-23

STARTS FROM
24 JULY 2022



COMPREHENSIVE UP-PCS MAIN TEST SERIES 2022-23

STARTS FROM
24 JULY 2022

OPTIONAL SUBJECT TEST SERIES 2022

- ★ GEOGRAPHY
- ★ PSIR
- ★ PUBLIC ADMINISTRATION

**OFFLINE
&
ONLINE**



Visit Website

FACE TO FACE CENTRES

Delhi (Mukherjee Nagar) Ph: 9289580074 / 75 | Delhi (Laxmi Nagar) Ph: 9205212500 / 9205962002 | Greater Noida Ph: 9205336037 / 38 | Prayagraj Ph: 0532-2260189/8853467068 | Lucknow (Aliganj) Ph: 0522-4025825/9506256789 | Lucknow (Gomti Nagar) Ph: 7234000501/7234000502 | Lucknow (Alambagh) Ph: 7518373333/7518573333 | Kanpur Ph: 7887003962/7897003962 | Gorakhpur Ph: 0551-2200385/7080847474

Director's Message



Mr. Vinay Kumar Singh

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं। सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

Yours very truly,

Vinay Kumar Singh
CEO and Founder



Mr. Q H Khan

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहां छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Yours very truly,

Q H Khan
Managing Director



समसामयिक मुद्दे अथवा करेंट अफेयर्स संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर प्रासंगिक सूचनाओं से जुड़ाव होना अभ्यर्थियों के लिए काफी जरूरी समझा गया है और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए परफेक्ट 7 मैगजीन को विद्यार्थी जगत के समक्ष माह में दो बार रखा जा रहा है। आईएस और पीसीएस की तैयारी तभी पूर्ण मानी जाती है जब प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू स्तर की गतिशील प्रकृति के तथ्यों और विश्लेषणों को आप सभी तक समावेशी रूप में रखा जाय। परफेक्ट 7 मैगजीन इसी विजन और दृष्टिकोण को ध्यान में रखती है और विद्यार्थियों की कंटेंट के स्तर पर बहुआयामी जरूरतों को समझती है। इसीलिए इस मैगजीन को करेंट अफेयर्स के साथ साथ सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण खंडों से जुड़े अति प्रासंगिक कंटेंट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। एक तरफ जहां करेंट अफेयर्स के स्तर पर सबसे पहले मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 7 ज्वलंत विषयों पर समसामयिक लेखों को, पेपर 4 के लिए एथिक्स की केस स्टडीज को, स्वतंत्रता आंदोलन और अन्य क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तित्वों के जीवन और भूमिक। आं, सामान्य अध्ययन के विविध खंडों के सर्वाधिक उपयोगी विषयों पर मुख्य परीक्षा के स्तर पर कवरेज दिया जा रहा है, वहीं प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर एक माह के 14 सबसे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के मुद्दों को कवर किया जा रहा है जिसमें सर्वाधिक जोर पर्यावरण पारिस्थितिकी, कला और संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर है। शब्दावली और अन्य आयामों एक छोटा खंड भी परफेक्ट 7 मैगजीन का पार्ट होगा।

विद्यार्थियों की संकल्पना के स्तर पर समझ को बढ़ाने के लिए ब्रेन बूस्टर्स को 7 ग्राफिक्स के जरिये विषय को संक्षेप और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अलावा सिविल सर्विसेज की परीक्षा में प्रमुखता से पूछे जाने वाले ग्लोबल इनिशिएटिव्स, वैश्विक संस्थाओं, संगठनों की संरचना, कार्यप्रणाली, महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स, सूचकांकों पर अपडेटेड जानकारी इस पत्रिका में शामिल रहेगी। इस मैगजीन को केवल तथ्यों या केवल एनालिसिस पर जोर देते हुए नहीं बनाया गया है बल्कि इस मैगजीन का विजन यह है कि सिविल सेवा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के उभरते हुए ट्रेंड्स और प्रश्नों की नई प्रकृति को देखते हुए हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को एक ऐसी समावेशी मैगजीन उपलब्ध कराई जाए जिससे वे सिविल सेवा एग्जाम की नई जरूरतों को समझते हुए अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें। हमें उम्मीद है कि परफेक्ट 7 अपने नए रूप में आप लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा और इसके साथ ही आप सभी के सुझावों का स्वागत रहेगा।

विनय कुमार सिंह
सम्पादक
ध्येय IAS

विषय सूची

संपादक	: विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	: क्यू. एच. खान
सहसंपादक	: आशुतोष मिश्र
	: सौरभ चक्रवर्ती
उप-संपादक	: अमन कुमार
प्रकाशन प्रबंधन	: डॉ.एस.एम. खालिद
संपादकीय सहयोग	: प्रशान्त सिंह
	: हरि ओम पाण्डेय
	: शिव वरदान
	: भानू
	: गौरव चौधरी
	: देवेन्द्र सिंह
	: लोकेश शुक्ला, प्रिंस
मुख्य लेखक	: विवेक ओझा
मुख्य समीक्षक	: ए.के. श्रीवास्तव
	: विनीत अनुराग
	: बाघेन्द्र सिंह
आवरण सज्जा	: रविन्द्र पटेल
एवं विकास	: पुनीष जैन
टंकण	: सचिन, तरून
कार्यालय सहायक	: राजू, चन्दन, अरूण

साभार : PIB, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस,
जनसत्ता, दैनिक जागरण, डाउन टू अर्थ,
इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीक्ली, योजना,
कुरुक्षेत्र, द प्रिंट

समसामयिकी लेख

1-14

- भारत में गिग अर्थव्यवस्था का भविष्य
- ब्रिक्स का बढ़ता प्रभाव
- बिम्सटेक : यात्रा तथा भविष्य
- सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा सभी की जिम्मेदारी
- भारत में बढ़ती कट्टरता लोकतन्त्र के लिए खतरा
- भारत में कुपोषण की स्थिति
- कृषि तालाबों के माध्यम से ग्रामीण विकास

संक्षिप्त मुद्दे राष्ट्रीय	15-19
संक्षिप्त मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय	19-21
संक्षिप्त मुद्दे पर्यावरण	21-23
संक्षिप्त मुद्दे विज्ञान एवं तकनीक	23-26
संक्षिप्त मुद्दे आर्थिक	26-27
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की महत्वपूर्ण खबरें	28-31
समसामयिक घटनाएं एक नजर में	32
ब्रेन-बूस्टर	33-39
मुख्य परीक्षा विशेष	40-46
समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न	47-48
व्यक्ति विशेष	49

DHYEYA EDUCATIONAL SERVICES PVT. LTD.
AN ISO 9001:2008 COMPANY

Face to Face Centres

MUKHERJEE NAGAR	: 9205274741, 9205274742
RAJENDRA NAGAR	: 9205274743
LAXMI NAGAR	: 9205212500, 9205962002
ALLAHABAD	: 0532-2260189, 8853467068
LUCKNOW (ALIGANJ)	: 0522-4025825, 9506256789
LUCKNOW (GOMTINAGAR)	: 7234000501, 7234000502
GREATER NOIDA	: 9205336037, 9205336038
KANPUR	: 7887003962, 7897003962
BHUBANESWAR	: 8599071555
SRINAGAR (J&K)	: 9205962002

OUR OTHER INITIATIVES



Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper



DHYEYA TV
Current affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
Ex. Editor RSTV) & by Dhyeya Team
Broadcasted on YouTube & Dhyeya TV

सात महत्वपूर्ण मुद्दे





भारत में गिग अर्थव्यवस्था का भविष्य

समाचार में क्यों?

नीति आयोग की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत में गिग अर्थव्यवस्था का आकार लगातार बढ़ रहा है, और भविष्य में इसका लगातार विस्तार होगा। 'इंडियाज बू मिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी' रिपोर्ट में भारत की गिग इकोनॉमी के आकार का अनुमान लगाने वाले आंकड़े शामिल हैं; इस क्षेत्र में सुधार कैसे किया जा सकता है, गिग श्रमिकों के वित्तीय समावेशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इत्यादि विषयों पर सिफारिस दी गयी हैं।

गिग अर्थव्यवस्था- पृष्ठभूमि:

गिग श्रमिक वे हैं जो पारंपरिक नियोजित-कर्मचारी व्यवस्था के बाहर आजीविका में लगे हुए हैं। उन्हें मोटे तौर पर प्लेटफॉर्म और गैर-प्लेटफॉर्म-आधारित श्रमिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्लेटफॉर्म श्रमिक आ. नलाइन सॉफ्टवेयर ऐप या डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे स्विगी, ओला, आदि के प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं। जबकि गैर-प्लेटफॉर्म गिग श्रमिक आम तौर पर पारंपरिक क्षेत्रों में आक. स्मिक वेतन कर्मी होते हैं, जो अंशकालिक या पूर्णकालिक काम करते हैं।

तेजी से बढ़ता गिग कार्यबल विश्व स्तर पर एक नई आर्थिक क्रांति की शुरुआत कर रहा है। भारत - आधा अरब श्रम बल और दुनिया की सबसे युवा आबादी के अपने जनसांख्यिकीय लाभांश, तेजी से शहरीकरण, स्मार्टफोन की व्यापकता, और संबंधित तकनीक के साथ - इस क्रांति की नई सीमा है। गिग अर्थव्यवस्था ने कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों लोगों को रोजगार देकर और समुदायों को जोड़े रखकर अपनी लचीलापन और क्षमता साबित की है। गिग अर्थव्यवस्था - हमारे काम करने और

जीने के तरीके को बदलकर - न केवल हमारे व्यवसाय को प्रभावित करती है बल्कि हमारे सकल घरेलू उत्पाद को भी प्रभावित करती है।

भारत में गिग अर्थव्यवस्था का वर्तमान और भविष्य:

- नीति आयोग की रिपोर्ट इंडियाज बू मिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी का अनुमान है कि 2020-21 में 77 लाख कर्मचारी गिग इकोनॉमी में लगे हुए थे। वे भारत में गैर-कृषि कार्यबल का 2.6% या कुल कार्यबल का 1.5% थे। गिग कार्यबल के 2029-30 तक 2.35 करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है। 2029-30 तक गिग श्रमिकों के गैर-कृषि कार्यबल का 6.7% या भारत में कुल कार्यबल का 4.1% होने की उम्मीद है।
- गिग वर्क की मांग बढ़ रही है। गिग श्रमिकों के लिए सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष रोजगार लोच 2011-12 से 2019-20 तक एक से ऊपर था और हमेशा समग्र रोजगार लोच से ऊपर था। गिग श्रमिकों के लिए उच्च रोजगार लोच आर्थिक विकास की प्रकृति को इंगित करता है, जिसने गैर-गिग श्रमिकों के लिए मांग पैदा नहीं करते हुए गिग श्रमिकों की अधिक मांग पैदा की। यह गैर-गिग कार्य के गिग कार्य में अधिक रूपांतरण की ओर भी इशारा करता है।
- सभी क्षेत्रों में गिग वर्क का विस्तार हो रहा है। औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार, लगभग 26.6 लाख गिग श्रमिक खुदरा व्यापार और बिक्री में शामिल थे, और लगभग 13 लाख पं. रवहन क्षेत्र में थे। लगभग 6.2 लाख

विनिर्माण में और अन्य 6.3 लाख वित्त और बीमा गतिविधियों में थे।

- गिग वर्क कौशल ध्रुवीकरण को बढ़ा सकता है। गिग का लगभग 47% काम मध्यम-कुशल नौकरियों में, लगभग 22% उच्च-कुशल नौकरियों में और लगभग 31% कम-कुशल नौकरियों में होता है। प्रवृत्ति से पता चलता है कि मध्यम कौशल में श्रमिकों की एकाग्रता धीरे-धीरे घट रही है और कम कुशल और उच्च कुशल की वृद्धि हो रही है।

गिग अर्थव्यवस्था से संबंधित अवसर:

- गिग क्षेत्र में कम प्रवेश बाधाएं हैं और इसलिए भारत में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं।
- भारत में अलग-अलग आकार के लग. भग 300 शहरों में विभिन्न गिग वर्कर्स द्वारा राइड-हेलिंग, होम-बेस्ड सर्विसेज, फूड / ग्रासरी / मेडिसिन डिलीवरी, लॉ. जिस्टिक्स पूर्ति और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में सर्विस दी जाती है, जो शहरी सेवाओं के व्यापक दायरे को कवर करते हैं।
- इस क्षेत्र में तकनीकी हस्तक्षेप ने मांग में तेजी लाने में योगदान दिया है और इसलिए कमाई के अवसर भी जुड़े हैं।
- एक उभरती हुई सकारात्मक प्रवृत्ति यह है कि महिलाओं द्वारा शिक्षा और शादी के बाद प्लेटफॉर्म-आधारित गिग जॉब करने की अधिक संभावना है।
- अक्सर, प्लेटफॉर्म कंपनियां जो उनसे जुड़े लोगों के लिए कमाई के अवसर प्रदान करती हैं, इन श्रमिकों को भी कुशल बनाने में महत्वपूर्ण कदम उठाती हैं।

गिग इकॉनमी से संबंधित चुनौतियाँ:

- गिग और प्लेटफॉर्म सेक्टर में नौकरी करने के इच्छुक श्रमिकों के लिए इंटरनेट सेवाओं और डिजिटल तकनीक तक पहुँच एक प्रतिबंधात्मक कारक हो सकती है।
- नौकरी की सुरक्षा की कमी, अनियमित वेतन और श्रमिकों के लिए अनिश्चित रोजगार की स्थिति गिग और प्लेटफॉर्म क्षेत्र में महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं।
- उपलब्ध कार्य और आय में अनियमितता से जुड़ी अनिश्चितता से श्रमिकों के लिए तनाव बढ़ सकता है।
- प्लेटफॉर्म के मालिक और श्रमिकों के बीच संविदात्मक संबंध को रोजगार के अलावा अन्य के रूप में इंगित किया जाता है। प्लेटफॉर्म गिग श्रमिकों को स्वतंत्र ठेकेदार कहा जाता है। परिणामस्वरूप, प्लेटफॉर्म गिग श्रमिक कई कार्यस्थल सुरक्षा और अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते हैं।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ लाभकारी गतिविधियों में लगे श्रमिकों को एल्गोरिथम प्रबंधन प्रथाओं और रेटिंग के आधार पर प्रदर्शन मूल्यांकन के परिणामस्वरूप दबाव का सामना करना पड़ सकता है।

आगे का रास्ता:

- प्लेटफॉर्म इंडिया पहल, सरलीकरण और हैंडहोल्डिंग, फंडिंग सपोर्ट और इंसेंटिव, स्किल डेवलपमेंट और सोशल फाइनेंशियल इंकलूजन को शामिल करते हुए, बेहद सफल स्टार्टअप इंडिया पहल की तरह शुरू की जा सकती है।
- विशेष रूप से प्लेटफॉर्म गिग श्रमिकों और उनके प्लेटफॉर्म को स्थापित करने में रुचि रखने वालों के लिए डिजाइन किया गया वित्तीय उत्पादों के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के मौजूदा प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत ऋण तक पहुँच को बढ़ाया जा सकता है। बैंकों और अन्य फंडिंग एजेंसियों से वेंचर कैपिटल फंडिंग, अनुदान और ऋण

सभी आकार के प्लेटफॉर्म व्यवसायों को प्रदान किए जाने चाहिए।

- उद्योग संबंधों को मजबूत करना और कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण प्राप्त करने में सक्षम बनाना महत्वपूर्ण है। ऐसे परिणाम-आधारित कौशल के उदाहरण शिक्षा मंत्रालय की राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना और प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली पहल में देखे जाते हैं।
- श्रम और रोजगार मंत्रालय के ई-श्रम और राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के उद्यम पोर्टल और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के असीम पोर्टल जैसे कौशल विकास और रोजगार / सामाजिक सुरक्षा पोर्टलों को एकीकृत करके, भारत में बड़ी संख्या में श्रमिकों के लिए वन-स्टॉप समाधान प्रदान किया जा सकता है।
- प्लेटफॉर्म व्यवसाय, महिलाओं और विशेष रूप से सीमांत और कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं के कानूनी/आर्थिक/सामाजिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के साथ साझेदारी कर सकते हैं, जिससे गैर-पारंपरिक आजीविका को अपनाने की उनकी क्षमता में वृद्धि हो सकती है।
- ओला, उबर, अर्बन कंपनी, स्विगी और जोमैटो जैसे प्लेटफॉर्मों द्वारा कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों को कम करने के लिए शुरू किए गए उपायों की तर्ज पर, भुगतान किए गए बीमार अवकाश, स्वास्थ्य पहुँच और बीमा के उपायों को प्लेटफॉर्मों द्वारा अपनाया जा सकता है।
- डिजिटल तंत्र के माध्यम से श्रमिकों को दुर्घटना और अन्य बीमा की पेशकश करने में इंडोनेशिया की पहल की तरह, राइड-हेलिंग, वितरण, और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सभी डिलीवरी और ड्रा

इवर-भागीदारों और अन्य प्लेटफॉर्म श्रमिकों को दुर्घटना बीमा प्रदान कर सकते हैं। ये निजी क्षेत्र या सरकार के सहयोग से पेश किए जा सकते हैं, जैसा कि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत परिकल्पित है।

निष्कर्ष:

उत्पादन स्थानों में तकनीकी संभावनाओं के कारण गिग वर्क का विस्तार होना तय है। साथ ही, यह श्रमिकों को कार्य समय और कार्यक्षेत्र की सीमाओं को पार करने की भी अनुमति देता है। गिग वर्क की इस क्षमता को देखते हुए, भविष्य में इस तरह के काम की प्रमुखता बढ़ेगी।

NOTES



ब्रिक्स का बढ़ता प्रभाव

संदर्भ:

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 - 24 जून 2022 को वस्तुतः 14 वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया और कहा कि समूह का प्रभाव बढ़ गया है क्योंकि इसने संरचनात्मक परिवर्तन किए हैं।

परिचय:

- हाल ही में चीन द्वारा आयोजित 14 वां ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) शिखर सम्मेलन, 23-24 जून 2022 को आभासी (वर्चुअल) रूप से हुआ।
- शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत के प्रधान मंत्री ने कहा कि "पिछले कई वर्षों में समूह का प्रभाव बढ़ा है। हमने पिछले कुछ वर्षों में ब्रिक्स में संरचनात्मक परिवर्तन किए हैं जिससे इस संस्था के प्रभाव में वृद्धि हुई है।"

ब्रिक्स का विकास:

- ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत और चीन) देशों के नेता पहली बार जुलाई 2006 में G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में मिले। इसके तुरंत बाद, सितंबर 2006 में, समूह को , ब्रिक्स के रूप में पहली ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान, जो न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र विधानसभा की आम बहस के मौके पर हुई थी औपचारिक रूप दिया गया।
- उच्च स्तरीय बैठकों की एक श्रृंखला के बाद, पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया था।
- सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में दक्षिण अफ्रीका

को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किए जाने के बाद उत्कृष्ट समूह का नाम बदलकर ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) कर दिया गया। तदनुसार, दक्षिण अफ्रीका ने 14 अप्रैल 2011 को सान्या, चीन में तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

- समूह के देशों ने इसे उभरती अर्थव्यवस्थाओं के वैकल्पिक समूह के रूप में सराहा।

ब्रिक्स का महत्व:

- दुनिया के पांच प्रमुख विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) द्वारा किया जाता है, जो दुनिया की आबादी का 41%, इसके सकल घरेलू उत्पाद का 24% और इसके वाणिज्य का 16% हिस्सा है।
- ब्रिक्स देश वर्षों से वैश्विक आर्थिक विकास के मुख्य इंजन रहे हैं। समय के साथ, ब्रिक्स देश राजनीतिक और सुरक्षा, आर्थिक और वित्तीय और सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के आदान-प्रदान के तीन स्तंभों के तहत महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ आए हैं।
- ब्रिक्स ने बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार का आह्वान किया ताकि वे विश्व अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन और उभरते बाजारों की तेजी से बढ़ती केंद्रीय भूमिका को प्रतिबिंबित कर सकें।
- ब्रिक्स राष्ट्र ने फर्मों के लिए विदेशी विस्तार के स्रोत और संस्थागत निवेशकों के लिए ठोस रिटर्न की पेशकश की। उन्होंने लीबिया, सीरिया, अफगानिस्तान और ईरान (उनके स्वदेशी परमाणु कार्यक्रम) से संबंधित समस्याओं सहित कुछ क्षेत्रीय मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया।

तान और ईरान (उनके स्वदेशी परमाणु कार्यक्रम) से संबंधित समस्याओं सहित कुछ क्षेत्रीय मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया।

- ब्रिक्स देशों ने भी बाधा मुक्त व्यापार के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करने की मांग की।
- ब्रिक्स देशों ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, सीमा शुल्क सहयोग, आतंकवाद और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में कई पहल की हैं, इससे न केवल नागरिकों को लाभ होगा, बल्कि आने वाले वर्षों में संस्था को प्रासंगिक बने रहने में भी मदद मिलेगी।
- ब्रिक्स कोविड के ठीक होने के बाद एक प्रमुख भूमिका निभाएगा क्योंकि भारत-चीन जैसे समूह के देश सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से हैं और उनके पास विशाल जनसांख्यिकीय लाभांश है।

ब्रिक्स द्वारा की गई पहल:

- न्यू डेवलपमेंट बैंक - 2014 में फोर्टालेजा (ब्राजील) में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान, नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी - शंघाई, चीन) की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसने अब तक 70 बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। एनडीबी, विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विपरीत, सभी ब्रिक्स देशों को समान मतदान और शेरधारिता अधिकार प्रदान करता है।

आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था:

2015 में स्थापित, यह भुगतान दबावों के

वास्तविक या संभावित अल्पकालिक संतुलन के जवाब में तरलता और एहतियाती उपकरणों के माध्यम से समर्थन के प्रावधान के लिए एक ढांचा है। इस रिजर्व का उद्देश्य वैश्विक तरलता दबावों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है। ब्रिक्स को आम तौर पर अंतःराष्ट्रीय मुद्रा कोष (फंड) के प्रतियोगी के रूप में देखा जाता है और न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ-साथ दक्षिण-दक्षिण सहयोग बढ़ाने के उदाहरण के रूप में देखा जाता है।

ब्रिक्स भुगतान प्रणाली:

ब्रिक्स देश स्विफ्ट भुगतान प्रणाली के विकल्प के रूप में भुगतान प्रणाली बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

सीमा शुल्क समझौते:

ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार परिवहन के समन्वय और सुगमता के लिए सीमा शुल्क समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह सीमा पार व्यापार में लालफीताशाही को कम करने और कर चोरी पर अधिक प्रभावी जांच के लिए अपने तटों तक पहुंचने वाले शिपमेंट के बारे में अग्रिम जानकारी तक पहुंचने में मदद करेगा।

सुदूर संवेदन उपग्रह:

ब्रिक्स द्वारा उपग्रहों का एक रिमोट सेंसिंग तारामंडल लॉन्च किया गया है जिसमें छह उपग्रह और पांच ग्राउंड स्टेशन शामिल हैं। चीन का गाओफेन-6, जियुआन-3 02, सी.बीआरएस-4 ब्राजील और चीन द्वारा सह-विकसित, रूस का कानोपस-वी प्रकार, और भारत का रिसोर्ससैट-2 और 2। उपग्रह शामिल हैं।

ब्रिक्स वैक्सीन और अनुसंधान एवं विकास केंद्र:

- भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में अन्य ब्रिक्स नेताओं के साथ एक वीडियो-कांफ्रेंस के दौरान ब्रिक्स वैक्सीन आर एंड डी सेंटर और वैक्सीन सहयोग पर कार्यशाला का शुभारंभ किया। केंद्र टीकाकरण संसाधनों को सुव्यवस्थित

करने और सुरक्षित और प्रभावोत्पादक COVID-19 टीकों तक समान पहुंच की सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।



14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम:

- ब्रिक्स बीजिंग घोषणा ने शांतिपूर्ण राजनयिक तंत्र के माध्यम से रूस-यूक्रेन संघर्ष के समाधान का समर्थन किया।
- ब्रिक्स देशों ने तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान में बिगड़ती स्थिति के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की।
- ब्रिक्स देशों ने किसी भी प्रकार के आतंकवाद की निंदा की और दोहराया कि किसी भी संगठन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पास है।

ब्रिक्स की चुनौतियां:

- पश्चिम देशों द्वारा ब्रिक्स समूह की अक्सर अप्रभावी होने के लिए आलोचना की जाती है। हालांकि, इसके सदस्यों के बीच असहमति और पहलों के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति इसे आलोचना के लिए काफी संवेदनशील बनाती है।
- ब्रिक्स समूह के सभी देश एक दूसरे से अधिक चीन के साथ व्यापार करते हैं, इसलिए इसे चीन के हितों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में दोषी ठहराया जाता है। चीन के साथ व्यापार घाटे को संतुलित करना अन्य साझेदार देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है।
- आलोचकों द्वारा यह दावा किया जाता है कि ब्रिक्स देशों की विविधता (देशों की परिवर्तनशील / विविध प्रकृति)

अपने विविध हितों के साथ समूह की व्यवहार्यता के लिए खतरा है।

- भारत और चीन के बीच खींचतान इस समूह का एक प्रमुख मुद्दा है। दोनों देशों को अक्सर विभिन्न वैश्विक मंचों पर प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा जाता है जो एक दूसरे के बीच विश्वास को कम करते हैं।

निष्कर्ष:

ब्रिक्स की स्थापना इस विश्वास के साथ हुई थी कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं का यह समूह वैश्विक विकास के इंजन के रूप में उभर सकता है। आज जब दुनिया कोविड-19 के बाद ठीक होने पर ध्यान दे रही है तो ब्रिक्स देशों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। ब्रिक्स सभी विकासशील देशों के लिए साझा चिंता के मुद्दों पर चर्चा और विचार-विमर्श करने का एक मंच बन गया है। भले ही कुछ चुनौतियाँ हैं लेकिन समूह के सदस्यों और ब्रिक्स के संस्थागत तंत्र के बीच सहयोग समूह के सदस्यों को आपस में जोड़कर इसके उद्देश्यों को पूर्णतः में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

NOTES



बिम्स्टेक : यात्रा तथा भविष्य

सन्दर्भ

सार्क संगठन की विफलता के बाद बिम्स्टेक की उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं ने दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में अपनी भूमिका निभाई है और हाल में इसकी स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर इसके प्रासंगिकता का मूल्यांकन जरूरी हो जाता है।

परिचय

बिम्स्टेक सात देशों (बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका तथा था. ईलैंड) का संघ है। बिम्स्टेक का पूरा नाम 'बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक को-ऑपरेशन' है। ये सभी देश बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से सम्बद्धता रखते हैं। प्रारम्भ में संगठन में बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल थे तब इसका नाम 'ठैप्ज्' अर्थात 'बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाइ. लैंड इकोनॉमिक को-ऑपरेशन' था। दिसंबर 1997 में म्यांमार भी इस समूह से जुड़ गया इसका नाम बिम्स्टेक पड़ा। इसके बाद फ. रवरी 2004 में भूटान और नेपाल भी समूह में सम्मिलित हो गए। स्थापना के उपरांत इस संगठन ने सहायनीय प्रगति की है तथा भविष्य में इस संगठन के पास दक्षेय तथा आसियान के मध्य का ब्रिज बनने की क्षमता है। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बिम्स्टेक प्रक्रिया में सर्वोच्च नीति निर्धारण निकाय है और इसमें सदस्य राज्यों के राष्ट्राध्यक्षों/सर. कार के प्रमुख शामिल होते हैं। यह लगभग 1.5 बिलियन लोगों का घर है जो वैश्विक आबादी का लगभग 22% है। इसका संयुक्त

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2.7 ट्रिलियन डॉलर है। दुनिया का एक चौथाई व्यापारिक माल हर साल बंगाल की खाड़ी को पार करता है।

बिम्स्टेक की प्रगति : अब तक की यात्रा
बिम्स्टेक की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं तथा इस दौरान बिम्स्टेक द्वारा सरा. हनीय प्रगति की गई है, जिसका वर्णन निम्न. वत है।

पारस्परिक सहयोग :-

बिम्स्टेक के सिद्धांतों में से एक शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की अवधारणा है। तथा बिम्स्टेक के सदस्य देश इस सिद्धांत का पूर्ण पालन करते हैं। भारत इन सभी देशों में सबसे बड़ा देश है तथा समय समय पर भारत ने अपने साथी देशों की सहायता की है उदाहरण स्वरूप - नेपाल में भूकंप संकट, श्रीलंका का आर्थिक संकट इत्यादि। अतः ये देश एक दूसरे की साम्प्रभता का ध्यान रखते हुए शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर चलते हैं।

आधारभूत संरचनात्मक परियोजनाएँ :

बिम्स्टेक देशों के मध्य कई आधारभ. त् संरचनात्मक परियोजनाएँ चल रही हैं। कलादान मल्टीमॉडल परियोजना, गंगा -मे. कांग परियोजना, एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग, बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (BBIN) मोटर वाहन समझौता इत्यादि कई समझौते हैं जो आधारभूत संरचना को बढ़ाकर क्षेत्रीय विक. इस की तरफ बढ़ रहे हैं। मार्च 2022 में हुए पांचवे शिखर सम्मलेन में परिवहन कनेक्ट. विटी हेतु मास्टर प्लान पर बात की गई है जो क्षेत्रीय एवं घरेलू कनेक्टिविटी के लिये एक ढाँचा प्रदान करेगा।

आर्थिक सहयोग :-

बिम्स्टेक देशों में 1.80 अरब लोगो की

एक बड़ी जनसँख्या निवास करती है तथा इनका सकल घरेलू उत्पाद(जि.डी.पी.) 3.8 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। इन देशों में परिवहन और संचार, कृषि, व्यापार तथा नि. वेश के विषयों पर सहयोग स्थापित हैं। भारत बिम्स्टेक के सकल व्यय का 32% योगदान करता है तथा पांचवे शिखर सम्मलेन में भारत ने यह घोषणा की थी कि भारत अपने परिच. लान बजट को बढ़ाने के लिये (बिम्स्टेक) सचिवालय को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा।

सुरक्षात्मक सहयोग

ये देश एक दूसरे से जलीय तथा स्थलीय सीमा साझा करते हैं। अतः इनके मध्य सुरक्षात्मक सहयोग आवश्यक है। हिन्द महासागर क्षेत्र में भारत सबसे बड़ी शक्ति है। सभी देश भारत को नेट सुरक्षा प्रदाता के रूप में देखते हैं। यद्यपि अभी तक सुरक्षा को लेकर कोई विशेष समझौता नहीं हो सका है। परन्तु पांचवे शिखर सम्मलेन में : सदस्य देशों ने आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता को लेकर एक संधि पर भी हस्ताक्षर किये हैं।

अन्य सहयोग

उपरोक्त सहयोगों के अतिरिक्त बिम्स्टेक देशों में बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा (TTF), कृषि, परिवहन सहित 14 मुख्य क्षेत्रों में सहयोग के बारे में बात की गई है।

बिम्स्टेक का भविष्य : क्या हो सकती है आगे की राह ?

यद्यपि बिम्स्टेक की स्थापना को 25 वर्ष हो चुके हैं परन्तु अभी भी बिम्स्टेक, आसियान की भांति सफल नहीं हो सका है। इस स्थिति के लिए समय पर बैठक न होना, द्वि पक्षीय विवाद, बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार

(बीसीआईएम) के गठन इत्यादि कई मुख्य कारण हैं। यदि बिस्मटेक इन चुनौतियों को पार कर एक सफल संगठन के रूप में स्वयं को निर्मित करना है तो बिस्मटेक देशों को निम्न मुद्दों पर ध्यान देना होगा -

- बिस्मटेक में मुक्त व्यापार समझौते पर वर्ष 2004 में चर्चा की गई थी , यद्यपि इस पर चर्चा नहीं की गई । तदोपरान्त वर्ष 2018 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक अध्ययन ने बिस्मटेक मुक्त व्यापार समझौते का सुझाव दिया था। बिस्मटेक देशों को इस सुझाव पर ध्यान देना चाहिए। एफटीए से बंगाल की खाड़ी को संपर्क मार्ग, समृद्धि, सुरक्षा का वाहक बना देगा।

- बिस्मटेक के क्षेत्र में स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा की चुनौतिया प्रबल रूप से खड़ी हैं अतः बिस्मटेक सदस्य देशों को एकजुटता तथा कनेक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए। भारत को इस सन्दर्भ में अपनी क्षमताओं का प्रयोग करना होगा।

- वर्तमान में हिन्द-प्रशांत क्षेत्र वैश्विक शक्ति का केंद्र बन चुका है। यहां, ओकुस, क्वाड ऐसे कई सैन्य संगठन निर्मित हो रहे हैं। आसियान सहित कई संगठन भारत को सुरक्षा प्रदाता के रूप में देखते हैं। अतः यह आवश्यक है कि बिस्मटेक देश भारत की सैन्य शक्ति को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा सहयोग पर ध्यान दें।

- इसके अलावा बिस्मटेक के विकसित श्रेणी में सम्मिलित होने के लिए दो आवश्यक घटकों प्रथम तटीय शिपिंग पारिस्थितिकी तंत्र और बिजली ग्रिड इंटरकनेक्टिविटी पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

- बिस्मटेक सार्क तथा आसियान के मध्य का ब्रिज है। ऐसे में बिस्मटेक की सफलता एक साझे दक्षिण एशिया तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के मध्य सहयोग का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

- बिस्मटेक देशों के लिए अनिवार्य है कि वे आपसी द्विपक्षीय विवादों तथा भारत नेपाल का काला-पानी विवाद , रोहिंग्या विवाद इत्यादि से बाहर निकल कर एक सुखद



भारत के लिए बिस्मटेक का महत्व :

भारत बिस्मटेक के संस्थापक सदस्यों में एक है। भारत की विदेश नीति के कई तत्वों को बिस्मटेक के साथ सम्बन्धों में देखा जा सकता है।

- **प्रथम पड़ोस (नेबरहुड फर्स्ट) की नीति :-** बिस्मटेक के देश भारत के साथ जलीय अथवा स्थलीय सीमा साझा करते हैं। इन देशों के साथ सम्बन्ध भारत के प्रथम पड़ोस की नीति को दर्शाता है।

- **एक्ट ईस्ट की नीति :-** आरम्भ से ही पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देश भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण अंग रहे हैं। म्यांमार , थाईलैंड जैसे बिस्मटेक के देश भारत की इस नीति को आगे बढ़ाने में सहायक हैं।

- **पूर्वोत्तर राज्यों का आर्थिक विक. तस:-** बिस्मटेक के सदस्य देश म्यांमार तथा बांग्लादेश भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। इन देशों में बनाई गई आधारभूत संरचनाओं का प्रयोग भारत पूर्वोत्तर के राज्यों के विकास में कर सकता है। ये देश पूर्वोत्तर राज्यों को बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों से जोड़ने में सहायक हैं।

- **चीन की विस्तारवादी नीतियों का विरोध :-** भारत चीन के विस्तारवादी तथा नव साम्राज्यवादी नीतियों का प्रबल विरोध करता है। भूटान ने चीन के बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव में भाग न लेकर भारत के

सहयोग को दिखाया है। इसके साथ ही साथ नेपाल, श्रीलंका बांग्लादेश तथा म्यांमार जैसे देश भी चीन के नव साम्राज्यवादी नीति से ग्रस्त हैं ऐसे में बिस्मटेक चीन के विस्तारवा. दी प्रभावों से भारत को मुकाबला करने का अवसर प्रदान करता है।

- **पाकिस्तान के प्रति नीति :-** भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों के कारण दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सा. र्क-SAARC) की प्रासंगिकता काम हुई है। ऐसे में बिस्मटेक भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ जुड़ने हेतु एक नया मंच प्रदान करता है।

निष्कर्ष -

बिस्मटेक के अधिकांश देशों ने उपनिवेशवाद का दंश झेला है। भारत के अतिरिक्त अन्य सभी देश आकार में छोटे हैं तथा चीन के अतिक्रमण से भयातुर भी हैं। भारत का भी चीन के साथ सीमा विवाद चल रहा है। इसके साथ ही बिस्मटेक के अधिकांश देश गरीबी , बेरोजगारी तथा आर्थिक संकटों का सामना कर रहे हैं। अतः यह स्पष्ट है कि इनकी साझी समस्या का साझा निराकरण आवश्यक है जिसके लिए इन्हें प्रयास करना चाहिए। आने वाले समय में बेहतर प्रयासों

NOTES



सर्वजनिक संपत्ति की रक्षा : सभी की जिम्मेदारी

सन्दर्भ

वर्तमान समय में हो रहे हड़तालों तथा विरोधों में सार्वजनिक संपत्ति को भारी क्षति हुई है। हम सभी को यह समझना होगा कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा सभी का उत्तरदायित्व है। कानून-व्यवस्था की ये घटनाएँ विश्व व्यवस्था में भारत की एक खराब तस्वीर पेश करती हैं।

परिचय :

कुछ समय पूर्व एनटीपीसी के परीक्षा पद्धति को लेकर हुए विवाद तथा हाल ही में अग्निपथ योजना तथा नूपुर शर्मा की पैगम्बर मोहम्मद पर हुई टिप्पड़ियों के उपरांत भारी मात्रा में विरोध हुआ। उत्तेजित भीड़ के द्वारा सरकारी बसों, ट्रेनों, निजी गाड़ियों को जलाया गया। इन क्रियाओं के फलस्वरूप सार्वजनिक संपत्ति की व्यापक क्षति हुई है। एक अनुमान के अनुसार अग्निपथ योजना के विरोध के दौरान लगभग 1000 करोड़ की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ है। यह न केवल प्रत्यक्ष हानि को दिखाता है बल्कि कई प्रकार के अप्रत्यक्ष हानियों का भी कारक है। इस स्थिति में एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य है कि वह सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा में योगदान दे।

क्या है सार्वजनिक संपत्ति (लोक संपत्ति) :

लोक संपत्ति नुकसान निवारक अधिनियम, 1984 के अनुसार प्लोक संपत्ति से अभिप्रेत है, ऐसी कोई संपत्ति, चाहे वह स्थावर हो या जंगम (जिसके अंतर्गत कोई मशीनरी है), जो निम्नलिखित के स्वामित्व या कब्जे में या नियंत्रण के अधीन है :- (i) केन्द्रीय सरकार; या (ii) राज्य सरकार; या (iii) स्थानीय प्राधिकारी; या (पअ) किसी केन्द्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन

स्थापित निगम; या (अ) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में परिभाषित कंपनी; या (अप) ऐसी संस्था, समुत्थान या उपक्रम, जिसे केन्द्रीय सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

क्यों होता है सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान प्रायः

यह देखा जाता है कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान किया जाता है। इसके पीछे कई कारक कार्य करते हैं जिनका वर्णन निम्नवत है -

- **मूल कर्तव्य के स्थान पर मौलिक अधिकारों को अधिक महत्व :-** भारत में मूल कर्तव्य के स्थान पर मौलिक अधिकारों को अधिक महत्व दिया जाता है। भारत के संविधान में भी मूल कर्तव्यों को वादयोग्य नहीं किया गया। भारत के आम जनमानस में भी अपने अधिकारों का बोध है परन्तु अपने कर्तव्यों का उतना बोध नहीं है। इसी मानसिकता के कारण भारत के मूल कर्तव्य में वर्णित ७ सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा के आगे जनता अपने हड़ताल तथा विरोध के अधिकार को महत्व देती है।
- **औपनिवेशिक मानसिकता :-** उपनि. वेशी शासन के दौरान क्रांतिकारी गति. विधियों के दौरान अक्सर ब्रिटिश सरकार की संपत्ति को क्रांतिकारियों द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता था। वर्तमान में विरोध प्रदर्शनकारी इसी मानसिकता से ग्रस्त हैं। परन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि वर्तमान में हम लोकतांत्रिक सरकार द्वारा शासित हैं , तथा इस सरकार की सार्वजनिक संपत्ति हमारी अपनी संपत्ति

है ।

- **लो कन्वेक्शन रेट :-** लोक संपत्ति नुकसान निवारक अधिनियम, 1984 में सार्वजनिक संपत्ति के हानि हेतु उक्त. रदायी अपराधि को 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है। परन्तु समस्या यह है कि सार्वजनिक संपत्ति की क्षति किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं की जाती बल्कि इसमें भीड़ सम्मिलित होती है। चूँकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता अतः इसमें अपराधियों की शिनाख्त (पहच. न) करना मुश्किल होता है जिसके कारण अपराधसिद्धि में समस्या होती है। लो कन्वेक्शन रेट (निम्न अपराधसिद्धि दर) के कारण सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचाने वालों को दंड का भय नहीं होता।
- **राजनैतिक इच्छाशक्ति की कमी :** वि. रोध प्रदर्शन करने वाले तथा उस विरोध के दौरान हिंसा तथा सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले किसी न किसी विशेष समूह से सम्बद्ध होते हैं। वोट बैंक की राजनीति वाले परिदृश्य में राज्य सरकारें इन समूहों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही करने से बचना चाहती हैं। इन स्थितियों के कारण सार्वजनिक संपत्ति का क्षरण होता रहता है।

सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा क्या आवश्यक है?

सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा हम सभी का उत्तरदायित्व है जो निम्नलिखित बिन्दुओं के द्वारा समझा जा सकता है।

- **मूल कर्तव्य का भाग :-** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए (आई) में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना एवं हिंसा से दूर रहने के मूल कर्तव्य

का प्रावधान किया गया है। यद्यपि यह वाद्योग्य नहीं है परन्तु नागरिकों को यह ध्यान रखना होगा कि एक के कर्तव्यों से ही अन्य के अधिकारों का संरक्षण होता है। मूल कर्तव्य नागरिक के लिए नैतिक सिद्धांत के समान हैं।

- **सभ्य समाज का परिचायक :-**सार्वजनिक संपत्ति में आगजनी करना अथवा उसे नुकसान पहुंचाना अराजकता को प्रदर्शित करता है। गाँधी जी के सिध्दन्तों का अनुशरण करने वाले देश के नागरिकों को सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा कर सभ्य समाज का परिचायक बनना चाहिए।
- **करदाता के धन का नुकसान :-**सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण करदाता के दिए गए धन से होता है। इस प्रकार सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करदाता के पैसों का नुकसान है। तथा यह करदाता कोई और नहीं बल्कि हम और आप हैं। अतः सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा भी हम सभी दायित्व बन जाती है।
- **उपनिवेशी मानसिकता से मुक्ति आवश्यक :-**विरोध के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को जलाना उपनिवेशी मानसिकता का प्रतीक है। अतः हमें इस मानसिकता से मुक्ति हेतु प्रयत्न करने चाहिए।
- **शांतिपूर्ण विरोध :-**पूर्व में महात्मा गाँधी तथा अभी हाल ही में अन्ना हजारे तथा कृषक आंदोलनों ने यह प्रदर्शित कर दिया है कि शांतिपूर्वक आंदोलन के द्वारा भी सरकार तक अपनी बात पहुंचे जा सकती है। अतः विरोध प्रदर्शन करने वाले को इन शांतिपूर्ण आंदोलनों के सिद्धांतों का पालन करना चाहिये।

सार्वजनिक और निजी संपत्तियों के रक्षा सम्बंधित उच्चतम न्यायालय का दिशा. निर्देश :-

2007 में सार्वजनिक और निजी संपत्तियों के बड़े पैमाने पर विनाश के मामले को स्वतः संज्ञान लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने कुछ विशेष कदम उठाये। न्यायलय द्वारा

पूर्व न्यायाधीश के.टी. थॉमस और वरिष्ठ अधिवक्ता फली नरीमन की अध्यक्षता में दो समितियों का गठन किया गया। इनकी अनुशंसाओं के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने इस सन्दर्भ में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए जिनका वर्णन निम्नवत है -

के.टी. थॉमस समिति की अनुशंसाओं पर आधारित दिशा निर्देश :-

- के.टी. थॉमस समिति ने सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान से जुड़े मामलों में आरोप सिद्धि के उत्तरदायित्व को परिवर्तित करने की अनुशंसा की। इस सन्दर्भ में सामान्य प्रक्रिया में सामान्यतः अभियोजन को यह सिद्ध करना होता है कि किसी संगठन द्वारा की गई प्रत्यक्ष कार्यवाही में सार्वजनिक संपत्ति क्षतिग्रस्त हुई है तथा आरोपी ऐसी कार्यवाही में संलग्न था। परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने समिति की अनुशंसा के आधार पर सार्वजनिक संपत्ति से जुड़े मामलों में यह दिशा निर्देश दिए कि आरोपी स्वयं को निरपराध सिद्ध करने का प्रयास करे।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि अभियुक्त सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने का दोषी है या नहीं ? इस तथ्य के सन्दर्भ में न्यायालय को अनुमान लगाने का अधिकार देने के लिये कानून में संशोधन किया जाना चाहिये कि है।

नरीमन समिति की अनुशंसाओं पर आधारित दिशा निर्देश

- यह समिति सार्वजनिक संपत्ति के विनाश की क्षतिपूर्ति से संबंधित थीं। इसके आधार पर उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित दिशा निर्देश दिए -
- प्रदर्शनकारियों से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप तय करते हुए संपत्ति में आई विकृति में सुधार करने के लिये क्षतिपूर्ति शुल्क लिया जाएगा।
- सार्वजनिक संपत्ति के हानि से सम्बंधित मामलों में उच्च न्यायालयों को भी

स्वतः संज्ञान लेने के दिशा-निर्देश जारी किये गए

- सार्वजनिक संपत्ति के विनाश के कारणों को जानने तथा क्षतिपूर्ति के परीक्षण हेतु एक तंत्र स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए।

निष्कर्ष

हम प्रायः यह देखते हैं कि सरकार के निर्णयों के विरोध में अथवा सरकार से अपनी मांग मंगवाने के लिए इस प्रकार के विरोध किये जाते जहां। अतः सरकार को पारदर्शिता बढ़ाकर तथा अपने व जनता के मध्य के कम्युनिकेशन गैप को कम कर ऐसे विरोधों को कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। उदाहरणस्वरूप सरकार को अग्निवीर मामले में अभ्यर्थियों से बात करनी चाहिए। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के दिशा. निर्देशों का पालन करना चाहिए। परन्तु इन सभी मुद्दों में सर्वाधिक आवश्यक है कि हमें सार्वजनिक संपत्ति को अपनी संपत्ति की तरह समझकर उसकी रक्षा करनी होगी क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा सभी का उत्तरदायित्व है।

NOTES



भारत में बढ़ती कट्टरता - लोकतंत्र के लिए खतरा

सन्दर्भ:

हाल ही में नूपुर शर्मा विवाद तथा उसी सन्दर्भ में उदयपुर में हुई कन्हैयालाल की हत्या भारत में बढ़ रही कट्टरता को प्रदर्शित कर रही है। यह स्थिति निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए संकट है।

परिचय:

वर्तमान समय में भारत में निरंतर बढ़ती कट्टरता भारत के लोकतंत्र के लिए समस्या बन रही है। पूर्व में नागरिकता कानून, कोरोना के दौरान विश्वास संकट, मोबलीचिंग जैसी समस्याओं से सामाजिक वैमनस्य बढ़ रहा था परन्तु हाल ही में नूपुर शर्मा के विवाद तथा उसी सन्दर्भ में उदयपुर में हुई कन्हैयालाल की हत्या से देश का सांप्रदायिक सौहार्दपूर्णता प्रभावित हुआ है। ध्यातव्य हो कि पूर्व भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने पैगम्बर मोहम्मद के विषय में एक टिप्पड़ी की जिस पर देश का मुस्लिम समुदाय काफी आक्रोश में दिखा। पत्थरबाजी तथा हिंसक गतिविधियों के मध्य राजस्थान के उदयपुर में भयानक घटना हुई। उदयपुर में नूपुर शर्मा का समर्थन करने पर कन्हैयालाल को दो मुस्लिम युवाओं द्वारा मार दिया गया। यह भारत में बढ़ रही कट्टरता का प्रतीक है जो लोकतंत्र को कमजोर कर रही है।

आधुनिक भारत में सांप्रदायिक कट्टरता से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं-

- वर्ष 1947 में भारत का विभाजन तथा नोवाखली में विवाद
- वर्ष 1984 में सिख विरोधी दंगे
- वर्ष 1989 में घाटी से कश्मीरी पंडितों का निष्कासन
- वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद विवाद
- वर्ष 2002 में गुजरात में दंगे
- वर्ष 2013 में मुजफ्फरपुर में दंगे

इत्यादि।

- मोब लिंग की बढ़ती घटनाएं
- वर्ष 2019 में नागरिकता संसोधन अधिनियम में सांप्रदायिक विरोध
- वर्ष 2021 में धर्मसंसद की उद्घोषणाएं
- वर्ष 2022 में नूपुर शर्मा विवाद तथा उदयपुर में हत्या

कट्टरता बढ़ने के प्रमुख कारण

धार्मिक तुष्टीकरण:

भारत की राजनीति में धर्म तथा जाति विशेष भूमिका निभाती है। धार्मिक तुष्टीकरण के द्वारा विशेष धार्मिक संप्रदायों को वोट बैंक के रूप में प्रयोग किया जाता है। पुलिस तथा प्रशासन पर राजनीतिक दबाव के कारण इन सांप्रदायिक तत्वों को रोकने में असमर्थ रहते हैं। प्रायः विभिन्न राजनीतिक दलों पर किसी वर्ग विशेष को विशेष प्रशासनिक सुविधा प्रदान करने के आरोप लगते रहते हैं। तुष्टीकरण के फलस्वरूप सांप्रदायिक तत्वों को राजनैतिक संरक्षण प्राप्त होता है जिसके कारण उनमें राजसत्ता का भय समाप्त हो जाता है जो इन सांप्रदायिक तत्वों के अंतर्गमन में कट्टरता को बढ़ाने में सहयोगी होता है।

बहुलवाद:

वर्तमान समय में भारत में बहुलवाद की धारणा बढ़ रही है। सांस्कृतिक दृष्टि से बहुलवाद एक ऐसी धारणा है, जो बृहत् समाज में लघु समूहों को अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, मूल्यों तथा परम्पराओं को बनाए रखने तथा तब तक समाज/राज्य द्वारा उन्हें स्वीकृत प्रदान करने पर बल देती है, जब तक कि वे बृहत् समाज अथवा राज्य के नियमों एवं कानूनों के अनुरूप हैं।

धर्म की गलत व्याख्या:

बढ़ती असमानता के फलस्वरूप बढ़ने

वाली गरीबी तथा बेरोजगारी के कारण लोगों के मन में असंतोष का भाव बढ़ने लगता है। जिसके फलस्वरूप लोगों का विश्वास सरकार से कम हो जाता है। इस स्थिति में बढ़े हुए असंतोष का लाभ सांप्रदायिक तत्व उठाते हैं। वे धर्म की गलत व्याख्या कर हिंसक साधन के माध्यम से धार्मिक श्रेष्ठता का मार्ग स्थापित करने के लिए आम जनमानस को दुष्रेरित करते हैं। उदाहरणस्वरूप - हाल ही में आयोजित धर्मसंसद में उठाये गए मुद्दे, मस्जिदों से जारी किये गए फतवे।

विश्वास संकट:

वर्तमान समय में भारत की “विविधता में एकता” की अवधारणा संकटग्रस्त हो गई है। किसी धर्म विशेष के प्रति शंका तथा उत्पीड़न की भावना लोगों में सांप्रदायिक कट्टरता को बढ़ावा देती है। कोरोना काल में यह विश्वास संकट उभरकर सामने आया था। वर्तमान समय में लोग यह न सिर्फ यह समझते हैं कि उनके हित अलग-अलग हैं वरन वे यह भी मानते हैं कि उनके हित पारस्परिक विरोधी हैं।

मीडिया का प्रभाव:

वर्तमान समय में सोशल मीडिया तथा टीवी मीडिया के द्वारा संप्रदायिकता के संदर्भ में फेक न्यूज तथा पेड न्यूज के बढ़ते प्रसारण कारण भी संप्रदायिकता की भावना का तेजी से विकास हो रहा है। टीआरपी को बढ़ाने के कारण टीवी मीडिया निरंतर सांप्रदायिक मुद्दों पर डिबेट को दिखती है जिससे आम जनमानस का रुझान बेरोजगारी, गरीबी जैसे मुद्दों से हटकर साम्प्रदायिकता की तरफ हो रहा है। यह स्थिति धीरे-धीरे कट्टरता में परिणत हो जाती है।

लोकतंत्र को प्रभावित करती कट्टरता:

- कट्टरता की समस्या लोकतान्त्रिक मूल्यों को प्रभावित करती है। यह धर्मनिरपेक्षता, विविधता में एकता, राष्ट्रीय एकता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।
- कट्टरता के फलस्वरूप व्यक्ति तथा समाज के मूल अधिकारों का उलंघन होता है। उदाहरणस्वरूप हाल में हुई उदयपुर की हिंसा में मृतक कन्हैयालाल के मूल अधिकारों (अनुच्छेद 21 में वर्णित प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार) का उलंघन हुआ। एक आरटीआई के अनुसार 2006 से 2017 के मध्य 1600 से अधिक लोगों की मृत्यु सांप्रदायिक झड़पों में हुई है। इसके साथ ही साम्प्रदायिक दंगों में लोगों के आवाजाही तथा व्यापार करने के स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19 में वर्णित अधिकार) भी प्रभावित होती है।
- सांप्रदायिकता के कारण समाज में एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं जिससे आपसी भाईचारा कम होता है। यह भारत के संविधान में वर्णित एकता तथा बंधुत्व के आदर्शों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
- यह निर्वाचन प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। सांप्रदायिक संकट से ग्रस्त लोग विकास तथा राष्ट्रवाद के स्थान पर चुनाव में सांप्रदायिक आयामों को ध्यान में रखकर मतदान करते हैं। यह उत्तरोत्तर में चुनाव में धर्म तथा सांप्रदायिक तत्वों को बढ़ावा देकर लोकतान्त्रिक तत्वों को प्रभावित करता है।
- सांप्रदायिकता के फलस्वरूप आपसी सौहार्द कम होता है जिससे समाज में अराजकता फैलती है। सांप्रदायिक हिंसा मुख्य रूप से जनसामान्य को प्रभावित करती है। उन्हें विस्थापन का दंश झेलना पड़ता। उदाहरणस्वरूप काश्मीर में 1990 हजारों की संख्या में लोग विस्थापित हुए थे।
- सांप्रदायिकता राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बाधित करता है तथा संवैधानिक

मूल्यों पर भी प्रश्नचिह्न करता है। इसके साथ ही साथ यह देश की आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित कर लोकतंत्र को प्रभावित करता है।

समाज में कट्टरता को किस प्रकार से कम किया जा सकता है?

धर्म एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति के निजी जीवन को न सिर्फ प्रभावित करता है बल्कि व्यक्ति इससे भावनात्मक रूप से जुड़ा भी रहता इसीलिए धर्म पर किया गया आघात कालांतर में बड़े विवाद का कारक बन सकता है। अतः धार्मिक कट्टरता को रोकने के लिए निम्नलिखित कदमों को उठाने की आवश्यकता है -

सरकार द्वारा प्रयास:

- सरकार तथा राजनैतिक दलों को धार्मिक तुष्टिकरण तथा जातिगत मुद्दों को अपनी राजनीति से हटाना होगा। सरकार किसी धर्मविशेष के वृद्धि हेतु काम न करे तथा संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का पालन करे।
- सांप्रदायिक मुद्दे अत्यंत संवेदनशील होते हैं अतः सांप्रदायिक मुद्दों से निदान हेतु पुलिस बल को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
- सांप्रदायिक मामलों को सुधारने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली को क्षमतावान बनाने की आवश्यकता है। जिससे सांप्रदायिक मामलों का त्वरित निस्तारण हो सके तथा पीड़ितों को मुआवजा व दोषियों को सजा मिल सके।
- इसके साथ ही साथ सांप्रदायिक हिंसा (रोकथाम नियंत्रण तथा पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक 2005 को व्यापक ढंग से लागू करने की आवश्यकता है।

नागरिक समाज द्वारा किये जा सकने वाले प्रयास:

- नागरिक समाज को धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता तथा सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जागरूकता फैलानी चाहिए।
- समाज के प्रभावी लोगों को इस मामले में आगे आकर कट्टरता के विरुद्ध कार्य करना चाहिए।

धर्म गुरुओं द्वारा किये जा सकने वाले प्रयास:

- धर्म गुरुओं को धर्म के तत्वार्थ की वास्तविक व्याख्या करनी चाहिए। क्योंकि किसी भी धर्म का दर्शन हिंसा को मान्यता नहीं देता।
- धर्म गुरुओं को सहिष्णु होने की शिक्षा देनी चाहिए। तथा धार्मिक विवादों को शास्त्रार्थ के माध्यम से हल करने का प्रयास करना चाहिए न कि हिंसा हेतु लोगों को भड़काना चाहिए।

अन्य प्रयास:

- शिक्षा में धर्मनिरपेक्षता, एकता, सांप्रदायिक सौहार्द, अहिंसा जैसे मूल्यों को विशेष महत्व देने की आवश्यकता है।
- इस सन्दर्भ में परिवार, समाज तथा शिक्षण संस्थानों को अपनी भूमिका तथा महत्व समझना होगा।

निष्कर्ष:

भारत में बढ़ती कट्टरता निश्चित ही लोकतंत्र को कमजोर कर रही है परन्तु भारत की सांस्कृतिक जड़ें अत्यंत मजबूत हैं। परन्तु संवैधानिक मूल्यों (एकता, बंधुत्व, अधि कार, समानता, स्वतंत्रता इत्यादि) की रक्षा हेतु आवश्यक है कि भारत में कट्टरता के प्रसार को रोका जाए। इस सन्दर्भ में परिवार, समाज, राष्ट्र, धर्मगुरु, नागरिक समाज इत्यादि को अपनी भूमिका तथा महत्व को समझना होगा। इसके साथ ही सभी को यह मानना आवश्यक है कि भारत की संस्कृति का आधार बहुलवाद नहीं बल्कि विविधता में एकता है।

NOTES



भारत में कुपोषण की स्थिति

अच्छे पोषण में वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को सशक्त बनाने की शक्ति होती है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय खजाना इसके लोग हैं, लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी, उनमें से अधिकांश को अपनी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक आहार नहीं मिल रहा।

बाल कुपोषण वर्तमान में भारत में सबसे अधिक दबाव वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। हाल ही में यूनिसेफ ने कहा कि भारत में पांच साल से कम उम्र के 5,772,472 बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित होने से प्रभावित हैं।

कुपोषण क्या है:

कुपोषण से तात्पर्य किसी व्यक्ति के ऊर्जा और/या पोषक तत्वों के सेवन में कमी, अधिकता या असंतुलन से है। कुपोषण शब्द स्थितियों के 3 व्यापक समूहों को संबोधित करता है:

- अल्पपोषण, जिसमें वेस्टिंग (ऊंचाई के अनुसार कम वजन), स्टॉटिंग (उम्र के हिसाब से कम ऊंचाई) और कम वजन (उम्र के हिसाब से कम वजन) शामिल हैं;
- सूक्ष्म पोषक तत्वों से संबंधित कुपोषण, जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी (महत्वपूर्ण विटामिन और खनिजों की कमी) या सूक्ष्म पोषक तत्वों की अधिकता शामिल है; तथा
- अधिक वजन, मोटापा और आहार से संबंधित गैर-संचारी रोग (जैसे हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह और कुछ कैंसर) भी कुपोषण में शामिल हैं।

भारत में कुपोषण की स्थिति:

- 2013 से भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 50% की वृद्धि के बावजूद, दुनिया

के एक तिहाई से अधिक कुपोषित बच्चे भारत में रहते हैं।

- हालांकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएस-5) ने विभिन्न पोषण संकेतकों में मामूली सुधार दिखाया है, जो दर्शाता है कि प्रगति की गति धीमी है। कई राज्यों में बच्चे पांच साल पहले की तुलना में अब अधिक कुपोषित हैं।
- एनएफएस सर्वेक्षणों में कुपोषण के रुझान बताते हैं कि कुपोषण का सबसे अधिक दिखाई देने वाला रूप या तो बढ़ गया है या वर्षों से स्थिर रहा है (वेस्टिंग को ऊंचाई के लिए कम वजन के रूप में परिभाषित किया गया है)।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की नवीनतम विज्ञप्ति के अनुसार भारत में 33 लाख से अधिक बच्चे कुपोषित हैं और उनमें से आधे से अधिक गंभीर रूप से कुपोषित श्रेणी में आते हैं, जिसमें महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात शीर्ष पर हैं।
- ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआई) रिपोर्ट 2021 के अनुसार, भारत ने 2020 में किसी भी देश की सबसे अधिक वेस्टिंग दर 17.3 प्रतिशत दर्ज की। इसके अलावा, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -5 (2019-21) के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में लगभग 35%, पांच साल से कम उम्र के बच्चे नाटपन से प्रभावित हैं।
- संयुक्त राष्ट्र नीति 2018 की रिपोर्ट है कि भारत में 10 में से लगभग चार बच्चे पुराने कुपोषण के कारण अपनी पूरी मानव क्षमता को पूरा नहीं कर पाते हैं।
- भारत में भी विश्व में रक्ताल्पता (एनीमिया) का सर्वाधिक प्रसार है। एनएफएस-5 सर्वेक्षण बताता है कि

57% से अधिक महिलाएं (15-49 वर्ष) और 67% से अधिक बच्चे (6-59 महीने) एनीमिया से पीड़ित हैं।

- NFHS-5 ने 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़े दिए और यह भी दिखाया कि 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2015-16 से 2019-20 में बच्चों में कुपोषण बढ़ा है।
- यूनिसेफ ने यह भी चेतावनी दी कि भारत में पांच साल से कम उम्र के 5,772,472 बच्चे (दुनिया में सबसे ज्यादा) गंभीर रूप से वेस्टिंग से प्रभावित हैं।
- हालांकि NFHS-5 (2019-21) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, NFHS-4 (2015-16) की तुलना में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पोषण संकेतकों में सुधार हुआ है। नाटपन 38.4% से घटकर 35.5% हो गई है, निर्बलता 21.0% से घटकर 19.3% हो गई है और कम वजन 35.8% से घटकर 32.1% हो गया है लेकिन स्थिति अभी भी चिंताजनक है।

भारत में कुपोषण के कारण:

- खाद्य असुरक्षा- विभिन्न देशों में किए गए शोध जिनमें बाल कुपोषण की व्यापकता अधिक है, से पता चलता है कि इस समस्या का एक महत्वपूर्ण कारण घरेलू खाद्य असुरक्षा है। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण राज्य (एसओएफआई) रिपोर्ट 2020 से पता चलता है कि 2014-16 में भारत की 27.8 प्रतिशत आबादी मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा से पीड़ित थी, जबकि 2017-19 में यह अनुपात बढ़कर 31.6 प्रतिशत हो गया। 2017-19 में खाद्य असुरक्षा के वैश्विक बोझ में भारत का

योगदान 22 प्रतिशत है, जो किसी भी देश के लिए सबसे अधिक है। वर्तमान में भारत GHI 2021 के अनुसार 135 देशों में 101वें स्थान पर है।

- गरीबी-कम क्रय शक्ति के कारण, गरीब परिवार के लिए वांछित मात्रा और वांछित गुणवत्ता का भोजन नहीं खरीद सकते। इससे उनकी शारीरिक श्रम करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उनकी आय घट जाती है।
- महिलाओं पर सामाजिक दबाव-लड़कियों के जल्दी विवाह से किशोर गर्भधारण होता है जिसके परिणामस्वरूप नवजात शिशुओं का जन्म वजन कम होता है, स्तनपान की खराब प्रथाएं और खराब पूरक आहार प्रथाएं होती हैं और महिलाओं और बच्चों के लिए कुपोषण का कारण होता है।
- बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति- वर्तमान में मुद्रास्फीति 7.8 प्रतिशत और खाद्य मुद्रास्फीति 8.4 प्रतिशत पर चल रही है। यदि भोजन की कीमतों में 20 प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो आय में कमी से परिवार 20 प्रतिशत कम भोजन वहन करने में सक्षम हो सकते हैं। खाद्य खरीद में इस तरह की कमी का बोझ महिलाओं और बच्चों पर पड़ने की संभावना अधिक है।

कोविड-19 महामारी का प्रभाव:

- कोविड-19 महामारी के प्रकोप और उसके बाद लगे प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप भारत के आधे गरीब लोग पौष्टिक भोजन से वंचित हो गए हैं। अपनी 2021 की वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट में, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने आहार की गुणवत्ता में संकुचन के कारण गंभीर और लंबे समय तक चलने वाले परिणामों की चेतावनी दी है।
- ब्रिटिश जर्नल नेचर में जुलाई 2021 में प्रकाशित एक पेपर में कहा कि अध्ययन में शामिल 118 देशों में सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) में अनुमानित गिरावट के आधार पर, पांच

साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या में अतिरिक्त 9.3 मिलियन की वृद्धि हो सकती है; 2019 की तुलना में 2022 में अनुमानित 2.6 मिलियन अतिरिक्त बच्चों के अविकसित होने की संभावना थी; और पांच साल से कम उम्र के बच्चों की लगभग 1,68,000 अतिरिक्त मौतें हो सकती है।

सरकार द्वारा की गयी पहलें:

- सरकार ने कुपोषण के मुद्दे को उच्च प्राथमिकता दी है और एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना (1975) के तहत आंगनवाड़ी सेवाएं, किशोरियों के लिए योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) जैसी कई योजनाओं को प्रत्यक्ष लक्ष्य के रूप में लागू कर रही है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 कानूनी रूप से 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है।
- इसके अलावा, 8 मार्च 2018 को शुरू किए गए पोषण अभियान का उद्देश्य एक समन्वित और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाकर देश में कुपोषण को कम करने का लक्ष्य है।
- मिशन पोषण 2.0, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बजट 2021-2022 में एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम की घोषणा की गई है।

निष्कर्ष:

कुपोषण के बोझ के विकासात्मक, आर्थिक, सामाजिक और चिकित्सीय प्रभाव व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए, समुदायों के लिए और देशों के लिए गंभीर और स्थायी हैं। इसलिए देश में कुपोषण को नियंत्रित करना आवश्यक है। हालांकि एनएफएचएस 5 इंगित करता है कि बाल पोषण में

सुधार हुआ है लेकिन गति धीमी है। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में उनके सतत विकास और जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अब निवेश बढ़ाने की अधिक आवश्यकता है।

NOTES



ग्रामीण परिवर्तन के प्रतिनिधि के रूप में कृषि तालाब

एक बैंक समर्थित एनजीओ ने कृषि तालाबों के सहयोग से हुबली-धारवाड़ क्षेत्र में कृषि की दशा को सकारात्मक रूप से बदल दिया है।

भारत में कृषि और जल उपयोग:

- भारत का लगभग आधा कार्यबल कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हाल के वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का योगदान 2014-15 के 18.2 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 18.8 प्रतिशत हो गया है।
- 61 प्रतिशत किसान वर्षा आधारित खेती करते हैं। भारत में 55 प्रतिशत फसल क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है, जबकि बाकी की सिंचाई नलकूपों, नहरों, कुओं, टैंकों और अन्य स्रोतों से की जाती है।
- भारत में कृषि का पचास प्रतिशत भूजल पर निर्भर करता है, जिसमें 39 मिलियन हेक्टेयर भूमि भूजल से सिंचित है, 22 मिलियन नहरों द्वारा और लगभग 100 मिलियन हेक्टेयर वर्षा पर निर्भर है।
- कृषि में भारत के उपलब्ध पानी का लगभग 80 प्रतिशत खपत होता है और कुल उत्पादन के 90 प्रतिशत में गन्ना, गेहूं और चावल जैसी पानी की खपत करने वाली किस्में शामिल हैं।

कृषि तालाबों के लाभ:

• लागत प्रभावी संरचनाएं:

- लागत प्रभावी संरचनाएं जो ग्रामीण आजीविका को बदल देती हैं।
- न केवल वर्षा बल्कि सतही अपवाह और उपसतह प्रवाह की कटाई के माध्यम से बेहतर जल नियंत्रण में सहायता।

• रिचार्ज पॉइंट:

→ कुछ कृषि तालाब विशेष रूप से पुनर्भरण बिंदुओं के रूप में कार्य करते हैं, जो भूजल पुनःपूर्ति में योगदान करते हैं।

• खाद्य सुरक्षा:

कृषि तालाबों ने खरीफ मौसम में पूरक सिंचाई प्रदान करने और रबी में सिंचाई कवरेज बढ़ाने में भी मदद की।

→ खरीफ में सबसे महत्वपूर्ण फसल धान की उपज स्थिर हो गई है, इस प्रकार अधिक खाद्य सुरक्षा में योगदान दे रहा है।

→ खेत के तालाबों में साल के 8-10 महीने पानी रहता है; इस प्रकार किसान फसल गहनता और फसल विविधीकरण को मौसम के भीतर और पूरे मौसम में बढ़ा सकते हैं। सब्जियों और अन्य व्यावसायिक फसलों की खेती करने वाले क्षेत्र में भी वृद्धि हुई।

• आर्थिक रूप से व्यवहार्य:

→ कुछ अध्ययनों से संकेत मिलता है कि 15 वर्षों में लगभग 19% की काफी उच्च आंतरिक दर के साथ तालाब भी वित्तीय रूप से व्यवहार्य प्रस्ताव थे।

→ वे पारंपरिक कपास, प्याज, आदि से परे पपीता जैसी जल-गहन और अधिक लाभदायक व्यावसायिक फसलों की खेती में भी सहायक होते हैं।

• लघु निवेश:

→ शून्य रखरखाव लागत और गहन प्रौद्योगिकी की आवश्यकता नहीं होने के कारण, कृषि तालाब न केवल बेहतर फसलों के माध्यम से बल्कि जलीय कृषि और मत्स्य पालन जैसे अन्य तरीकों के माध्यम से भी किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान कर सकते हैं।

कृषि तालाबों से जुड़ी चिंता:

- कुछ क्षेत्रों में एक स्व-स्थानी वर्षा जल

संचयन संरचना के रूप में कृषि तालाबों की व्यवस्था ने पूरी तरह से यू-टर्न ले लिया है। यहां, उनमें से कुछ व्यक्तिगत स्तर पर किसानों को लाभान्वित तो कर रहे हैं, लेकिन जल संरक्षण और पुनर्भरण में योगदान नहीं दे रहे हैं।

- इनका उपयोग मध्यवर्ती भंडारण बिंदुओं के रूप में किया जा रहा है, जो कि भूजल की कमी को तेज कर रहा है और वाष्पीकरण के नुकसान को बढ़ा रहा है क्योंकि भूजल को सतह पर लाया जाता है और अपेक्षाकृत उथले संरचनाओं में संग्रहीत किया जाता है।

- कुछ कृषि तालाबों का निर्माण इनलेट और आउटलेट प्रावधानों के बिना किया जा रहा है और उनकी दीवारों को जमीनी स्तर से केवल कुछ फीट ऊपर उठाया गया है। वे अतिरिक्त प्रवाह को रोक नहीं सकते क्योंकि कोई प्रवेशिका (प्रवेशद्वार) नहीं है, और इसलिए वर्षा जल संचयन के लिए उनका प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया जा सकता है।

- इसके अलावा कुछ किसान उन्हें प्लास्टिक लाइनिंग के माध्यम से नीचे की ओर पंक्तिबद्ध कर कर रिसाव को रोकते हैं और तालाबों को मध्यवर्ती भंडारण बिंदुओं में परिवर्तित करते हैं।

- ऐसे कृषि तालाबों का जल स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और पानी की हानि में तेजी आती है।

- सामान्यता इनका प्रयोग इस तरह से होता है -खोदे गए कुएं/या बोरवेल से पानी उठाना, तालाब में जमा करना और फिर इसे एक बार फिर से खेतों की सिंचाई के लिए खींचना, अक्सर सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग करना। सुरक्षित सिंचाई सुविधा प्रदान करते हुए, यह एक्वीफर से भूजल निकालने के

लिए प्रतिस्पर्धा को तेज करता है, जो एक सामान्य पूल संसाधन है।

कृषि तालाबों को सतत बनाना:

कृषि तालाबों को पारिस्थितिक रूप से सतत बनाने के लिए इन कदमों को उठाए जाने की आवश्यकता है:

- बोरवेलों का विनियमन और कृषि तालाबों के लिए भूजल का उपयोग।
- जल विज्ञान, स्थलाकृति, जलवायु पैटर्न, जनसंख्या आदि के आधार पर प्रत्येक गांव में कृषि तालाबों की संख्या और आकार को सीमित करना। इन प्रावधानों को योजना में ही शामिल किया जाना चाहिए।
- प्लास्टिक लाइनिंग के लिए विकल्प खोजना, जैसे WOTR (वाटरशेड ऑर्गनाइजेशन ट्रस्ट), पुणे जिसने कोटिंग के लिए 80 प्रतिशत मिट्टी और 20 प्रतिशत सीमेंट का प्रयोग किया, जिससे लागत 50 प्रतिशत कम हो गई और यह पारिस्थितिक रूप से प्रभावी और सतत पाया गया।
- घरेलू उपयोग के लिए कृषि तालाबों का उपयोग करना। यह प्रयोग मराठवाड़ा क्षेत्र में WOTR द्वारा सफलतापूर्वक किया गया था।
- सामुदायिक कृषि तालाबों का निर्माण स्थानीय लोगों की भागीदारी से योजना बनाने, कार्यान्वयन से लेकर रखरखाव तक, लाभार्थियों के बीच स्वामित्व पैदा करने के लिए किया गया था। इससे गांव में तालाबों की संख्या कम करने में भी मदद मिली।
- वाष्पीकरण को कम करने के लिए तालाब की सतहों को ढंकना। वाष्पीकरण को कम करने और पूरक आय प्रदान करने के लिए एक्वापोनिक्स का अभ्यास किया जा सकता है और हो सके तो मछली पालन भी।
- न्यूनतम सतह क्षेत्र और अधिक गहराई के साथ बनाए गए फार्म तालाब भी तापमान 40 डिग्री से ऊपर बढ़ने पर वाष्पीकरण को कम कर सकते हैं।
- छोटे और सीमांत किसानों द्वारा उपलब्ध

कृषि भूमि को तालाबों में परिवर्तित करने से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए सब्सिडी का प्रावधान करना तथा इसके अंतर्गत खेती के तहत क्षेत्र को कम करना।

- ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं पर ध्यान दें जो बड़ी सिंचाई परियोजनाओं जैसे बांध, नहर सिंचाई, आदि की तुलना में अधिक ब्याज दर प्रदान करती हैं।
- खाद्य प्रसंस्करण जैसे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, इस प्रकार किसानों को पानीखोर फसलों के स्थान पर विभिन्न फसलों की खेती के लिए प्रेरित करना। कुटीर उद्योगों का निर्माण स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों की मदद से किया जा सकता है जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार और आय के अवसर मिलते हैं।

केस स्टडी:

एक एनजीओ 'देशपांडे फाउंडेशन' द्वारा उत्तरी कर्नाटक और तेलंगाना में केस स्टडी के दौरान मिले साक्ष्य इंगित करते हैं कि किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने के साथ, कॉरपोरेट्स द्वारा सीएसआर खर्च, एसबीआई जैसे बैंकों द्वारा केंद्रित ऋण और नाबार्ड जैसे संस्थानों का समर्थन द्वारा जमीनी स्तर पर बड़े बदलाव संभव हैं।

धारवाड़, बेल्लारी, कालाबुरागी और करीम नगर जैसे जिलों में, फाउंडेशन के तत्वावधान में बनाए गए 12 फीट की गह. राई के साथ 100 × 100 फीट के आकार के कृषि तालाब अब बिना बड़ी सिंचाई प्रणालियों की उपलब्धता के भी किसानों को अपनी फसलों के लिए पानी निकालने में मदद कर रहे हैं। एकल फसलों की बजाय लाभार्थी अब एक साथ कई फसलें तैयार करते हैं जिससे स्वाभाविक रूप से, उत्पादन में वृद्धि हुई है।

आगे की राह:

- कुल मिलाकर, कृषि तालाब प्रभावी कृषि संरचनाओं के रूप में कार्य कर सकते हैं और अच्छा वित्तीय लाभ भी

दे सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें केवल भूजल और नहर के पानी के भंडारण के लिए बढ़ावा दिया जाता है, तो वे ग्रामीण इलाकों में पानी के संकट को कम करने के बजाय और तेज कर सकते हैं।

- बुंदेलखंड में कृषि तालाबों के माध्यम से सुनिश्चित सिंचाई के कारण कुछ किसान मछली पालन की योजना बना रहे हैं तथा अपने खेतों में सिंचाई (वाटर चेस्टनट) की फसल तैयार कर रहे हैं साथ ही मेड़ों पर फलदार वृक्ष लगाकर अतिरिक्त आय अर्जित करने की भी संभावना है। वर्षा जल के संचयन और संरक्षण को बेहतर करके, सिंचाई क्षमता पैदा करके और सूखे से बचाव के साधन प्रदान करके, कृषि तालाबों ने दिखाया है कि वे बुंदेलखंड जैसे सूखे क्षेत्रों के लिए भी एक संभावित गेम-चेंजर हो सकते हैं।

NOTES



संक्षिप्त मुद्दे

खबरों में क्यों?

भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना अब पूरी तरह से चालू हो गई है। एनटीपीसी ने 01 जुलाई, 2022 से रामागुंडम, तेलंगाना में 100 मेगावाट रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना में से 20 मेगावाट की अंतिम भाग को पूर्ण क्षमता से वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की।

रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट के बारे में:

रामागुंडम में 100 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना उन्नत तकनीक और पर्यावरण के अनुकूल सुविधाओं से संपन्न है। कुल निर्माण लागत भेल(बीएचइएल) अनुबंध के साथ ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रो. क्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन) के माध्यम से 423 करोड़ रुपये है।

यह परियोजना अपने जलाशय के 500 एकड़ में फैली हुई है, जो 40 ब्लॉकों में विभ. जित है, प्रत्येक की क्षमता 2.5 MW है। प्रत्येक ब्लॉक में एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म और 11,200 सौर मॉड्यूल की एक सारण गी होती है।

यह परियोजना इस मायने में अनूठी है कि इन्वर्टर, ट्रांसफार्मर, एचटी पैनेल, पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण आदि सहित सभी विद्युत उपकरण भी फ्लोटिंग सीमेंट प्लेटफॉर्म पर हैं।

समाचार में अन्य तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र:

हाल ही में टाटा पावर सोलर सिस्टम्स ने केरल के बैकवाटर्स में 101.6 मेगावाट पीक पावर के साथ भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना शुरू की है।

- रिहंद बांध (50 मेगावाट) राज्य-उत्तर प्रदेश
- कायमकुलम परियोजना (92 मेगावाट) राज्य-केरल
- गेतलसूद बांध परियोजना (100 मेगा. वाट) राज्य-झारखंड
- रामागुंडम जलाशय (100 मेगावाट) राज्य-तेलंगाना
- ओंकारेश्वर जलाशय (600 मेगावाट) राज्य-मध्य प्रदेश

भादला सोलर पार्क भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। यह भादला, फलोदी तहसील, जोधपुर जिले, राजस्थान में कुल 14,000 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है।

सौर ऊर्जा से संबंधित पहल:

राष्ट्रीय सौर मिशन: यह प्रमुख मिशनों में से एक के रूप में राष्ट्रीय सौर मिशन के साथ जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) 2008 का हिस्सा है।

INDCs का लक्ष्य: यह 2022 तक 100 GW ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखता है।

यह गैर-जीवाश्म ईंधन से लगभग 40% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करने के लिए भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निध रित योगदान (INDCs) के लक्ष्य के अनुरूप है, ताकि इसके सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 2030 तक 33 से 35% तक कम किया जा सके।

आईएसए: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की घोषणा भारत के प्रधान मंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 2015 में पेरिस, फ्रांस में पार्टियों के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परि-

वर्तन सम्मेलन के 21 वें सत्र में की गई थी। **वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड:** भारत के पास एक महत्वाकांक्षी सीमा पार पावर ग्रिड योजना 'वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड' है, जो एक क्षेत्र में उत्पन्न सौर ऊर्जा को जरूरत और मांगों के साथ दूसरे को हस्तांतरित करना चाहता है।

लाभ:

भूमि अधिग्रहण के मुद्दों का समाधान: नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र मालिकों के सामने प्रमुख चुनौतियां भूमि अधिग्रहण, ग्रिड कनेक्टिविटी, विनियम आदि हैं। जिसे इसके माध्यम से हल किया जा सकता है। फ्लोटिंग सोलर उपलब्ध अन्य उपयोगों जैसे खेती या निर्माण के लिए भूमि को बचाते हैं।

शीतलन प्रभाव: पानी के निकायों में बेहतर शीतलन प्रभाव होता है, जो सौर फोटोवोल्टिक पैनलों के प्रदर्शन में 5-10% तक सुधार करता है। अन्य लाभ: ग्रिड इंटरकनेक्शन लागत, अल्गी ब्लूमिंग, जल वाष्पीकरण के प्रभाव को कम करता है, और पानी की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है।

चुनौतियां:

बढ़ी हुई लागत: इंजीनियरिंग और निर्माण लागत आमतौर पर जमीन पर लगे सोलर फार्म की तुलना में अधिक होती है।

सुरक्षा मुद्दे: जमीन की तुलना में केबल प्रबंधन और इन्सुलेशन परीक्षण पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, खासकर जब केबल पानी के संपर्क में हों।

निम्नीकरण और जंग: एक तैरते हुए सौर संयंत्र में गतिमान भाग होते हैं जो निरंतर घर्षण और यांत्रिक तनाव के अधीन होते हैं।

खबरों में क्यों?

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSE-L),

शिक्षा मंत्रालय ने आज 2018-19 और 2019-20 के लिए जिलों के लिए प्रदर्शन

ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI-D) जारी किया। यह व्यापक विश्लेषण के लिए जिला स्तर पर

स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन का आकलन करता है।

पीजीआई-डी के बारे में:

पीजीआई-डी ने व्यापक विश्लेषण के लिए एक सूचकांक बनाकर स्कूली शिक्षा प्रणाली में जिला स्तर के प्रदर्शन का आकलन किया। जो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (UDISE+), नेशनल अचीवमेंट सर्वे (NAS)-2017 और संबंधित जिलों द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा सहित विभिन्न स्रोतों से एकत्र किए गए डेटा पर आधारित है।

कार्यप्रणाली:

पीजीआई-डी संरचना में 83 संकेतकों में कुल 600 अंक शामिल हैं, जिन्हें 6 श्रेणियों के तहत समूहीकृत किया गया है। इन श्रेणियों को आगे 12 डोमेन में विभाजित किया गया है। आकलन ग्रेड: पीजीआई-डी जिलों को 10 ग्रेड में वर्गीकृत करता है। उच्चतम प्राप्त करने योग्य ग्रेड 'दक्ष' है, उस श्रेणी या समग्र में कुल अंक के 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले जिलों के लिए, फिर 'उत्कर्ष' (81% से 90%), 'अति उत्तम' (71% से 80%), 'उत्तम' (61% से 70%), 'प्रचेरुता-1' (51% से 60%) और 'प्रचेरुता-2' (41% से 50%) आदि।

पीजीआई-डी में निम्नतम ग्रेड 'आकांक्षी-3' है जो कुल अंकों के 10% तक के स्कोर के लिए है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं:

रिपोर्ट में राजस्थान के तीन जिलों ने सर्व.

श्रेष्ठ प्रदर्शन किया; ये सीकर, झुंझुनू और जयपुर हैं।

उत्कर्ष ग्रेड में राजस्थान में सबसे अधिक 24 जिले हैं, इसके बाद गुजरात और केरल में 13 जिले हैं।

12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अति-उत्तम और उत्तम श्रेणी में एक भी जिला नहीं है। ये राज्य हैं बिहार, गोवा, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड। आठ जिलों ने अपने पीजीआई स्कोर में 20% से अधिक सुधार किया और 14 जिलों ने 10% से अधिक सुधार किया। अन्य 423 जिलों ने 10% से भी कम सुधार किया। डिजिटल लर्निंग (डीएल) श्रेणी में 20 जिलों ने स्कोर में 20% से अधिक सुधार दिखाया है और 43 जिलों ने 10% से अधिक का सुधार दिखाया है।

रिपोर्ट डिजिटल लर्निंग के क्षेत्र में स्पष्ट ग्रामीण-शहरी विभाजन को भी रेखांकित करती है। चंडीगढ़ और दिल्ली जैसे जिलों ने 50 में से 25 से 35 के बीच स्कोर किया, बिहार के अररिया और किशनगंज जैसे जिलों ने 2 से कम स्कोर किया है।

इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, स्टूडेंट एंटाइटेल्मेंट (आईएफ एंड एसई) श्रेणी में, कुल मिलाकर 478 जिलों ने स्कोर में सुधार किया। 478 जिलों में से 37 जिलों में 20% से अधिक और 115 जिलों में 10% से अधिक सुधार हुआ है।

इफेक्टिव क्लासरूम ट्रांजैक्शन के तहत कुल

510 जिलों ने स्कोर में सुधार किया है। 18 जिलों में 20% से अधिक सुधार हुआ है और 29 जिलों ने अपने स्कोर में 10% से अधिक सुधार किया है।

आगे की रेंहें:

यह बिल्कुल सच है कि किसी भी देश का भविष्य और समग्र विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उसके नागरिक कितने शिक्षित हैं।

भारत ने 1947 से आज तक शिक्षा में उल्लेखनीय सुधार दिखाया है। फिर भी हर क्षेत्र में कुछ आवश्यक सुधार की आवश्यकता है।

समावेशी, सहभागी और समग्र दृष्टिकोण को सुगम बनाने के उद्देश्य से नई शिक्षा नीति का बेहतर क्रियान्वयन आवश्यक है।

माता-पिता को अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने के लिए प्रोत्साहित करें।

उचित बुनियादी ढांचे में सुधार करना और पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति करना।

स्कूलों (विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में) को कंप्यूटर और तकनीकी शिक्षा से लैस करने की आवश्यकता है।

स्कूलों और कॉलेजों में नवीन शिक्षण विधियों को बढ़ावा देना।

क्षेत्र के अनुभवों, अनुभवजन्य अनुसंधान, हितधारक प्रतिक्रिया, साथ ही सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखे गए पाठों के साथ समन्वय में सुधार करें।

3

राज्यों की स्टार्ट अप रैंकिंग-2021

खबरों में क्यों

हाल ही में, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने राज्यों की स्टार्ट अप रैंकिंग 2021 का परिणाम जारी किया है।

- रैंकिंग अक्टूबर 2019 से जुलाई 2021 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को मान्यता देती है, जिसका लक्ष्य उनके बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है।

- रैंकिंग ने राज्यों को श्रेणी ए और श्रेणी

बी राज्यों के तहत वर्गीकृत किया है।

राज्यों की रैंकिंग

- रैंकिंग के उद्देश्य से, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पांच श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया गया है जैसे कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, शीर्ष प्रदर्शन, नेता, महत्वाकांक्षी नेता और उभरते हुए स्टार्ट अप इकोसिस्टम।

- राज्यों का मूल्यांकन 7 व्यापक सुधार क्षेत्रों में किया जाता है जिसमें 26 कार्य बिंदु

शामिल हैं।

- यह अभ्यास देश में स्टार्ट अप के लिए कारोबारी माहौल को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- गुजरात और कर्नाटक राज्यों की सर्वश्रेष्ठ कलाकार (best performing) श्रेणी के रूप में उभरे हैं जिनमें दिल्ली एनसीआर भी शामिल है। मेघालय ने केंद्र शासित प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त

किया है

- महाराष्ट्र, जिसने 2020 रैंकिंग में लीडर श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था, ने अपनी स्थिति में सुधार किया है और तेलंगाना, केरल और ओडिशा के साथ एक शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है।
- असम, पंजाब और तमिलनाडु श्रेणी ए राज्यों में रैंकिंग में अग्रणी के रूप में उभरे हैं।
- दिल्ली के साथ छत्तीसगढ़ ने एक महत्वा. कांक्षी नेता के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की।
- आंध्र प्रदेश और बिहार रैंकिंग में उभरते हुए स्टार्ट अप इकोसिस्टम राज्यों के रूप में उभर के आये है
- श्रेणी बी राज्यों में मेघालय में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं और जम्मू कश्मीर शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है।
- रैंकिंग में चंडीगढ़ को श्रेणी बी राज्यों में महत्वाकांक्षी नेता के रूप में स्थान दिया गया। अंडमान और निकोबार ने श्रेणी बी राज्य में नेता के रूप में स्थान हासिल किया है।
- मिजोरम और लद्दाख श्रेणी बी राज्यों में उभरते हुए स्टार्ट अप इकोसिस्टम राज्यों के रूप में उभर के आए है

7 सुधार क्षेत्रों में अग्रणी राज्य

- प्रत्येक सुधार क्षेत्र में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक नेता के रूप में मान्यता दी गई है।
 - गुजरात, कर्नाटक और केरल को संस्थागत चौपियन में रखा है।
 - कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना नवोन्मेषी नेता के रूप में उभरे हैं।
 - इन्क्यूवेशन हब श्रेणी में गुजरात, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर शीर्ष पर हैं।
 - गुजरात और कर्नाटक मेंटरशिप श्रेणी में भी शीर्ष पर हैं।
 - गुजरात, कर्नाटक और केरल को क्षमता निर्माण के अग्रणी राज्यों के रूप में मान्यता दी गई है।
- स्टेट स्टार्ट अप रैंकिंग अभ्यास के बारे में**
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) देश भर में स्टार्ट-अप और व्यवसाय करने में आसानी की सुविधा के लिए 2018 से राज्यों को रैंकिंग अभ्यास शुरू किया है, यह संस्करण 31 भाग लेने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ, जो अब तक का सबसे अधिक है की रैंकिंग करता है। राज्य स्टार्ट-अप रैंकिंग अभ्यास का उद्देश्य

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने में सहायता करना और प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना है।

- 31 प्रतिभागी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से प्रत्येक के लिए एक राज्य विशिष्ट रिपोर्ट भी जारी की गई है, जिसमें संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र का व्यापक विश्लेषण है, जो भविष्य के लिए ताकत और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर प्रकाश डालता है।

निष्कर्ष

भारत स्टार्ट अप क्षेत्र में विश्व में अग्रणी के रूप में उभरा है। भारत ने अपने आप को स्टार्ट अप इकोसिस्टम में शीर्ष तीसरे स्थान पर स्थापित किया है। 100 से अधिक स्टार्ट अप को यूनिकॉर्न स्टार्ट अप के रूप में मान्यता दी गई है। यूनिकॉर्न एक स्टार्ट अप है जिसका कुल बाजार मूल्य लगभग 1 बिलियन डॉलर होता है। भारत सरकार ने स्टार्ट अप इकोसिस्टम की सुविधा के लिए कई योजनाएँ शुरू की थीं जैसे स्टार्ट अप इंडिया योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना और मुद्रा योजना आदि।

4

डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022

डिजिटल इंडिया वीक 2022, कैटालिजिंग न्यू इंडियाज टेकेड थीम के साथ 4 जुलाई को गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुआ। 4 जुलाई से 9 जुलाई तक चलने वाले इस कार्यक्रम ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की प्रमुख पहल की पथ-प्रदर्शक यात्रा का जश्न मनाया जायेगा, जिसे वर्ष 2015 में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था।

कार्यक्रम में लांच की पहले

डिजिटल इंडिया भाषिणी

- यह भारतीयों को स्थानीय भाषा में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करेगा।

डिजिटल इंडिया जेनेसिस

इनोवेटिव स्टार्टअप के लिए जनरल नेक्स्ट सपोर्ट (gen-next support) -एक नेशनल

डीप टेक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म।

माई स्कीम

यह एक ही स्थान पर सरकारी योजना तक पहुंच प्रदान करेगा

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के बारे में

- डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। कार्यक्रम में तीन मुख्य दृष्टि क्षेत्र हैं।
 - डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर हर नागरिक की मुख्य उपयोगिता है
 - मांग पर सरकार और सेवा
 - नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण
- डिजिटल इंडिया: प्रमुख पहल और प्रगति आधार**
यह प्रत्येक भारतीय निवासी को एक विशिष्ट

पहचान या आधार संख्या प्रदान करने के लिए 2009 में शुरू किया गया था। UIDAI के अनुसार अप्रैल 2021 तक कुल 129 करोड़ भारत के पास आधार है

डिजिटल लॉकर

- इसे 2015 में आवश्यक दस्तावेजों या प्रमाणपत्रों को जारी करने, विनिमय करने और सत्यापित करने के लिए क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। भारत में 3.3 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं।

स्मार्ट सिटी कार्यक्रम

- इसे विभिन्न तकनीकों का लाभ उठाकर सभी भारतीय शहरों को स्मार्ट शहरों में बदलने के लिए 2015 में शुरू किया गया था। 2019 से 2023 के बीच क्षेत्र-आधारित

और पै-सिटी विकास के लिए 100 शहरों का चयन किया गया है।

कॉमन सर्विस सेंटर

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत, सीएससी 2.0 का लक्ष्य ग्राम पंचायतों में 2.5 लाख सीएससी केंद्रों का एक आत्मनिर्भर नेटवर्क स्थापित करना है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लागू किया गया था। अब तक भारत में लगभग 3.74 लाख सीएससी कार्यरत हैं।

डाकघर का डिजिटल इजेशन

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत, सरकार का लक्ष्य 1.5 लाख डाकघरों को कई सेवा केंद्रों में बदलना है। अब तक भारत में लगभग 1.55 लाख पोस्ट पेमेंट बैंक काम कर रहे हैं।

प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडिशा)

इसे 2017 में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य मार्च 2020 तक 6 करोड़ ग्रामीण नागरिकों को कवर करना है, जिसमें प्रत्येक पात्र परिवार के एक सदस्य को लक्षित किया

गया है।

ई-स्वास्थ्य

इसे ऑनलाइन बुकिंग, भुगतान और परामर्श जैसी समय पर और प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करने के लिए पेश किया गया था।

मेरी सरकार

विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करके सरकार को लोगों के करीब लाने के लिए इसे 2014 में लॉन्च किया गया था।

भारत नेट

इसे 2012 में सभी 250,000 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट सेवाओं के माध्यम से जोड़ने के लिए पेश किया गया था।

समय की आवश्यकता क्यों है डिजिटल इंडिया

भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने और जीवन को आसान बनाने के लिए डिजिटल इंडिया और नयी तकनीक जरूरी है। यद्यपि यह ज्ञात तथ्य है कि भारत नई तकनीक और डिजिटल जीवन शैली से सुशोभित है जो भारतीय नागरिक को बहुत मदद करता है, लेकिन डिजिटल समावेश भी आवश्यक है।

● डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से कई नई संभावनाएं सामने आई हैं और लोगों को बैंकिंग, राशन की दुकान और गैस की दुकान आदि जैसी सेवा लेने के लिए कई क्षेत्रों में अधिक बाधा का सामना नहीं करना पड़ता है।

● अब डिजिटल भुगतान इतना आसान हो गया है कि लोग डिजिटल माध्यम से किसी को एक रुपये का भुगतान कर सकते हैं। यह सिस्टम से काले धन और भ्रष्टाचार को खत्म करने में और सरकार को अपने राजस्व को बढ़ाने में मदद करता है।

निष्कर्ष

UPI के बढ़ते उपयोग ने संकेत दिया है कि भारत में अधिक लोग डिजिटल जीवन शैली अपना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, ब्लॉक चेन जैसी प्रौद्योगिकी के उद्भव के साथ, सरकार भारत में डिजिटल और तकनीकी विकास को और सक्षम बनाने के लिए इन नए तरीकों का उपयोग कर सकती है।

5

एमपी एमएलए कोर्ट (MP/MLA COURT)

चर्चा में क्यों?

1996 में हुये उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान अधिकारी और अन्य लोगों से मारपीट करने के मामले में सपा प्रत्याशी रहे राज बब्बर को एमपी/एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है।

MP/MLA कोर्ट के बारे में-

- 2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में आदेश दिया था कि सांसदों और विधायकों के लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने के लिए देश भर में विशेष अदालतें स्थापित की जाएं।
- इसके बाद, 11 राज्यों में विशेष रूप से मौजूदा सांसदों और विधायकों के मुकदमों की सुनवाई के लिए 12 विशेष अदालतें स्थापित की गईं।
- 12 विशेष न्यायालय (दिल्ली के राष्ट्रीय

राजधानी क्षेत्र में 02 और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल राज्य में प्रत्येक में 01) का गठन किया गया था। वर्तमान में 9 राज्यों में 10 विशेष न्यायालय कार्य कर रहे हैं (बिहार और केरल की विशेष अदालतों को शीर्ष अदालत के दिनांक 04.12.2018 के निर्देश के अनुसार बंद कर दिया गया था)।

● इसमें हाल में ही सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर अपराध को दो श्रेणियों में बांट दिया गया है। पहले वह मुकदमा जो सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षण में है एवं सुनवाई सत्र अदालत में होनी है। दूसरा, छोटे अपराध से संबंधित मामले मजिस्ट्रेट न्यायालय में सुने जाने हैं।

● सितंबर 2020 में, SC द्वारा नियुक्त एमिकस

क्यूरी (अदालत के मित्र) ने अपनी रिपोर्टों में इस बात पर प्रकाश डाला कि MPs/ MLAs के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन के बावजूद, 4,442 आपराधिक मामलों में 2,556 मौजूदा सांसद और विधायक शामिल हैं।

राजनीति में बढ़ता अपराधीकरण-

एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स (एडीआर) के अनुसार, वर्तमान लोकसभा सदस्यों (2019) में से लगभग आधे के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, जो कि 2014 (16th L-S) की तुलना में 26% अधिक है।

कारण-

1. चुनाव में धनबल और बाहुबल का बढ़ता प्रयोग।
2. कानूनों और SC के निर्णयों के प्रवर्तन का अभाव।

3. जनता में जागरूकता की कमी।

4. राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लो. कतंत्र का आभाव, इत्यादि।

इस संबंध में पहल-

1. 'जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951' की धारा 8, कुछ अपराधों के लिए दोषसिद्धि पर अयोग्यता तय करती है। इसके अनुसार दो साल से अधिक की जेल की सजा वाला व्यक्ति जेल की अवधि समाप्त होने के बाद, छह साल तक चुनाव में भाग नहीं ले सकता है।

हालांकि ये कानून ऐसे व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से नहीं रोकता जिनके खिलाफ आप. राधिक मामले लंबित हैं।

2. एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म

(एडीआर) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय में, धारा 33-ए को सम्मिलित करके लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया गया था, जिसमें एक उम्मीदवार को यह जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है कि क्या उस पर दो साल के कारावास या किसी भी अपराध का आरोप है। लंबित मामले जिनमें आरोप तय किए गए हैं और क्या उन्हें एक वर्ष या उससे अधिक के लिए दोषी ठहराया गया है। राजनीति का बढ़ता अपराधीकरण और भ्रष्टा. चार लोकतंत्र की जड़ पर प्रहार करता है। राजनीतिक दल के मामलों को विनियमित करने के लिए, एक स्वच्छ चुनावी प्रक्रिया का होना आवश्यक है।

आगे की राह-

1. चुनावी सुधारों पर विभिन्न समितियों (दिनेश गोस्वामी, इंद्रजीत समिति) ने चुनावों के लिए राज्य के वित्त पोषण (STATE FUNDING) की सिफारिश की है जो चुनावों में काले धन के उपयोग को काफी हद तक रोकेंगे और इस तरह राजनीति के अपराधीकरण को रोकने में मदद मिलेगी।
2. भारत के चुनाव आयोग को मजबूत करना अनिवार्य है।
3. चुनावों के दौरान धन, उपहार और अन्य प्रलोभनों के दुरुपयोग के बारे में भी मतद. ताओं को सतर्क रहने की आवश्यकता है।
4. इंट्रा-पार्टी डेमोक्रेसी को बढ़ावा देना।

अंतर्राष्ट्रीय

1

नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022

खबरों में क्यों?

● हर साल नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, या विश्व ड्रग दिवस, 26 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य समाज पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरनाक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना और इसके बिना एक दुनिया बनाना है।

● विश्व औषधि दिवस के अवसर पर UNODC वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 भी जारी की गई।

विश्व औषधि दिवस के बारे में

इतिहास:

7 दिसंबर 1987, को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया, जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त एक अंतर्राष्ट्रीय समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने

के लिए कार्रवाई और सहयोग को मजबूत करने के अपने दृढ़ संकल्प की अभिव्यक्ति के रूप में है।

थीम:

● इस वर्ष का विषय "स्वास्थ्य और मानवीय संकटों में नशीली दवाओं की चुनौतियों का समाधान" है। इसका उद्देश्य तथ्यों को साझा करके उपचार, रोकथाम और देखभाल के तरीके प्रदान करके गलत सूचनाओं से लड़ना है।

● इस वर्ष, ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी) ने भी विश्व ड्रग दिवस के लिए अभियान - "#CareInCrisis" शुरू किया।

महत्व:

● हर साल दुनिया भर में व्यक्तियों, समुदायों और विभिन्न संगठनों द्वारा समर्थित, इस वैश्विक पालन का उद्देश्य उस बड़ी समस्या के बारे में जागरूकता बढ़ाना है जो अवैध ड्रग्स समाज का प्रतिनिधित्व करती है।

● "2022 में, दुनिया अफगानिस्तान, यूक्रेन और अन्य जगहों पर व्यापक मानवीय संकटों का गवाह बनी हुई है, जबकि कोविड -19 महामारी अभी भी एक प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य संकट है।

वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 की मुख्य विशेषताएं:

वैश्विक:

● वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 को यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम (यूएनओडीसी) द्वारा जारी किया गया है

● रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में दुनिया भर में 15-64 आयु वर्ग के लगभग 284 मिलियन लोगों ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया, जो पिछले दशक की तुलना में 26 प्रतिशत अधिक है।

● अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में, 35 वर्ष से कम आयु के अधिकांश लोग नशीली दवाओं के उपयोग संबंधी विकारों का इलाज

कर रहे हैं।

- वैश्विक स्तर पर, रिपोर्ट का अनुमान है कि दुनिया भर में 11.2 मिलियन लोग ड्रग्स का इंजेक्शन लगा रहे हैं। इनमें से लगभग आधी संख्या हेपेटाइटिस सी के साथ जी रही है, 1.4 मिलियन एचआईवी के साथ जी रहे हैं, और 1.2 मिलियन दोनों के साथ जी रहे हैं।
- 2020 में कोकीन का निर्माण रिकॉर्ड ऊँचाई पर था, 2019 से 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- 2021 में वैश्विक स्तर पर जूट की गई लगभग 90% कोकीन की तस्करी कंटेनरों/या समुद्र के रास्ते की गई थी।
- महिलाएं एम्फैटेमिन के अनुमानित 45-49% उपयोगकर्ताओं और फार्मास्युटिकल उत्तेजक, फार्मास्युटिकल ओपिओइड, सेडेटिव और ट्रैन्क्विलाइजर के गैर-चिकित्सा उपयोगकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं।

भारत:

- भारत ड्रग उपयोगकर्ताओं के मामले में दुनिया के सबसे बड़े अफीम बाजारों में से एक है और संभावित रूप से बढ़ी हुई आपूर्ति के प्रति संवेदनशील है।
- भारत नशीले पदार्थों की तस्करी के प्रति संवेदनशील है क्योंकि यह 'गोल्डन क्रिसेंट' (पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान) और 'गोल्डन ट्राएंगल' (म्यांमार, थाईलैंड और लाओस) के बीच स्थित है, जो दुनिया के प्रमुख अफीम उत्पादन क्षेत्र हैं।
- भारत में 2020 में 5.2 टन अफीम की चौथी सबसे बड़ी मात्रा जब्त की गई है, और तीसरी सबसे बड़ी मात्रा में मॉर्फिन भी उसी वर्ष 0.7 टन पर जब्त किया गया है।
- भारत में 2020 में लगभग 3.8 टन हीरोइन को जब्त किया गया, जो दुनिया में पांचवीं सबसे ज्यादा है।

आगे की राह :

- विश्व नशीली दवाओं की समस्या के हर पहलू को संबोधित करने के लिए आवश्यक संसाधन और ध्यान देने की आवश्यकता है।
- यह आवश्यक है कि दुनिया भर के नीति निर्माताओं को कोका बुश की अवैध खेती वाले देशों में आर्थिक विकास और वैकल्पिक आजीविका को शामिल करते हुए समग्र नशीले पदार्थों की आपूर्ति में कमी की रणनीति तैयार की जाए।
- ड्रग नीति दृष्टिकोण को संघर्ष और संघर्ष क्षेत्रों में शांति निर्माण प्रतिक्रिया में एकीकृत किया जाना चाहिए।
- सरकारों को संबंधित वित्तीय प्रवाहों को प्रकट करने और समाप्त करने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय अपराधों की अधिक व्यापक जटिल और गहन जांच को प्रोत्साहित करना चाहिए।

2

भारत-जापान संबंधों में शिंजो आबे का योगदान

खबरों में क्यों

जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की नारा में एक चुनाव प्रचार के दौरान 41 साल के एक व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस त्रासदी ने दुनिया को झकझोर दिया, प्रधानमंत्री के सम्मान को चिह्नित करने के लिए, भारत सरकार ने फैसला किया था कि भारत 9 जुलाई 2022 को राजकीय शोक मनाएगा। पूरे देश में लोग इस खबर को देखकर दुख महसूस कर रहे हैं।

शिंजो आबे के बारे में

शिंजो आबे (21 सितंबर 1954 - 8 जुलाई 2022) एक जापानी राजनेता थे, जिन्होंने 2006 से 2007 तक और फिर 2012 से 2020 तक पीएम जापान और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वे जापानी इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे। आबे ने 2005 से 2006 तक जुनिचि.रो कोइजुमी के तहत मुख्य कैबिनेट सचिव के रूप में भी कार्य किया और 2012 में

विपक्ष के कुछ समय के लिए नेता थे। वे वैश्वीकरण और स्वतंत्र इंडो पैसिफिक अवधारणा के कट्टर समर्थक थे। चीन की विस्तारवादी नीति के कारण उसके कार्यकाल में चीन के साथ संबंध अच्छे नहीं थे।

भारत जापान संबंध में योगदान

आबे ने भारत जापान रणनीतिक संबंधों को उन्नत करने की मांग की। आबे ने 2007 में जापान, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता शुरू की। जनवरी 2014 में वह मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली में भारत के गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले पहले जापानी नेता बने। इस यात्रा के दौरान उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की और आर्थिक, रक्षा और सुरक्षा के मुद्दे पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की और पर्यटन ऊर्जा और दूरसंचार से संबंधित व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए। 2014 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी की पहली जापान यात्रा ने दुर्लभ पृथ्वी तत्व, संयुक्त समुद्री अभ्यास

और परमाणु सहयोग सहित कई नए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

बड़ी परियोजना

अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना

इसमें अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना के निर्माण के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसमें जापान शिंकांसेन तकनीक का उपयोग करके 505 किमी ट्रैक का निर्माण शामिल था। यह परियोजना 2017 में भारत में उनकी आधिकारिक यात्रा के दौरान शुरू की गई थी।

इंडो पैसिफिक

अगस्त 2007 में, जब शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री के रूप में भारत आए, तो उन्होंने प्रसिद्ध "दो समुद्रों का संगम" भाषण दिया, जिसने इंडो-पैसिफिक की अपनी अवधारणा की नींव रखी। उनका ऐतिहासिक भाषण इंडो पैसिफिक संबंधों के लिए बेंचमार्क और नींव बन गया।

परमाणु समझौता

2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जापान गए

थे, तब भी भारत जापान सौदा अनिश्चित था क्योंकि टोक्यो एनपीटी सदस्य देश के साथ एक समझौते के बारे में संवेदनशील था। हालांकि शिंजो आबे सरकार ने जापान में परमाणु-विरोधी हॉक को 2016 में समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मना लिया। इसके साथ भारत और जापान के बीच परमाणु समझौता हुआ

चीन का मुकाबला करने का संयुक्त प्रयास

चीनी आक्रमण के बारे में बढ़ती चिंताओं के परिणामस्वरूप टोक्यो और दिल्ली ने द्विपक्षीय संबंधों को पुनः पुनः स्वरूप प्रदान किया है ताकि उन्हें भारत के उत्तर-पूर्व में संयुक्त परिणयोजनाओं को शुरू करने से अधिक महत्वाकांक्षी बनाया जा सके। क्वाड को 2017 में पुनर्जीवित किया गया। अफ्रीका में चीन की बीआरआई परियोजना का मुकाबला करने के लिए एशिया अफ्रीका विकास गलियारा जापान और भारत का संयुक्त प्रयास है।

निष्कर्ष

शिंजो आबे भारत के सबसे भरोसेमंद साझेदारों में से एक थे। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को “विशेष रणनीतिक वैश्विक साझेदारी” में अपग्रेड करने पर सहमति दी, जिसमें एक ऐसा संबंध था जिसमें नागरिक परमाणु ऊर्जा से लेकर समुद्री सुरक्षा, बुलेट ट्रेन से लेकर गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे तक, एक ईस्ट पॉलिसी से लेकर इंडो पैसिफिक रणनीति तक के मुद्दे शामिल थे।

पर्यावरण

1

असोम में बाढ़ तथा भूस्खलन

● भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है। बाढ़ एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई निश्चित भू-क्षेत्र अस्थायी रूप से जलमग्न हो जाता है और जन-जीवन प्रभावित हो जाता है।

● अभी हाल ही के दिनों में असोम में भारी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गयी है। असोम के 29 जिलों के लगभग 7 लाख लोग बाढ़ की तबाही से परेशान हैं। बाढ़ के पानी में असोम डूबा हुआ है। इसके चलते आम जन-जीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है। असोम में आयी बाढ़ से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। हजारों हेक्टेयर खेती की जमीन जलमग्न हो गयी है। वहीं असोम के दो हजार से अधिक गांव पानी में डूब चुके हैं। भारतीय एयर फोर्स ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य के लिए 20 एन डी आर एफ कर्मियों को तैनात किया है।

असोम में बाढ़ आने के कारण

1. असोम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी से आया पानी का तेज बहाव।
2. असोम घाटी का U- आकार होने से पानी

का बहाव सीधे असोम की ओर होता है।

3. असोम राज्य का उच्च भूकंप जोन में अवस्थिति होने से बाढ़ तथा भूस्खलन दोनों की अत्यधिक संभावना।

बाढ़ क्या है ?

● बाढ़ भूपटल पर अधिक वर्षा के कारण उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ के प्रभाव से एक विस्तृत भूभाग जलमग्न हो जाता है और इससे बड़े पैमाने पर जान-माल की हानि होती है। बाढ़ एवं भूस्खलन से पूरा क्षेत्र अस्त-व्यस्त हो जाता है।

● सामान्यता बाढ़ें नदियों में तेज प्रवाह के कारण आती हैं। जिसमें सबसे बड़ा योगदान मूसलाधार वर्षा का होता है। बाढ़ों की विभीषिका से न केवल कृषि क्षेत्र नष्ट होते हैं बल्कि भवन, दूरसंचार तथा यातायात सेवाएं भी पूर्णतया ठप्प हो जाती हैं।

● विश्व में अधिकांश बाढ़ग्रस्त क्षेत्र उन जलोढ़ मैदानी भागों में मिलते हैं, जिसमें बड़ी-बड़ी नदियां अपनी सहायक नदियों के साथ प्रवाहित होती हैं।

21 वीं शताब्दी में आने वाली बाढ़ें -

-जुलाई, 2005 में मुंबई में बाढ़ की तबाही।

-जून, 2013 में उत्तराखंड में बाढ़ का प्रकोप।

-जून, 2015 में गुजरात में बाढ़ का मंजर।

-अगस्त, 2018 में केरल में बाढ़ का प्रलय।

-2020 में हैदराबाद में आयी बाढ़।

-2021 में महाराष्ट्र में बाढ़ विभीषिका।

बाढ़ आने के कारण

1. अत्यधिक वर्षा होना- अत्यधिक वर्षा दो कारणों से होती है,

क. बादलों के फटने से,

ख. चक्रवातों के आने से।

2. अत्यधिक वनों की कटाई से।

3. नदियों की तली में अवसादों के जमाव से।

4. जलग्रहण क्षेत्रों में विस्तार होने से।

5. जल निकासी के आभाव में।

भारत में बाढ़ से प्रभावित राज्य

बिहार, उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्यों में असोम, मेघालय जबकि दक्षिणी क्षेत्रों में तमिलनाडु, केरल तथा आंध्र प्रदेश वहीं पश्चिमी क्षेत्रों में गुजरात तथा महाराष्ट्र आते हैं।

बाढ़ से होने वाले नुकसान

1. फसलों का नुकसान।
2. जान-माल की हानि।
3. यातायात में व्यवधान।
4. बीमारियों में अत्यधिक वृद्धि।
5. जैव-विविधता का विनाश।
6. केंद्र व राज्य सरकारों के व्ययों में भारी

वृद्धि।

बाढ़ रोकने के उपाय

1. जलग्रहण क्षेत्रों में अधिक से अधिक वनारोपण करना।
2. छोटे-छोटे जल संग्रह बांधों का निर्माण करना।

3. नदियों में जमे अवसादों को हटाना।
4. नदियों को आपस में जोड़ना।
5. ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करना।

2

अक्षय ऊर्जा क्रान्ति

संदर्भ

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटो. नियो गुटेरेस ने निकट भविष्य में पृथ्वी के लिए गंभीर संकटों पर प्रकाश डाला और समस्या को हल करने का मार्ग दिखाया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि ऊर्जा सुरक्षा, स्थिर बिजली की कीमतें, समृद्धि और रहने योग्य ग्रह का एकमात्र सच्चा मार्ग प्रदूषणकारी जीवाश्म ईंधन को त्यागना और नवीकरणीय आधारित ऊर्जा संक्रमण को तेज करना है।

मुख्य बिंदु

- रूस यूक्रेन संकट में ऊर्जा संकट बढ़ाया है।
- सभी जलवायु संकेतकों ने रिकॉर्ड तोड़ना जारी रखा है, जो भविष्य में भयंकर तूफान, बाढ़, सूखा, वन्य जीवन और ग्रह के विशाल क्षेत्रों में रहने योग्य तापमान में वृद्धि की भविष्यवाणी कर रहे हैं।
- जीवाश्म ईंधन जलवायु संकट का कारण है। अक्षय ऊर्जा जलवायु व्यवधान को सीमित करने और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने का उत्तर है।
- संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने G20 सरकार को OECD द्वारा 2030 तक और अन्य सभी देशों के लिए 2040 तक चरणबद्ध तरीके से कोयले के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए कहा है।

गुटेरेस की पांच सूत्रीय योजना

- अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी को वैश्विक सार्वजनिक वस्तु बनाता है।
- अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के घटक और कच्चे माल के लिए आपूर्ति श्रृंखला तक वैश्विक पहुंच में सुधार करना

- हमें उस लालफीताशाही को खत्म करना होगा जो सौर और पवन परियोजनाओं को रोके रखती है
- कमजोर लोगों को ऊर्जा के झटके(शा.क) से बचाएं और स्थायी भविष्य के लिए उचित संक्रमण में निवेश करें
- हमें अक्षय क्षेत्र में तीन गुना निवेश करने की जरूरत है

अक्षय ऊर्जा के बारे में

- अक्षय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो अक्षय स्रोतों से प्राप्त होती है और समय-समय पर स्वाभाविक रूप से भर जाती है। इसमें सूरज की रोशनी, हवा, बारिश, ज्वार, लहर और भूतापीय गर्मी जैसे स्रोत शामिल हैं। कुछ को छोड़कर अधिकांश नवीकरणीय स्रोत टिकाऊ हैं

भारत और अक्षय ऊर्जा

- भारतीय अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में दुनिया का चौथा सबसे आकर्षक अक्षय ऊर्जा बाजार है। जैसा कि भारत अपनी ऊर्जा मांग को अपने दम पर पूरा करना चाहता है, जिसके 2040 तक 15,820 Twh तक पहुंचने की उम्मीद है, अक्षय ऊर्जा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

- जनवरी 2022 तक, भारत में स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 152GW थी जो कुल स्थापित क्षमता का 39% थी।

भारत रैंक

भारत पवन ऊर्जा में चौथा, सौर ऊर्जा में पांचवां और अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता में चौथा स्थान पर था।

सरकार की पहल

- केंद्रीय बजट 2022-23 में, भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI) के लिए आवंटन, जो वर्तमान में संपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के

विकास के लिए जिम्मेदार है, 1000 करोड़ रुपये था।

- उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना
- कॉप 26 में, पीएम ने भारत की अक्षय उत्पादन क्षमता को 500 GW तक बढ़ाने और वर्ष 2030 तक अक्षय माध्यम से भारत की 50% ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने का वादा किया।

- सरकार ने रूफटॉप सोलर कार्यक्रम शुरू किया, जिसका लक्ष्य 2022 तक आवासीय क्षेत्र में 4000 मेगावाट की क्षमता स्थापित करना है

- जून 2021 में, भारत ने मिशन इनोवेशन क्तीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया, जो स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेजी लाने के लिए सदस्य देशों में इनक्यूबेटर्स का एक पूरा नेटवर्क तैयार करेगा।

SECI (सौर ऊर्जा निगम ऑफ इंडिया लिमिटेड)

यह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो राष्ट्रीय सौर मिशन के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए भारत सरकार के नवीन और नवीकरण गीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। SECI की स्थापना सितंबर 2011 में नई दिल्ली में हुई थी जिसकामुख्यालय नईडेलहीमें है

विश्व के लिए भारत का प्रयास

- भारत अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध है, जैसे अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, की स्थापना, ग्लोसगो में पंचामृत की घोषणा और वर्ष 2070 तक शुद्ध कार्बन तटस्थता।

- साथ ही भारत ने INDC लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है जो, आईएनडीसी जो पेरिस जलवायु समझौते

में प्रतिज्ञा की गई थी।

- जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजना जैसी भारत की योजनाएँ जो पूरी दुनिया को प्रेरित करेंगी।

निष्कर्ष:

भारत सरकार अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए भारत सरकार ने कई योजनाएँ लॉन्च की हैं जैसे - ग्रीन एनर्जी कोरिडोर,

सोलर पार्क, कुसुम आदि। भारत सरकार ने INDC में 175 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। अक्षय ऊर्जा वास्तव में पर्यावरण को बचाने के लिए एक अच्छा विकल्प है।

विज्ञान एवं तकनीक

1

अभ्यास: हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट

चर्चा में क्यों?

डीआरडीओ ने अभी हाल ही में ओडिशा के तट पर चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (ITR) से स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन 'अभ्यास' का सफल परीक्षण किया है।

'अभ्यास' के बारे में

- यह डीआरडीओ द्वारा निर्मित एक स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन है जिसका नाम 'अभ्यास' है। यह एक छोटे से गैस टरबाइन इंजन से संचालित होता है। यह स्वतः उड़ान तो भर ही सकता है, साथ ही यह अपने लक्ष्य को आसानी से भेद भी सकता है।
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के तट पर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से 'अभ्यास' हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट (HEAT) का सफल परीक्षण किया। यह एंडो-वायुमंडलीय, सतह से हवा और हवा से हवा में मार करने में सक्षम है।

'अभ्यास' का निर्माण क्त्वा द्वारा वर्ष 2012 से किया जा रहा था। इससे पहले 'अभ्यास' का सफल परीक्षण वर्ष 2019, 2020 तथा 2021 में भी किया जा चुका है। 'अभ्यास' के पास हथियार चलाने के लिए आवश्यक 'आरसीएस', 'विजुअल' और 'आईआर' तीनों प्रणालियाँ हैं।

'अभ्यास' का महत्व

इसके प्रयोग से भारतीय रक्षा प्रणाली को और मजबूती मिलेगी। इसका इस्तेमाल विभिन्न मिसाइल प्रणालियों की निगरानी के लिए

किया जा सकेगा। इससे हवाई लक्ष्य को भेदना आसान हो जायेगा।

यह पूरी तरह से ऑटोमैटिक सिस्टम के कंट्रोल में उड़ान भरता है और इसमें मानव पायलट के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह ड्रोन सतह से हवा और हवा से हवा दो माध्यमों में मार करने में सक्षम है। इससे कम ऊँचाई पर ब्रह्मोस मिसाइल का भी परीक्षण किया जा सकता है।

DRDO के बारे में

इसकी स्थापना वर्ष 1958 में की गयी थी। इसका ध्येय वाक्य- 'बलस्य मूलम् विज्ञानम्' है जिसका अर्थ शक्ति के स्रोत विज्ञान से है, जो शांति और युद्ध में राष्ट्र को संचालित करता है। डीआरडीओ भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक आर एंड डी विंग है। डीआरडीओ ने भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी तथा प्रणाली को सशक्त बनाया है।

डीआरडीओ के उत्पाद

हल्के लड़ाकू विमान, तेजस, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, पिनाका, वायु रक्षा प्रणाली, आकाश, रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली की एक लम्बी श्रृंखला तैयार की है, इसके अतिरिक्त इसने अग्नि तथा पृथ्वी मिसाइलों की पूरी श्रृंखला का विकास किया है।

आज, डीआरडीओ ने 50 से अधिक प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के माध्यम से न केवल वैमानिकी, आयुध, इलेक्ट्रॉनिक्स, लड़ाकू वाहन, इंजीनियरिंग सिस्टम, इंस्ट्रू-

मेंशन, मिसाइल, उन्नत कंप्यूटिंग और सिम्युलेशन, विशेष सामग्री, नौसेना प्रणाली, जीवन विज्ञान, प्रशिक्षण, सूचना प्रणाली, मिसाइलों, आयुध, प्रकाश का मुकाबला करने वाले विमान, रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आदि का विकास किया है, बल्कि इसने कई महत्वपूर्ण तकनीकों का दूसरे देशों को निर्यात भी किया है। निर्यात में, पी-7 हैवी ड्राप सिस्टम, निशांत एच पी ओ चौबेर, आन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम, पायलट रहित लक्ष्य विमान, टारपीडो एडवांस लाईट आदि हैं।

आगे की राह

भारत के DRDO ने रक्षा के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धि ध्याँ हासिल की हैं, लेकिन विकसित देशों की तुलना में देखा जाए तो भारत के सामने अभी भी बहुत सी चुनौतियाँ हैं, जैसे- रक्षा से जुड़ी सरचनात्मक, नीतिगत, कोविड महामारी, हेलीकाप्टर से दुर्घटनाएं, युद्ध से जुड़ी सैन्य आपूर्ति, रक्षा बजट में कमी, नौकरशाही का हस्तक्षेप, रक्षा विशेषज्ञों की कमी, लालफीताशाही, संगठन की अत्यधिक जटिलता आदि।

2 कैपस्टोन मिशन

चर्चा में क्यों?

नासा ने 29 जून 2022 को चन्द्रमा की परिक्रमा करने वाले CAPSTONE, एक मा. इक्रोवेव ओवन के आकार का क्यूब सेटला. ईट को प्रक्षेपित किया है।

CAPSTONE के बारे में:

- CAPSTONE > Cislunar Autonomous Positioning System Technology
- इसका वजन 55 पाउंड यानी 25 किलोग्राम।
- यह उपग्रह जिस ऑर्बिट में भेजा गया है, उसे नियर-रेक्टिलिनियर हेलो ऑर्बिट कहा जाता है। यह ऑर्बिट दूसरे ऑर्बिट्स से बिल्कुल अलग होता है।
- यह नियर-रेक्टिलिनियर हेलो ऑर्बिट ऐसे संतुलन बिंदु पर कार्य करेगा जहाँ पृथ्वी और चन्द्रमा के मध्य गुरुत्वाकर्षण लगभग सामान होता है।
- यह उपग्रह अद्वितीय, अंडाकार कक्षा वाले चन्द्रमा का परीक्षण करेगा।
- यह उपग्रह नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का हिस्सा है।
- यह उपग्रह गेटवे के लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य करेगा।
- यह उपग्रह भविष्य के अन्तरिक्ष यानों के जोखिम कम करने में मदद करेगा।
- यह उपग्रह चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव के 1,600 किमी के निकट के पास और दक्षिणी ध्रुव से अपने सबसे दूर 70,000 किमी के भीतर उड़ान भरेगा।

क्या है NASA का आर्टेमिस मिशन?

इसे स्पेस लांच सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, जो भविष्य में इंसानों को चाँद पर ले जाने का कार्य करेगा। नासा ने वर्ष 2011 में आर्टेमिस मिशन को शुरू किया था।

NASA के बारे में-

- अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी।
- मुख्यालय: वाशिंगटन डी.सी. (संयुक्त राज्य अमेरिका)।
- स्थापना: 1 अक्टूबर, 1958।
- नासा प्रशासक: बिल नेल्सन।

चंद्रमा के अन्वेषण से सम्बंधित इतिहास:

सोवियत संघ ने वर्ष 1959 में मानव रहित लूना-1 और 2 को चंद्रमा पर भेजा था।

अमेरिका ने वर्ष 1961 से ही लोगों को अंतरिक्ष में भेजना शुरू कर दिया था।

20 जुलाई, 1969 को नील आर्मस्ट्रांग तथा एडविन अपोलो 11 मिशन के द्वारा चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले इंसान थे।

जुलाई 1969 के बाद वर्ष 1972 तक 12 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर चले थे।

अमेरिका ने रोबोटिक मिशन 'क्लेमेंटाइन' और 'लूनर प्रॉस्पेक्टर' के साथ वर्ष 1990 के दशक में चंद्रमा पर अन्वेषण कार्य शुरू कर दिया था।

चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन वर्ष 2012 में ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबो. रेटरी (GRAIL) अंतरिक्ष यान द्वारा किया जा चुका है।

चंद्रमा का पता लगाने के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जापान,

चीन और भारत अपने मिशन भेज चुके हैं। चीन चन्द्रमा की सतह पर दो रोवर उतार चुका है, जिसमें वर्ष 2019 में चंद्रमा की सतह पर क्षेत्र पर पहली बार लैंडिंग की थी।

इसरो के चन्द्रमा के अन्वेषण से जुड़े प्रयास:

- भारत ने अपना पहला उपग्रह सोवियत संघ की मदद से 19 अप्रैल 1975 को कासमास-3 एम् यान द्वारा प्रक्षेपित किया था।
- भारत ने वर्ष 2007 में रूस की मदद से चंद्रयान परियोजना शुरू की थी जि. सके द्वारा चन्द्रमा पर जल की उपस्थिति का पता चला था।
- चंद्रयान-2 भारत का दूसरा चन्द्रमा पर भेजे जाना वाला मिशन है जो पूरी तरह से स्वदेशी है। इसमें आर्बिटर, लैंडर(. विक्रम) और रोवर(प्रज्ञान) शामिल थे।
- अभी हाल ही में भारत के इसरो ने तीसरे चन्द्र मिशन की घोषणा की है जिसमें एक लैंडर तथा एक रोवर ही होगा।

आगे की राह:

अगर नासा का कैपस्टोन मिशन सफल होता है तो भविष्य में अंतरिक्ष में जाने वाले स्पे. सक्राफ्ट पृथ्वी पर उपस्थित ट्रेकिंग सिस्टम द्वारा आसानी से लोकेट कर लिए जायेंगे यानी यह उपग्रह अंतरिक्ष में नेविगेशन को बहुत आसान बना देगा।

3 थियोमार्गरीटा मैग्निफा बैक्टीरिया

थियोमार्गरीटा मैग्निफा के बारे में:

थियोमार्गरीटा मैग्निफा बैक्टीरिया सल्फर ऑक्सीडाइजिंग गामाप्रोटोबैक्टीरिया की एक प्रजाति है, जो लेसर एंटिल्स में गुआदेल्फ द्वीपसमूह की लाल मैंग्रोव की टूटी पत्तियों पर

पाया जाता है।

समाचार में क्यों?

T-magnifica दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात बैक्टीरिया है जो कैरिबियन में गौडेलूप द्वीपसमूह के उष्णकटिबंधीय मैंग्रोव में पाया गया है।

जीवाणु 1 सेमी लंबा होता है और इसकी संरचनात्मक जटिलता पहले किसी भी जीवाणु में नहीं देखी गयी है।

बैक्टीरिया:

बैक्टीरिया छोटे एकल कोशिका वाले जीव

हैं। वे गोले, छड़ या सर्पिल के आकार के हो सकते हैं। ये मिट्टी, पानी, कार्बनिक पदार्थ और जानवरों के शरीर सहित लगभग सभी पर्यावरण में रहते हैं।

विशेषता:

- झिल्ली से बंधे हुए अंगों की कमी
- एकल जीवकोषकीय जीव
- सूक्ष्म आकार

दिलचस्प तथ्य:

अधिकांश बैक्टीरिया लगभग 2 मिमी या 0.0002 सेमी लंबाई के होते हैं। उनका आकार इस तथ्य से सीमित है कि वे ऊर्जा ले जाने वाले अणुओं का उपयोग स्वयं को शक्ति देने के लिए करते हैं, जिन्हें एटीपी के रूप में जाना जाता है, कोशिका झिल्ली में एम्बेडेड एंजाइमों का उपयोग करके उत्पादित होते हैं। इसका मतलब है कि बैक्टीरिया को कार्य करने के लिए आयतन अनुपात में उपयुक्त सतह क्षेत्र की आवश्यकता होती है। पहले से ही जानते हैं कि बैक्टीरिया बड़े हो सकते हैं, एक प्रजाति के साथ थियोमार्गरीटा नेल्सोनी 750 मिमी लंबाई तक बढ़ जाता है। हालांकि, यह अभी भी बैक्टीरिया पर लगाए गए अपेक्षित सैद्धांतिक आकार सीमा के भीतर है।

T-magnifica नाम के नए जीवाणु का आयतन T-nelsonii के आयतन का लगभग 50 गुना है, जो अपेक्षित आकार सीमा को तोड़ता है।

बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं?:

उनमें से कुछ भोजन को पचाने में मदद करते हैं, रोग पैदा करने वाली कोशिका को नष्ट करते हैं, और शरीर को आवश्यक विटामिन देते हैं। दही और पनीर जैसे स्वस्थ भोजन

बनाने में भी बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया बीमार भी कर सकते हैं।

जीवाणु रोग:

रोग	-	कारक एजेंट
क्षय रोग	-	माइकोबैक्टीरियम
		ट्यूबरकुलोसिस
डिप्थीरिया	-	कोरिनेबैक्टीरियम
		डिप्थीरिया
हैजा	-	विब्रियो हैजा
टिटनेस	-	क्लोस्ट्रीडियम टेटानी
प्लेग	-	यर्सिनिया पेस्टिस
सूजाक	-	निसेरिया सूजाक
साल्मोनेलोसिस	-	साल्मोनेला एंटरिटि
सिफलिस	-	ट्रेपोनिमा पैलिडम
कुष्ठ रोग	-	माइकोबैक्टीरियम लेप्राई
पर्टुसिस	-	बोर्डेटेला पर्टुसिस

जीवाणु रोग से कैसे बचाव करें:

स्वच्छता की स्थिति में सुधार और एंटीबायो. टिक दवाओं ने जीवाणु रोग को कम करने में मदद की है। प्रतिरक्षा प्रणाली आमतौर पर हानिकारक बैक्टीरिया से लड़ती है, लेकिन कुछ मामलों में जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए एंटीबायोटिक दवाओं की आवश्यकता होती है।

एंटीबायोटिक्स दो प्रकार के होते हैं: व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, जो आमतौर पर बैक्टीरिया की विस्तृत श्रृंखला पर लागू होते हैं। और स्पेक्ट्रम की संकीर्ण सीमा, जो आमतौर पर विशिष्ट बैक्टीरिया को लक्षित करने के लिए लागू होती है।

एंटीबायोटिक काम कैसे करते हैं? :

जीवाणु कोशिका भित्ति, डीएनए और राइ. बोसोम (प्रोटीन बनाने वाले अंग) को नष्ट

करके एंटीबायोटिक काम करते हैं।

एंटीबायोटिक प्रतिरोध:

एंटीबायोटिक के ज्यादा इस्तेमाल से समस्या हो सकती है। समय के साथ बैक्टीरिया एंटी. बायोटिक का प्रतिरोध बन सकता है, जि. ससे नए प्रतिरोध तनाव के कारण होने वाले संक्रमण का इलाज करना मुश्किल हो जाता है।

एंटीबायोटिक का सीमित उपयोग क्यों होना चाहिए? :

हालांकि, बैक्टीरिया मानव शरीर पर आक्रमण कर सकते हैं और बीमारी का कारण बन सकते हैं, लेकिन अधिकांश बैक्टीरिया मानव शरीर के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। कई बैक्टीरिया हमारी त्वचा में और हमारे पाचन तंत्र में रहते हैं और हमारे सूक्ष्म बायोम या हमारे शरीर में मौजूद माइक्रोब की आबादी को बनाते हैं। जीवाणुओं का संग्रह हमें विटा. मिन का संश्लेषण करके, भोजन को तोड़ने में मदद करके और हानिकारक जीवाणुओं के विकास को रोककर हमें स्वस्थ रखते हैं।

निष्कर्ष:

t-magnifica की खोज महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रोकैरियोटिक (आदिम एकल कोशिका जीव में कोशिका नाभिक नहीं होता है) और यूकेरियोटिक (जहां डीएनए परमाणु लिफाफे से घिरा होता है।) के बीच की सीमा को धुंधला करता है, t-magnifica एक जीवाणु होने के कारण, यह प्रोकैरियोटिक से संबंधित है, लेकिन इसकी कोशिका में झिल्ली की बोरी शामिल होती है जो कोशिका डीएनए को घेर लेती है। जो कि यूकेरियोटिक से सम्बन्धित है।

4

आदित्य एल 1 मिशन

खबरों में क्यों?

आदित्य एल 1 विज्ञान सहायता प्रकोष्ठ ने एक कार्यशाला का आयोजन किया था जिसमें पूरे भारत के संस्थान और विश्वविद्यालय के छात्रों ने भाग लिया था और उन्हें सूर्य पर

होने वाली बुनियादी प्रक्रिया, आदित्य एल 1 मिशन, अवलोकन डेटा विश्लेषण और अन्य वर्तमान खुली समस्या से अवगत कराया गया था। जिससे इस विषय पर युवा शोधकर्ता रिसर्च कर पाएंगे और सलूशन प्रदान करेंगे।

यह कार्यशाला भारत में विभिन्न संस्थानों और विश्वविद्यालयों में फैले सौर भौतिक. विदों की अगली पीढ़ी को विकसित करने में मदद करेगी।

27 जून से 5 जुलाई तक की कार्यशाला का

आयोजन भारतीय स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष के उपलक्ष्य में इसरो और आर्य भट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (DST का एक स्वायत्त संस्थान- भारत सरकार) का एक संयुक्त प्रयास है।

आदित्य एल 1 मिशन के बारे में:

आदित्य एल1 मिशन सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला समर्पित अंतरिक्ष यान मिशन है। यह सूर्य की गतिशील प्रक्रिया की व्यापक समझ को सक्षम करेगा और सौर भू-तिका और हेलियोफिजिक्स में कुछ उत्कृष्ट समस्याओं का समाधान करेगा।

आदित्य एल 1 मिशन को सूर्य पृथ्वी के लैग्रजियन बिंदु एल 1 पर प्रक्षेपित किया जायेगा। इससे सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देखा जा सकेगा। हेलो कक्षा L1 पृथ्वी से 1.5 मिलियन किमी दूर है।

लैग्रेंज पॉइंट के बारे में:

लैग्रेंज बिंदु अंतरिक्ष में ऐसी स्थितियाँ हैं जहाँ भेजी गई वस्तु रुकने की प्रवृत्ति रखती है। लैग्रेंज बिंदु पर, दो बड़े द्रव्यमानों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव एक छोटी वस्तु के साथ चलने के लिए आवश्यक अभिकेन्द्रीय बल के ठीक बराबर होता है।

अंतरिक्ष में इन बिंदुओं का उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा स्थिति में बने रहने के लिए आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने

के लिए किया जा सकता है। लैग्रेंज पॉइंट्स का नाम इतालवी फ्रांसीसी गणित जोसेफ लुई लैग्रेंज के सम्मान में रखा गया है। अंतरिक्ष में पांच लैग्रेंज बिंदु हैं जिनमें तीन अस्थिर हैं और दो स्थिर हैं। L1, L2, L3 को अस्थिर और L4 और L5 को स्थिर लैग्रेंज बिंदु के रूप में लेबल किया गया है।

पृथ्वी प्रणाली का L1 बिंदु सूर्य का अबाधित दृश्य प्रस्तुत करता है और वर्तमान में सौर और हेलिओस्फीयर वेधशाला उपग्रह यहाँ पर प्रक्षेपित है। पृथ्वी प्रणाली का L2 बिंदु जेम्स वेब टेलीस्कोप का घर है। भारत का आदित्य एल1 मिशन भी एल1 पॉइंट पर लॉन्च होगा।

मिशन क्या करेगा:

आदित्य एल 1 मिशन सूर्य कोरोना ((नरम और कठोर एक्स रे, दृश्य स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन रेखा) और क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर का अवलोकन प्रदान करेगा। मिशन सूर्य से निकलने वाले कण प्रवाह का भी अध्ययन करेगा जो एल 1 कक्षा तक पहुंचेगा और साथ ही मैग्नेटोमीटर पेलोड चुंबकीय क्षेत्र की ताकत को भी मापेगा।

पेलोड की सूची:

- दर्शनीय उत्सर्जन रेखा कोरोनाग्राफ
- सौर पराबैंगनी इमेजिंग दूरबीन
- आदित्य सौर पवन कण प्रयोग
- आदित्य के लिए प्लाज्मा विश्लेषक

पैकेज

- सौर कम ऊर्जा एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर
- उच्च ऊर्जा L1 एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर की परिक्रमा
- मैग्नेटोमीटर

मिशन कब लांच होगा:

यह उम्मीद की जाती है कि मिशन सि. तंबर से अक्टूबर 2022 तक श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी-एक्सएल द्वारा लॉन्च किया जाएगा। पीएसएलवी - एक्सएल 12 टन प्रोपेलेंट लोड के साथ बूस्टर पर अधिक शक्तिशाली, स्ट्रेचड स्ट्रैप द्वारा अपने मानक विन्यास में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन का उन्नत संस्करण है। पीएसएलवी-एक्सएल का पहला प्रयोग चंद्रयान 1 मिशन का लॉन्च में किया गया था।

निष्कर्ष:

आदित्य एल1 मिशन भारत का सबसे आशावादी मिशन है जो अंतरिक्ष क्षेत्र में भ. रतियों की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित करेगा। यद्यपि इसरो ने स्वयं को अंतरिक्ष क्षेत्र में कमांडिंग स्थिति में स्थापित किया है, यह मिशन संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन आदि के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए, अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसरों को भुनाने के लिए और जोड़ देगा।

अर्थव्यवस्था

1 डिजिटल युआन

सन्दर्भ:

विश्व के अधिकतर देश केंद्रीय बैंक वित्तीय प्रणाली(सीबीडीसी) की दक्षता में सुधार के लिए डिजिटल सॉल्यूशन लागू कर रहे हैं। वही जी-20 के 20 देशों में से 19 देश सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) पर विचार कर रहे हैं। इन सभी घटनाओं को चीन बहुत बारीकी के साथ देख रहा है

और ऐसा लगता है कि चीन वैश्विक वित्तीय प्रणाली को बदलने की बड़ी महत्वाकांक्षाओं के साथ सीबीडीसी के विकास को लेकर सबसे आगे है।

क्या है सीबीडीसी?

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) एक डिजिटल टोकन है जो केंद्रीय बैंक द्वारा जारी और गारंटी दी जाने वाली नकदी की तरह से डिजिटल संस्करण के रूप में काम करता है।

सीबीडीसी क्रिप्टोकॉइन्स के विपरीत है क्या कि यह विकेंद्रीकृत है और स्टेबल क्वॉइन्स के मामले में, डॉलर या यूरो जैसी सरकार द्वारा जारी मुद्रा के मूल्य से आंकी जाती है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना 2014 से सीबीड. िसी स्पेस में अग्रणी रहा है और डिजिटल युआन के विकास ने इसे कई अन्य देशों से आगे बढ़ा दिया है लेकिन यह अभी भी अनुसंधान और योजना के चरण में है। यह

चीन को उसकी मुद्रा रैन्मिन्बी (RMB) का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने और डॉलर के आधिपत्य को रोकने के लिए बढ़ावा देता है।

डॉलर का वर्चस्व:

वर्ष 1944 में स्थापित ब्रेटन वुड्स प्रणाली ने अमेरिकी डॉलर को विश्व की अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित मुद्रा के रूप में उभरने का मौका दिया। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं और वित्तीय बाजार, डॉलर और अमेरिकी अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ गए। आज भले चीन दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक भूगोदार है लेकिन, चीनी मुद्रा अभी भी दुनिया की आरक्षित मुद्रा का मात्र 2% से भी कम का हिस्सा रखती है। इससे डॉलर के वर्चस्व का पता चलता है।

डिजिटल युआन का विकास:

चीन की केंद्रीय बैंक (पीबीओसी) ने डॉलर के प्रभुत्व वाली वैश्विक भुगतान प्रणाली को चुनौती देने के लिए साल 2015 में क्रॉस-बाउंडर्ड इंटर-बैंक पेमेंट सर्विस (सीआईपीएस)

को खड़ा किया। सिटी बैंक, एचएसबीसी, और जेपी मॉर्गन चेज जैसे बड़े वित्तीय संस्थान वैश्विक स्तर पर आरएमबी से लेनदेन को बढ़ावा देते हैं लेकिन आरएमबी के अंतर्राष्ट्रीयकरण के इस प्रयास की भी अपनी सीमाएं हैं क्योंकि सीआईपीएस में सोसायटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंसियल टेलीकम्युनिकेशन्स (एसडब्ल्यूआईएफटी) के मुकाबले 1300 प्रतिभागी हैं जबकि स्विफ्ट में दस हजार प्रतिभागी हैं।

हालांकि, यहां ध्यान देने की बात यह है कि सीआईपीएस और स्विफ्ट (एसडब्ल्यूआईएफटी) के अलग-अलग कार्यक्षेत्र हैं। स्विफ्ट किसी भी फंड को स्थानांतरित नहीं करता है। यह केवल एक सुरक्षित संदेश प्रणाली है जो भाग लेने वाले बैंकों को एक दूसरे के साथ संवाद करने का प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है। दूसरी ओर, सीआईपीएस महज आरएमबी को क्लियर करने का एक जरिया है, जो इसे यूएस 'क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट

सिस्टम (सीएचआईपीएस) जैसा ही बनाता है। आईएमएफ ने साल 2016 में आर.एम.बी. स्पेशल ड्राइंग राइट बास्केट में जोड़ा है। हालांकि, बीआरआई की स्थापना के बाद से ही अमेरिकी डॉलर निवेश के लिए मुख्य मुद्रा बना हुआ है। सभी ऋणों का केवल 14% आरएमबी डिनोमिनेटेड है। इस तरह का असंतुलन बीआरआई निवेश में वृद्धि और चीन की वैश्विक आर्थिक स्थिति के बिल्कुल विपरीत है जो चीन की वैश्विक व्यापार स्थिति और आरएमबी उपयोग की मौजूदा स्थिति जैसा ही है। एशियाई विकास बैंक के अनुसार एशिया को अगले दशक में बुनियादी ढांचे के निवेश में \$26 बिलियन की आवश्यकता है और चीन ऐसे निवेश की जरूरत को पूरा करने का दम रखता है। डिजिटल युआन चीन को आरएमबी के तौर पर ज्यादा ऋण जारी करने और ऋण चुकाने के लिए नेटवर्क और तंत्र को मजबूत करने का मौका देता है।

2

आरबीआई ने विदेशी मुद्रा प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए मानदंडों को उदार बनाया

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट के बीच ईसीबी मार्ग के तहत उधार सीमा को दोगुना करने सहित विदेशी मुद्रा के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए मानदंडों को और उदार बनाया।

एक बयान में, केंद्रीय बैंक ने कहा कि वह विदेशी मुद्रा बाजार में तरलता की स्थिति की बारीकी से लगातार निगरानी कर रहा है और बाजार के व्यवस्थित कामकाज को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डॉलर की तंगी को कम करने के लिए अपने सभी क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार कदम भी उठा चुका है।

1) वृद्धिशील एफसीएनआर (बी) और एनआरआई सावधि जमा पर नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) और वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) से छूट:

यह निर्णय लिया गया है कि 30 जुलाई, 2022 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से वृद्धिशील एफसीएनआर (बी) और 1 जुलाई, 2022 की संदर्भ आधार तिथि के साथ एनआरआई जमा राशियों को सीआरआर और

एसएलआर के रखरखाव से छूट दी जाएगी। यह छूट 4 नवंबर, 2022 तक जमा राशि के लिए उपलब्ध होगी। अनिवासी (साधारण) (एनआरओ) खातों से एनआरआई खातों में स्थानांतरण छूट के लिए योग्य नहीं होंगे।

2) एफसीएनआर (बी) और एनआरआई जमा राशियों पर ब्याज दरें:

यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को 7 जुलाई, 2022 से ब्याज दरों पर मौजूदा नियमों के संदर्भ के बिना ताजा एफसीएनआर (बी) और एनआरआई जमा राशि जुटाने की अनुमति दी जाए। यह छूट 31 अक्टूबर, 2022 तक की अवधि के लिए उपलब्ध होगी।

3) ऋण में एफपीआई निवेश:

यह निर्णय लिया गया है कि 31 अक्टूबर, 2022 तक किए गए सरकारी प्रतिभूतियों और कॉर्पोरेट ऋण में एफपीआई द्वारा किए गए निवेश को इस अल्पकालिक सीमा से छूट दी जाएगी। इन निवेशों को परिपक्वता तक या ऐसे निवेशों की बिक्री तक अल्पकालिक सीमा के लिए नहीं माना जाएगा।

4) अधिकृत डीलर श्रेणी- I (एडी कैट-

I) बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा उधार:

अब यह निर्णय लिया गया है कि एडी कैट-I बैंक बाहरी वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) के लिए निर्धारित नकारात्मक सूची के अधीन, अंत-उपयोग उद्देश्यों के व्यापक सेट के लिए संस्थाओं को विदेशी मुद्रा में उधार देने के लिए ओएफसीबी का उपयोग कर सकते हैं। इस उपाय से उधारकर्ताओं के एक बड़े समूह द्वारा विदेशी मुद्रा उधार लेने की सुविधा की उम्मीद है, जिन्हें सीधे विदेशी बाजारों तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। इस तरह के उधार लेने की यह छूट 31 अक्टूबर, 2022 तक उपलब्ध है।

5) बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी):

अब स्वचालित मार्ग के तहत सीमा को 750 मिलियन डॉलर या इसके समकक्ष प्रति वित्तीय वर्ष से बढ़ाकर 1.5 बिलियन डॉलर करने का निर्णय लिया गया है। ईसीबी ढांचे के तहत समग्र लागत सीमा को भी 100 आधार अंकों तक बढ़ाया जा रहा है, बशर्ते उधारकर्ता निवेश ग्रेड रेटिंग का हो।

राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की महत्वपूर्ण खबरें

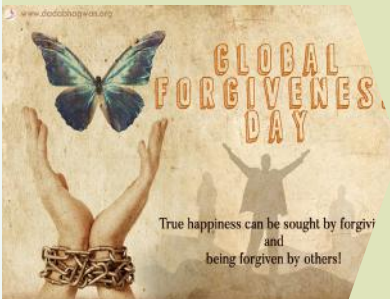
1. विश्व जनसंख्या दिवस



यह दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में जनसंख्या के मुद्दों के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल ने 1987 में वैश्विक जनसंख्या पांच अरब पार करने के बाद 1989 में 'विश्व जनसंख्या दिवस' की स्थापना की थी। वर्ष 1990 में, विश्व जनसंख्या दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी।

विश्व जनसंख्या दिवस 2022 का विषय '8 बिलियन की दुनिया: सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर - अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकारों और विकल्पों को सुनिश्चित करना' है। यूएनपीएफ के अनुसार, 2022 में दुनिया की आबादी आठ अरब हो जाएगी। 2011 में, यह सात अरब अंक पर पहुंच गई थी।

2. वैश्विक क्षमा दिवस



लोगों के बीच सद्भावना का जश्न मनाने के लिए हर साल 7 जुलाई को यह दिन मनाया जाता है और यह हमें चीजों को ठीक करने और अपने रिश्तों को मजबूत बनाने का मौका देता है। एक अपराध के बाद क्षमा करने की कला, और अपनी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ देना, दुनिया भर के सभी धर्मों द्वारा सिखाया जाने वाला एक प्रमुख सिद्धांत है। 1994 में, क्राइस्ट के राजदूतों के ईसाई दूतावास ने ब्रिटिश कोलंबिया में राष्ट्रीय क्षमा दिवस की स्थापना की थी। इस दिवस की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इसका नाम 'वैश्विक क्षमा दिवस' कर दिया गया।

3. भारत में घटी आय असमानता



2017 के बाद से भारत में आय असमानता में काफी गिरावट आई है। एक नवीनतम एसबीआई इकोरैप शोध रिपोर्ट कहती है कि भारत में आय की असमानता में वित्तीय वर्ष 2017 के बाद से काफी गिरावट आई है। इसमें यह भी कहा गया है कि कोविड-19 के दौरान देश में आय असमानता में भी कमी आई है। सौम्य कांति घोष, समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार, एसबीआई द्वारा लिखित रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने जनसंख्या के दशकों में आय के झटके को नेविगेट करने के मामले में महामारी के दौरान काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का गरीबी अनुपात भी 2020-21 में घटकर 17.9 प्रतिशत हो गया है, जो 2011-12 में 21.9 प्रतिशत था।

4. भारत 2022-2026 चक्र के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पर यूनेस्को पैनल के लिए चुना गया



भारत को 2022-2026 चक्र के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति का सदस्य चुना गया है। ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, संस्कृति मंत्री जी के रेड्डी ने कहा कि यह भारत के लिए 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के मूल्यों को बहाल करने का एक और अवसर है। भारत का चुनाव यूनेस्को के पेरिस के मुख्यालय में आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान 5 जुलाई को हुआ था।

5. कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के सदस्यों की छठी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक कोच्चि में आयोजित



कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्यों की छठी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक कोच्चि में आयोजित की गई। इसके सदस्य देश भारत, मालदीव, मॉरीशस और श्रीलंका हैं। बांग्लादेश और सेशेल्स के प्रतिनिधिमंडलों ने पर्यवेक्षकों के रूप में भाग लिया। प्रतिभागियों ने 2022-23 के लिए सहयोग के रोडमैप के कार्यान्वयन और मालदीव में इस साल मार्च में आयोजित कॉन्क्लेव की 5वीं एनएसए स्तर की बैठक में लिए गए निर्णयों पर चर्चा की। बैठक में समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, कट्टरता का मुकाबला, तस्करी, अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला, साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी की सुरक्षा, मानवीय सहायता और आपदा राहत पर चर्चा की गई।

6. WCD मंत्रालय ने मिशन वात्सल्य योजना के लिए दिशानिर्देश जारी किए



महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मिशन वात्सल्य योजना के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले, इसे बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए 2009-10 से बाल संरक्षण सेवा (सीपीएस) योजना के रूप में जाना जाता था। मिशन वात्सल्य का उद्देश्य देश के प्रत्येक बच्चे के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना है।

मिशन वात्सल्य अंतिम उपाय के रूप में बच्चों के संस्थागतकरण के सिद्धांत के आधार पर कठिन परिस्थितियों में बच्चों की परिवार-आधारित गैर-संस्थागत देखभाल को बढ़ावा देता है। मिशन वात्सल्य के तहत घटकों में शामिल हैं :- सांविधिक निकायों के कामकाज में सुधार, सेवा वितरण संरचनाओं को मजबूत करना, अपस्केल संस्थागत देखभाल और सेवाएं, गैर-संस्थागत समुदाय-आधारित देखभाल को प्रोत्साहित करना; आपातकालीन आउटरीच

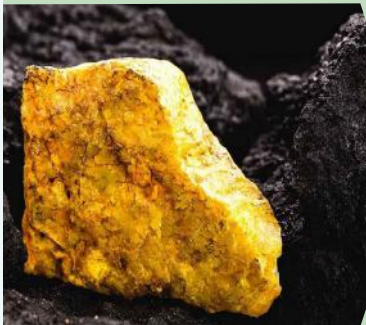
सेवाएं, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।

7. आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआई)



केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI)** को 'अंतर्राष्ट्रीय संगठन' के रूप में वर्गीकृत करने को मंजूरी दी। कैबिनेट ने संयुक्त राष्ट्र (विशेष. अधिकार और प्रतिरक्षा) अधिनियम, 1947 की धारा -3 के तहत छूट और विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए **CDRI** के साथ मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी दी। भारत के प्रधानमंत्री ने 23 सितंबर, 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान **CDRI** को लांच किया था। यह सतत विकास का समर्थन करने के लिए जलवायु और आपदा जोखिमों के लिए नई और मौजूदा बुनियादी ढांचा प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। अब तक 31 देश, 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और 2 निजी क्षेत्र के संगठन सदस्य के रूप में **CDRI** में शामिल हुए हैं।

8. राजस्थान में यूरेनियम की खोज



हाल ही में राजस्थान के सीकर जिले में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं। यह राज्य की राजधानी जयपुर से लगभग 120 किमी. की दूरी पर स्थित है। आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद राजस्थान तीसरा राज्य बन गया है जहाँ यूरेनियम पाया गया है। यूरेनियम को दुनिया भर में दुर्लभ खनिजों में गिना जाता है। वर्तमान में झारखंड राज्य के जादूगोड़ा और आंध्र प्रदेश राज्य में यूरेनियम की खुदाई चल रही है। विश्व में यूरेनियम के सबसे बड़े उत्पादकों में कजाखस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। यूरेनियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक U और परमाणु क्रमांक 92 है। यूरेनियम कमजोर रूप से रेडियोधर्मी है क्योंकि इसके सभी समस्थानिक अस्थिर हैं। यूरेनियम का उपयोग आमतौर पर विद्युत पैदा करने, परमाणु ऊर्जा, रक्षा उपकरण, दवाओं और फोटोग्राफी के लिये भी किया जाता है। प्रकृति में यूरेनियम, यूरेनियम-238 और यूरेनियम-235 के रूप में पाया जाता है।

9. यूनेस्को का किंग हमद बिन ईसा अल-खलीफा पुरस्कार



NCERT की एक इकाई, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी (**Central Institute of Educational Technology – CIET**) को वर्ष 2021 के लिए शिक्षा में आईसीटी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) के उपयोग के लिए यूनेस्को के किंग हमद बिन ईसा अल-खलीफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस संस्था ने कोविड महामारी के दौरान 'पीएम ई विद्या योजना' के तहत आईसीटी का इस्तेमाल किया था।

केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईईटी) एक स्वायत्त संगठन है, जो शिक्षा की गुणवत्ता के विस्तार और सुधार के लिए मास मीडिया प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के तहत एक नोडल एजेंसी के रूप में गठित है। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (**CIET**) की स्थापना

1984 में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (**NCERT**) की छत्रछाया में की गई थी। यह संस्थान भारत की राजधानी नई दिल्ली में एनआईई कैंपस, एनसीईआरटी में स्थित है।

10. रिमपैक 2022



भारतीय नौसेना का स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस सतपुड़ा और पी8आई विमान अमेरिका स्थित हवाई के पर्ल हार्बर में सबसे बड़े बहुपक्षीय नौसेना अभ्यासों में से एक- रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। इसे रिमपैक के रूप में भी जाना जाता है। रिमपैक के वर्तमान संस्करण में 27 देश भाग ले रहे हैं। **RIMPAC 2022** की थीम- 'सक्षम, अनुकूलन, भागीदार' (**Capable Adaptive Partners**) है।

RIMPAC के बारे में: रिमपैक विश्व का सबसे बड़ा समुद्री सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर अमेरिका के हवाई क्षेत्र में किया जाता है। पहली बार रिमपैक का आयोजन 1971 में किया गया था। पहली बार **RIMPAC** में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम (**U-K**) और संयुक्त राज्य अमेरिका (**U-S**) के सैन्य

बल शामिल हुए थे। भारत ने पहली बार 2014 में **RIMPAC** में भाग लिया जब स्वदेश निर्मित शिवालिक श्रेणी के स्टील्थ फ्रिगेट **INS सह्याद्री** ने अभ्यास में भाग लिया था।

11. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के नए अध्यक्ष



हाल ही में सिंगापुर के टी. राजा कुमार को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (**FATF**) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने मार्कस प्लीयर का स्थान लिया है।

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (**FATF**) एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1989 में **G7** की पहल पर मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिये किया गया था। 2001 में, आतंकवाद के वित्तपोषण को शामिल करने के लिए इसके जनादेश का विस्तार किया गया था। इसका सचिवालय पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग विकास संगठन (**OECD**) के मुख्यालय में स्थित है। वर्तमान में **FATF** में 39 सदस्य देश और 2 क्षेत्रीय संगठन (यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद) शामिल हैं। भारत वर्ष 2010 से (**FATF**) का सदस्य है।

FATF की सूचियाँ:

ग्रे लिस्ट: जिन देशों को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिये सुरक्षित स्थल माना जाता है, उन्हें (**FATF**) की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। इस सूची में शामिल किया जाना संबंधित देश के लिये एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि उसे ब्लैक लिस्ट में शामिल किया सकता है। इस सूची में शामिल देश-पाकिस्तान, **UAE** इत्यादि।

ब्लैक लिस्ट: ऐसे देश जो आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं, उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। इस सूची में देशों को शामिल करने अथवा हटाने के लिये **FATF** इसे नियमित रूप से संशोधित करती है। वर्तमान में, ईरान और दक्षिण कोरिया ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं।

12. 'स्टार्टअप स्कूल इंडिया' पहल



गूगल द्वारा 'स्टार्टअप स्कूल इंडिया' पहल की शुरुआत की गई है। स्टार्टअप पर प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने और इसे एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम में तैयार करने के उद्देश्य से स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल को स्थापित किया गया है। इस कदम से टियर 2 और टियर 3 शहरों में 10,000 स्टार्टअप को मदद मिलेगी। यह कार्यक्रम 9 सप्ताह तक वर्चुअल मोड में आयोजित किया जाएगा। गूगल स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल में फिनटेक, भाषा, नौकरी खोज, सोशल मीडिया एवं नेटवर्किंग, बिजनेस-टू-कंज्यूमर ई-कॉमर्स तथा बिजनेस-टू-बिजनेस ई-कॉमर्स सहित कई विषय शामिल होंगे। इसका उद्देश्य वर्चुअल पाठ्यक्रम को लचीलापन प्रदान करना है। यह पहल लोगों को पिक एंड चॉइस मॉड्यूल प्रदान करती है। यह उद्यमियों को एक

सफल संस्थापक बनाने जैसी बातों से सीखने का अवसर प्रदान करेगी। भारत दुनिया भर में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भले ही स्टार्टअप की संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन ऑपरेशन के पहले 5 वर्षों में 90% स्टार्टअप विफल हो जाते हैं। वित्तीय संकट, अक्षम फीडबैक लूप, नेतृत्व की अनुपस्थिति और अनुचित मांग अनुमानों पर कोई नियंत्रण न होने के कारण स्टार्टअप विफल हो रहे हैं।

समसामयिकी घटनाएं एक नजर में

1. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गठबंधन (सीडीआरआई)' को "अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन" के रूप में सूचीबद्ध करने को मंजूरी दी।
2. 'व्यावसायिक सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) रिपोर्ट' 'वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय', भारत सरकार द्वारा जारी की गई है।
3. ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस रैंकिंग: **BRAP** 2020 रिपोर्ट में 'टॉप अचीवर्स' सात राज्य हैं - आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना और तमिलनाडु जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश 'अचीवर्स' श्रेणी में हैं।
4. पूरी दुनिया में हर साल 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है।
5. बेदाती-वरदा नदी लिंक परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है।
6. ओडिशा राज्य को राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 का पहला पुरस्कार मिला है।
7. नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी।
8. 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया।
9. यायर लैपिड इजराइल के नए प्रधान मंत्री बने।
10. नासा ने चंद्रमा के लिए कैपस्टोन उपग्रह लॉन्च किया।
11. सहकारिता का 100वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2 जुलाई को मनाया गया।
12. भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लिए 'राज्य रैंकिंग सूचकांक' में सामान्य श्रेणी के राज्यों में ओडिशा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश शीर्ष पर हैं; जबकि विशेष श्रेणी के राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम ने शीर्ष स्थान हासिल किया है।
13. फ्रांसीसी कंपनी **Safran** ने हेलीकॉप्टर इंजन विकसित करने के लिए **HAL** के साथ साझेदारी की
14. कंपनी द्वारा नकली खातों की संख्या के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान करने में विफल रहने के बाद एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए \$44 बिलियन का अपना प्रस्ताव छोड़ दिया।
15. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की पहली उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ आईएमएफ के 'पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार' पर चित्रित होने वाली पहली महिला हैं।
16. जीएमआर ग्रुप ने घोषणा की है कि इंडोनेशिया के मेडन में कुआलानामु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को उसके संयुक्त उद्यम, अंगकासा पुरा अवियासी द्वारा चलाना शुरू कर दिया गया है।
17. नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत जी-20 के नए शेरपा हैं
18. भारत को 2022-2026 की अवधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण (**ICH**) के लिए यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर-सरकारी समिति के लिए चुना गया है।
19. भारत 2023 में पृथ्वी पर सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा: यूएन
20. बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा दिया, भारत सरकार का कहना है कि नेतृत्व में बदलाव से भारत-ब्रिटेन संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
21. जून में भारत का व्यापारिक निर्यात 16.8 प्रतिशत बढ़कर 37.9 अरब डॉलर हो गया।
22. कोर उद्योग के उत्पादन में मई 2022 में 18.1 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले साल 16.4 थी
23. राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने बाबासाहेब अम्बेडकर से जुड़े दो स्थलों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है।
24. विश्व बैंक ने 'द ग्लोबल फाइंडेक्स रिपोर्ट 2021' जारी की।
25. ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट (जीएसईआर) 2022 में अफोर्डेबल टैलेंट में केरल को एशिया में पहले स्थान पर रखा गया है।

ब्रेन बूस्टर

1. चर्चा में क्यों?

- भारत के चुनाव आयोग ने हाल ही में भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव की घोषणा की है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार, निवर्तमान उपराष्ट्रपति के पद की अवधि की समाप्ति से पहले अगले चुनाव को किया जाना आवश्यक है।
- वर्तमान उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त, 2022 को समाप्त हो रहा है।

2. भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में

- संविधान का अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।
- संविधान के अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होगा और कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा।
- उपराष्ट्रपति, भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है जोकि संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह है।
- उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है।

3. उपराष्ट्रपति का चुनाव

- राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 के साथ पढ़े गए संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत के चुनाव आयोग में भारत के उपराष्ट्रपति के चुन. त्व के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए।
- संविधान का अनुच्छेद 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय वोट और सीक्रेट बैलेट पेपर द्वारा होता है। इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल हैं:
- राज्य सभा के 245 सदस्य

4. योग्यतायें

- वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
- उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- उसे संसद के उच्च सदन, जिसे राज्य सभा भी कहा जाता है, के चुनाव के लिए पात्र होना चाहिए।
- वह किसी अन्य लाभ के पद पर न हो।
- राष्ट्रपति या उनकी ओर से नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है (अनुच्छेद 69)।

5. उपराष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य

- राज्य सभा के पदेन सभापति होने के कारण, उसे उच्च सदन के संचालन में लोकसभा के अध्यक्ष की तरह ही शक्ति प्राप्त है।
- उपराष्ट्रपति केवल 6 महीने के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है उसके बीच में चुनाव आवश्यक होता है।
- जब वह राष्ट्रपति की तरह कार्य करता है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करता है। इस अवधि में वह कर्तव्य राज्यसभा के उपसभापति निभाते हैं।
- क्योंकि वह सदन का सदस्य नहीं है इसलिए सामान्यता वह मत का प्रयोग नहीं करता है लेकिन वोट बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है।

6. उपराष्ट्रपति को हटाना

- उपराष्ट्रपति को हटाने के मामले में, राष्ट्रपति की तरह औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है।
- उपराष्ट्रपति को उनके पद से राज्यसभा में राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है जिस पर लोकसभा द्वारा सहमति प्रकट की गयी हो।
- राज्य सभा में प्रस्ताव पारित करने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति को 14 दिनों का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है।



भारत के उपराष्ट्रपति

- लोकसभा के 543 सदस्य।
- उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में किसी भी विवाद की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है जिसका निर्णय अंतिम होता है।

1. चर्चा में क्यों?

- हाल ही में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 48वें ग्रुप-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जर्मनी का दौरा किया।
- जर्मनी ने इस साल जी-7 की अध्यक्षता की है।
- भारत के अलावा, जर्मनी के चांसलर ने अर्जेन्टीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका को भी आमंत्रित किया।
- प्रधानमंत्री ने दो सत्रों में प्रतिभाग किया जिसमें पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और लोकतंत्र शामिल थे।
- उन्होंने सम्मलेन में भाग लेने वाले कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कीं।

2. जी-7 के बारे में

- यह एक अंतरसरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1975 ई. में संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और जापान जैसे छह सदस्य देशों ने की थी।
- 1976 ई. में कनाडा के शामिल होने से यह जी - 7 बन गया।
- इसके बाद 1998 में, USSR के विघटन के बाद, रूस G-7 का हिस्सा बन गया और आधिकारिक तौर पर यह जी-8 बन गया।
- यूक्रेन की संप्रभुता के उल्लंघन (क्रीमिया पर कब्जा करने हेतु) के कारण, समूह के देशों ने रूस को निष्कासित करने का निर्णय लिया जिससे यह पुनः जी - 7 बन गया।
- आर्थिक शासन, वैश्विक सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हितों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए समूह की सालाना बैठक होती है।
- अगले साल इस समूह की बैठक की अध्यक्षता जापान के पास होगी।

3. जी-7 की स्थिति

- समित की वेबसाइट के अनुसार, जी - 7 देशों में विश्व की जनसंख्या का 10%, विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 31% और वैश्विक कार्बन उत्सर्जन का 21% शामिल है।
- चीन और भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था और दुनिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले देश, जी - 7 का हिस्सा नहीं हैं।

4. सम्मेलन की प्रमुख बातें

- जी - 7 देशों ने विकासशील और मध्यम आय वाले देशों के लिए गेम चेंजिंग और पारदर्शी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वितरित करने के लिए वैश्विक बुनियादी ढांचा और निवेश (पीजीआईआई) के लिए 600 अरब डॉलर की सामूहिक पहल शुरू की है।
- पीएम मोदी ने नागरिकों के लिए पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को प्रोत्साहन हेतु LiFE (पर्यावरण के लिए अच्छी जीवन

शैली) अभियान के वैश्विक प्रयासों पर प्रकाश डाला।

- ग्रुप के देशों ने पेरिस जलवायु समझौते का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अक्षय ऊर्जा की दिशा में अधिकतम प्रयासों की भी वकालत की।
- सदस्य देशों ने यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के बारे में भी चर्चा की और रूस पर यूरोपीय देशों की तेल निर्भरता को सुलझाने के लिए रणनीति सुझाया।
- युद्ध के कारण, ऊर्जा की कीमतें रिकॉर्ड उच्च स्तर पर हैं साथ ही अधिकांश देशों में खाद्य संकट भी उत्पन्न हुआ।

5. भारत की पहल

- भारत पेरिस जलवायु समझौते का हस्ताक्षरकर्ता है, यही कारण है कि भारत ने अक्षय ऊर्जा (सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास, जैव ईंधन आदि), हरित परिवहन, इलेक्ट्रिक मोटर आदि की दिशा में कई कदम उठाए हैं।
- भारत ने अक्षय स्रोतों से 2022 तक 175 GW और 2030 तक 500 GW उत्पादन का लक्ष्य रखा है। मार्च 2022 तक, भारत ने लगभग 110 GW का उत्पादन किया।
- आज भारत पर्यावरण के अनुकूल निवेश के लिए दुनिया के सबसे आकर्षक स्थलों में से एक है।
- भारत अक्षय बैटरियों के साथ-साथ हरित हाइड्रोजन में वैश्विक नेता बनने के लिए उत्कृष्ट प्रयास कर रहा है।
- भारत में दुनिया का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है।
- भारत भी वर्तमान में पेट्रोल के साथ 10% इथेनॉल का उपयोग कर रहा है और अगले 3 वर्षों में 20% का लक्ष्य रखा है।
- यह आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करने में मदद करेगा जिससे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है।



ग्रुप - 7

- समूह का कोई आधिकारिक सचिवालय नहीं है। इस समूह की अध्यक्षता प्रत्येक वर्ष सदस्य देशों के बीच बदलती रहती है।
- यह विकसित देशों का समूह है जो वैश्विक व्यापार में बड़ी भूमिका निभाते हैं।
- इनमें अमेरिका और जर्मनी विशेष रूप से प्रमुख निर्यातक देश हैं। दोनों ने 2021 में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निर्यात किया है।
- सभी जी - 7 देशों में, सार्वजनिक क्षेत्र का वार्षिक व्यय राजस्व से अधिक है। अधिकांश जी - 7 देशों में सकल ऋण का उच्च स्तर है, विशेष रूप से जापान (जीडीपी का 263%), इटली (जीडीपी का 151%) और अमेरिका (जीडीपी का 133%)।

1. खबरों में क्यों?

हाल ही में अफगानिस्तान के एक सुदूर शहर में रिक्टर पैमाने पर 5.9 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया।

2. भूकंप कैसे आते हैं?

- प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत के अनुसार, पृथ्वी की पपड़ी (क्रस्ट) और ऊपरी मेंटल बड़ी कठोर प्लेटों से बनी होती है जो एक दूसरे के सापेक्ष गति कर सकती हैं।
- प्लेट की सीमाओं के निकट भ्रंश पर फिसलने से भूकंप आ सकता है।
- पृथ्वी के अंदर का वह बिंदु जहां से भूकंप का टूटना शुरू होता है, फोकस या हाइपोसेंटर कहलाता है।
- पृथ्वी की सतह पर हाइपोसेंटर के ठीक ऊपर का बिंदु उपरिकेंद्र है।

3. भूकंपीय तरंगें:

- पृथ्वी की एक लोचदार सीमा (Elastic limit) होती है और जब तनाव इस सीमा से अधिक होता है, तो वह टूट जाती है, जिससे गर्मी और ऊर्जा निकलती है।
- चूंकि सामग्री लोचदार है, इसलिए ऊर्जा लोचदार तरंगों के रूप में निकलती है। ये प्रभाव की सीमा से निर्धारित दूरी तक फैलते हैं।
- इन्हें भूकंपीय तरंगों के रूप में जाना जाता है।
- भूकंप भूकंपीय तरंगें उत्पन्न करता है जो पृथ्वी में शरीर की तरंगों/बॉडी वेव्स (पी एंड एस वेव्स) के रूप में प्रवेश करती हैं या सतह तरंगों (लव और रेले) के रूप में यात्रा करती हैं।

4. भूकंप का मापन:

- भूकंप, भूकंपीय नेटवर्क द्वारा मापा जाता है, जो भूकंपीय स्टेशनों से बने होते हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने नीचे की जमीन के हिलने को मापता है।
- भारत में, राष्ट्रीय भूकंपीय नेटवर्क भूकंपों को मापता है।

5. भूकंपों को मापने के पैमानें :

1. रिक्टर पैमाना :

- भूकंप का परिमाण भूकंपों द्वारा मापी गई तरंगों के आयाम का लघुगणक है।
 - रिक्टर पैमाने के परिमाण को पूर्ण संख्या और दशमलव भाग के रूप में व्यक्त किया जाता है, उदाहरण के लिए 4.6 या 8.2।
 - परिमाण को निरपेक्ष संख्या, 0-10 में व्यक्त किया जाता है।
 - पूर्ण संख्या में एक इकाई की वृद्धि तरंग के आयाम में 10x की वृद्धि और उतपन्न ऊर्जा में 31x वृद्धि को दर्शाती है।
- #### 2. मरकेली स्केल:
- यह घटना से हुई दृश्य क्षति को ध्यान में रखता है।
 - तीव्रता पैमाने की सीमा 1-12 से है।

6. क्षेत्रों को नामित करना :

- भूकंप से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर भारत में चार भूकंपीय क्षेत्र (II, III, IV और V) हैं।
- पहले भूकंप की गंभीरता को देखते हुए भारत को पांच क्षेत्रों में बांटा गया था।
- जोन-V सबसे खतरनाक है और जोन-I सबसे कम खतरनाक है।
- भारतीय मानक ब्यूरो भूकंपीय खतरे के नक्शे और कोड प्रकाशित करने वाली आधिकारिक एजेंसी है।

7. भूकंप के संभावित क्षेत्र:

- मुख्य रूप से पृथ्वी के तीन बड़े प्रवण क्षेत्र हैं:
- विश्व की सबसे बड़ी भूकंप पेटी, पश्चिमी-प्रशांत भूकंपीय बेल्ट ('रंग ऑफ फायर'), प्रशांत महासागर के किनारे पर पाई जाती है, जहां हमारे ग्रह के सबसे बड़े भूकंपों में से लगभग 81% भूकंप आते हैं।
 - एल्पाइड बेल्ट, भूमध्यसागरीय क्षेत्र से पूर्व की ओर एशिया से होकर गुजरती है और ईस्ट इंडीज में सर्कम-पैसिफिक बेल्ट में मिलती है, दुनिया के सबसे बड़े भूकंप का लगभग 17% यहाँ घटित होता है।
 - तीसरा प्रमुख पेटी जलमग्न मध्य अटलांटिक कटक का अनुसरण करती है।
 - मध्य अटलांटिक कटक का अधिकांश भाग गहरे पानी के भीतर है और मानव विकास से बहुत दूर है।

भूकंप मापन

- इसमें तरंग मापदंडों को मापा जाता है न कि जारी की गई कुल ऊर्जा को।
- जारी की गई ऊर्जा की मात्रा और तरंग आयाम के बीच एक सीधा संबंध है।
- तरंग का आयाम तरंग के आवर्तकाल का एक फलन है।
- तरंग आयाम की माप को उस भूकंप के लिए जारी ऊर्जा में परिवर्तित करना संभव है जिसे भूकंप के परिमाण के रूप में परिभाषित किया गया है।

1. खबरों में क्यों?

- भारतीय रुपया जून के अंतिम सप्ताह में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर 79 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच गया।

2. रुपये की गिरावट:

- भारतीय रुपये में इस वर्ष लगातार गिरावट देखी जा रही है, 2022 की शुरुआत से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6% से अधिक की गिरावट आई है।
- भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी \$600 बिलियन से नीचे आ गया है, जो 3 सितंबर, 2021 से \$50 बिलियन से अधिक कम हुआ है।

3. मुद्रा मूल्य का निर्धारण:

- किसी भी मुद्रा का मूल्य मुद्रा की मांग के साथ-साथ उसकी आपूर्ति से निर्धारित होता है।
- जब किसी मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है, तो उसका मूल्य गिर जाता है।
- दूसरी ओर, जब किसी मुद्रा की मांग बढ़ती है, तो उसका मूल्य बढ़ जाता है।
- व्यापक अर्थव्यवस्था में, केंद्रीय बैंक मुद्राओं की आपूर्ति का निर्धारण करते हैं, जबकि मुद्राओं की मांग अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा पर निर्भर करती है।
- विदेशी मुद्रा बाजार में, रुपये की आपूर्ति आयात, निर्यात और विभिन्न विदेशी संपत्तियों की मांग से निर्धारित होती है।

4. विनिमय दर का निर्धारण:

- अन्य मुद्राओं के सापेक्ष आपूर्ति और मांग के आधार पर विदेशी मुद्रा बाजार द्वारा एक अस्थायी विनिमय दर निर्धारित की जाती है।
- एक निश्चित या आंकी गई दर वह दर है जिसे सरकार (केंद्रीय बैंक) आधिकारिक विनिमय दर के रूप में निर्धारित करती है और बनाए रखती है।
- इसकी कीमत एक प्रमुख वैश्विक मुद्रा जैसे डॉलर, यूरो आदि के आधार पर निध

5. मुद्रा मूल्य में उतार चढ़ाव:

- किसी मुद्रा का पुनर्मूल्यन (Revaluation) तब होता है जब एक मुद्रा का मूल्य एक निश्चित विनिमय दर व्यवस्था में किसी अन्य मुद्रा के सापेक्ष बढ़ जाता है, जबकि इसका विपरीत अवमूल्यन (Devaluation) कहलाता है।
- किसी मुद्रा का मूल्य वृद्धि (Appreciation) एक अस्थायी विनिमय दर प्रणाली में एक या एक से अधिक विदेशी संदर्भ मुद्राओं के संबंध में देश की मुद्रा के मूल्य में वृद्धि है, जबकि इसका विपरीत मूल्यहास (Depreciation) कहलाता है।

6. रुपये में गिरावट के कारण:

- यू.एस. फेडरल रिजर्व अपनी बेंचमार्क ब्याज दर बढ़ा रहा है जिससे निवेशक भारत जैसे उभरते बाजारों से पूंजी खींच रहे हैं और डॉलर की मांग में वृद्धि कर रहे हैं।
- भारत का चालू खाता घाटा, (वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात के मूल्य के बीच का अंतर) चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद के 3.3% के 10 साल के उच्च स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है।
- इससे रुपये पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। अन्य प्रमुख कारण भारत में लगातार उच्च घरेलू मूल्य मुद्रास्फीति है।



रुपये की गिरावट

8. आगे की राह:

- विनिमय दर को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई खुले बाजार में डॉलर की आपूर्ति शुरू कर सकता है।
- आरबीआई को डॉलर की मांग के अन्य घटकों की निगरानी करनी चाहिए।
- बाह्य वाणिज्यिक उधारी के माध्यमों को विवेकपूर्ण बनाया जाना चाहिए।
- सॉवरेन बांड या ऐसी किसी भी योजना को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई जानी चाहिए जिसमें निवेश करने के लिए प्रवासियों एवं विदेशियों को

7. प्रभाव:

a) सकारात्मक:

- कमजोर रुपये को सैद्धांतिक रूप से भारत के निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन अनिश्चितता के माहौल में उच्च निर्यात में तब्दिल नहीं हो पाता है।

b) नकारात्मक:

- यह आयातित मुद्रास्फीति जोखिम पैदा करता है।
- भारत का आयात मूल्य और चालू खाता घाटा (सीएडी) बढ़ता है जिससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है।

1. चर्चा में क्यों?

- हाल ही में स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया है।
- शुरुआत में तुर्की इस प्रस्ताव के खिलाफ था लेकिन अब उसने भी समर्थन दिया है।
- रूस के साथ चल रहे युद्ध के कारण यूक्रेन भी सैन्य गठबंधन में शामिल होना चाहता है।
- शीत युद्ध प्रतिद्वंद्विता से उभरे 30 देशों के क्षेत्रीय सुरक्षा गठबंधन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के नेताओं की मुलाकात 29-30 जून को मैड्रिड, स्पेन में हुई।

2. नाटो के बारे में

- यह एक सैन्य गठबंधन है जिसे 4 अप्रैल, 1949 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 12 सदस्य देशों ने पूर्वी और उत्तरी यूरोपीय क्षेत्र में तैनात सोवियत सेना के खिलाफ स्थापित किया गया था।
- नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है जबकि संबद्ध (ALLIED) कमांड ऑपरेशन का मुख्यालय मॉन्स, बेल्जियम में स्थित है।
- इसे वाशिंगटन संधि के नाम से भी जाना जाता है।
- वर्तमान में नाटो के 30 सदस्य देश हैं। इस समूह में शामिल होने वाला अंतिम देश उत्तर मैसेडोनिया है।

3. नाटो के उद्देश्य

नाटो के मूल रूप से दो मुख्य उद्देश्य हैं;

- राजनीतिक उद्देश्य - नाटो सदस्य देशों के बीच लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है और देशों को सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर परामर्श और सहयोग करने में सक्षम बनाता है ताकि सदस्य देशों के आपसी विश्वास और संप्रभुता को सर्वोच्च स्तर पर रखा जा सके। नाटो के सैन्य उद्देश्य - नाटो विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। यदि राजनयिक प्रयास

4. चल रहे युद्ध से पहले नाटो की स्थिति

- पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के दौरान यह कमजोर होता दिखाई दिया।
- असफल प्रबंधन और आपसी मतभेद का दूसरा झटका तब लगा जब राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने देश के सैनिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने का निर्णय लिया जोकि एकतरफा कदम था।
- यूएसएसआर के विघटन के बाद, रूस ने साम्राज्य को उत्तराधिकारी देश के रूप में लिया और 2000 के दशक के अंत से

सार्वजनिक रूप से नाटो के खिलाफ विद्रोह करने लगा।

- रूस ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और वर्तमान समय में भी यूक्रेन पर आक्रमण लगातार जारी है।

5. नाटो के हालिया घटनाक्रम

- नाटो संगठन की सैन्य जरूरतों के वित्तपोषण हेतु दृढ़ता से प्रतिबद्ध है।
- 2014-19 से उनके संयुक्त रक्षा निवेश में 130 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है।
- नाटो ने घोषणा की है कि वह 2023 के मध्य तक अपनी सेना को 40,000 से बढ़ाकर 3,00,000 से अधिक करेगा।
- स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल होना चाहते हैं क्योंकि रूस के पड़ोसी के रूप में वे सामरिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। पहले इन दोनों देशों ने तटस्थ स्थिति बनाए रखी थी।
- यदि वे सैन्य समूह में शामिल हो जाते हैं तो दोनों देशों को अपने सकल घरेलू उत्पाद का 2% रक्षा बजट के रूप में खर्च करना पड़ेगा।

6. निष्कर्ष

- नाटो तब दृढ़ दिखाई दे रहा है जब रूस द्वारा लगातार आक्रामक रुख से चुनौती मिल रही है।
- यह संगठन यूक्रेन को आर्थिक मदद तो कर ही रहा है साथ में यूक्रेन द्वारा आवश्यक हथियारों और अन्य सैन्य समर्थन की मांग को भी पूरा करने का वादा किया है।
- रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद की स्थिति को संभालना और फिर ऐसी कोई समस्या न उत्पन्न हो, नाटो के समक्ष यह बड़ी चुनौती होगी।



1. चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में भारत सरकार ने अपना ई - कामर्स कंपनी शुरू किया है ताकि अमेज़ॉन और वालमार्ट जैसे प्रभावशाली और दिग्गज कंपनियों के एकाधिकार को कम करते हुए लोगों को एक वैकल्पिक व्यवस्था दिया जा सके।
- इसे डिजिटल कामर्स हेतु ओपन नेटवर्क (ONDC) नाम दिया गया है।

2. ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कामर्स

- यह एक गैर - लाभकारी कंपनी है जिसका नेटवर्क सभी उत्पादों एवं सेवाओं को सभी ई - कामर्स से संबंधित एप्लिकेशन के नेटवर्क पर सक्षम बनाने का कार्य करेगा।
- इसका उद्देश्य है कि आने वाले दो वर्षों में भारतीय उपभोक्ताओं के डिजिटल क्रय का 25% मार्केट आकर्षित करना जोकि 135 करोड़ लोगों के 8% के बराबर होगा।
- इसके अतिरिक्त सरकार आशान्वित है कि आने वाले पांच वर्षों में 90 करोड़ खरीदकर्ता (BUYERS) और 12 लाख विक्रयकर्ता (SELLERS) इस प्लेटफॉर्म पर साइन अप करेंगे जिससे कुल सकल व्यापार 48 बिलियन डॉलर का होगा।
- सरकार ने उपलब्ध आंकड़ों की गणना करके आकलन किया है कि ई - कामर्स मार्केट का कुल सकल व्यापार 2021 में 55 बिलियन डॉलर था जिसमें तेजी से वृद्धि हो रही है और यह इस दशक के अंत तक 350 बिलियन डॉलर तक पहुँच सकता है जोकि पाकिस्तान जैसे देशों की अर्थव्यवस्था के बराबर होगा।
- वर्तमान समय में अमेज़ॉन और वालमार्ट की फ्लिपकार्ट कुल मार्केट का लगभग 60% को कंट्रोल करते हैं।

3. इकॉनोमी बूस्ट करने का उद्देश्य

- मौजूदा प्लेटफॉर्म भूमिगत कक्ष (SILOS) होकर और सख्त नियंत्रण में कार्य करता है जिससे कुछ छोटे प्लेयर्स बाहर हो जाते हैं। परन्तु इससे उम्मीद की जा रही है कि प्रति स्पर्धा समावेशी होगी जिससे स्टार्ट अप के

4. चुनौतियाँ

- कंपनी ने केवल अधिक से अधिक लाखों छोटे व्यापारियों को आकर्षित करने का उद्देश्य रखा है जोकि प्रायः तकनीकी फ्रेंडली नहीं होते हैं।
- अतः सरकार को एक बड़े स्तर पर एक प्रशिक्षण अभियान चलाना होगा ताकि उनको बोर्ड पर लाया जा सके।
- छोटे व्यापारियों के पास संसाधनों और उनकी मात्रा में कमी के कारण बहुत नुकसान होगा जब बड़ी - बड़ी कम्पनियाँ जैसे- अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट अपने सामानों पर अधिकतम छूट ऑफर करेंगे।

5. अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- जैसा कि उपभोक्ता से संबंधित विवादों के निवारण हेतु आयोग का नियम है कि रूपये 5 लाख तक के केस दायर करने की कोई फीस नहीं होगी।
- ई - कामर्स प्लेटफॉर्म को किसी भी उपभोक्ता के शिकायत की रशीद को 48 घंटे के अंदर संज्ञान में लेना होगा।
- सभी ई - कामर्स प्रदाताओं को कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं को बताने की जरूरत होगी जैसे - सामानों की वापसी, एक्सचेंज, वारंटी और गारंटी, शिपमेंट और डिलीवरी से सम्बंधित जानकारी, भुगतान का रूप (MODE OF PAYMENT), शिकायत निवारण तंत्र आदि।

6. निष्कर्ष

- डिजिटल माध्यम से व्यापार के अवसरों को बढ़ावा देने में इंटरनेट ने बहुत सहायता किया है जिसमें ई - कॉमर्स भी एक सर्वाधिक प्रचलित प्लेटफॉर्म है।
- बिना किसी शक के ई - कॉमर्स अपने समाज का एक प्रमुख अंग बन गया है।
- आज के समय में ई - कॉमर्स सचूना तकनीकी का मुद्दा न होकर पूरी प्रणाली को देख रहा है।

ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कामर्स

नवीनीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

- डिजिटल कामर्स हेतु ओपन नेटवर्क लोजिस्टिक D1 फर्म और अन्य प्लेयर को एक साथ लाएगा ताकि दोनों एक साथ सहमति या समझौते के फलस्वरूप क्रेता - विक्रेता में सामंजस्य बना रहे।
- इसका फोकस भारतीय भाषाओं में एप्लिकेशन के माध्यम से छोटे व्यापारी और ग्रामीण उपभोक्ता पर होगा।
- यह प्लेटफॉर्म कुछ चुनिन्दा विक्रेताओं के अवसरों को सीमित करेगा ताकि सभी को समान अवसर प्रदान किया जा सके।
- यह उपभोक्ताओं को सेवा प्रदाता कंपनी के

बारे में जागरूक करेगा जिसके लिए रेटिंग को सभी नेटवर्क पर दिखाया जायेगा।

- यह प्लेटफॉर्म बढ़ा चढ़ाकर मार्जिन लेने वाली कीमतों को समय के साथ कम करेगा ताकि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले।
- डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार ने डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने हेतु कई पहलुओं को शुरू किया है जैसे- उमंग , स्टार्ट अप इंडिया, भीम इत्यादि।
- सरकार ने भारत में 5जी फाइबर नेटवर्क के जाल बिछाने हेतु बहुत बड़े स्तर पर निवेश करने का फैसला किया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने अभी हाल ही में मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ का शुभारंभ किया है। यह प्रकोष्ठ मानव तस्करी से जुड़ी प्रशिक्षण और कार्यशालाओं का आयोजन करेगा। मानव तस्करी संगठित अपराध का एक रूप है, जो पीड़ितों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। देश में मानव तस्करी के पीड़ितों की संख्या अस्सी लाख से ज्यादा है, जिसमें सबसे ज्यादा बंधुआ मजदूर हैं।

1. उद्देश्य

इस प्रकोष्ठ की स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कानून प्रवर्तन अधिकारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने और उनकी क्षमता निर्माण को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से की गई है।

2. कार्य

- मानव तस्करी के मामलों से निपटना।
- महिलाओं और लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाते हुए प्रवर्तन अधिकारियों की क्षमता निर्माण में वृद्धि करना।
- अधिकारियों की मानव तस्करी से जुड़े मामलों की जवाबदेही सुनिश्चित करना।
- प्रकोष्ठ और निगरानी तंत्र में निरंतर अपेक्षित सुधार करते रहना।
- पीड़ितों की तस्करी और पुनर्वास की रोकथाम के लिए सरकारी एजेंसियों को प्रोत्साहित करना।
- तस्करी से बचे लोगों को आवश्यकता-आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना।
- पीड़ितों के पुनःआघात को रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

3. मानव तस्करी से जुड़ी रिपोर्टें:

- अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट 'ट्रैफिकिंग इन पर्संस रिपोर्ट-2020' में भारत को गत वर्ष की भांति टियर-2 श्रेणी में रखा गया।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार विगत एक दशक में भारत में हुई मानव तस्करी में 76 फीसदी लड़कियां और महिलाएं हैं।
- एनसीआरबी के अनुसार भारत में मानव तस्करी दूसरा सबसे बड़ा अपराध है।
- तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ मानव तस्करी के प्रमुख राज्य हैं।

4. मानव तस्करी के मूल कारण:

- गरीबी, बेरोजगारी, उत्पीड़न, संसाधनों की कमी, सामाजिक असुरक्षा, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा, राजनैतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, सस्ते श्रम की मांग, ज्ञान की कमी, टूटे या विस्थापित परिवार, सांस्कृतिक और सामाजिक रूढ़ियाँ।

5. मानव तस्करी के परिणाम:

- पीड़ितों पर भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रभाव।
- पीड़ितों में एड्स व संक्रमण जैसी बीमारियों का खतरा।
- पीड़ितों का सामाजिक बहिष्कार।
- देश की आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव।

6. राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका:

- मानव तस्करी से सम्बंधित आयोग ने राज्यों के लिए एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का प्रस्ताव रखा।
- यह एसओपी सम्पूर्ण देश में न केवल पुलिस, महिला कल्याण एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों को बल्कि बचाव और पुनर्वास में भी मार्गदर्शन करेगी।
- मानव तस्करी विरोधी जागरूकता सेमिनार में, एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष, रेखा शर्मा ने कहा कि उनका "ध्यान लड़कियों और महिलाओं की तस्करी की रोकथाम पर है"।

7. राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में:

इस आयोग का गठन जनवरी, 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया गया था।

8. राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य:

- महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना।
- उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करना।
- शिकायतों के निवारण की सुविधा।
- महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना।

9. भारत में संवैधानिक प्रावधान:

- भारत का संविधान, 1950 मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध का प्रावधान करता है, संविधान के अनुच्छेद 23(1) में कहा गया है कि मानव तस्करी; भिखारी और अन्य प्रकार के जबरन श्रम कानून

मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ

के तहत सख्त निषेध हैं। इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध है।

- संविधान के अनुच्छेद 39 (e) और (f) में यह सुनिश्चित किया गया है कि श्रमिकों के साथ न तो दुर्व्यवहार किया जाना चाहिए और न ही उन्हें आपराधिक गतिविधियों में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया जाए साथ ही, बच्चों को स्वस्थ तरीके से विकसित होने के पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए।

मुख्य परीक्षा विशेष

भूगोल, भारतीय समाज और सामाजिक न्याय

1. पूर्वी भारत के संसाधन संपन्न राज्यों जैसे झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ आदि पुरानी और नई शब्दावली के अनुसार क्रमशः 'बीमारू' और 'आकांक्षी' राज्यों में से हैं। इन राज्यों के विकास की कहानी में इस विकासात्मक द्वंद्व के क्या कारण हैं? विवरण दीजिए।

उत्तर:

भारत के ये आकांक्षी राज्य संसाधन 'अभिशाप या बहुतायत के विरोधाभास' से पीड़ित रहे हैं। यह एक विरोधाभासी स्थिति है जिसमें एक क्षेत्र मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों का घर होने के बावजूद सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़ा होता है। **विरोधाभासी स्थिति - संसाधन संपन्न, फिर भी अभी तक अल्प सामाजिक-आर्थिक विकास:-**

1. अकेले झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा में देश की खनिज संपदा (भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण) का 40% से अधिक हिस्सा है।

खनिज

अंश

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. कोयला | 80% से अधिक |
| 2. लौह अयस्क | लगभग 75% |
| 3. बाक्साइट | लगभग 60% |
2. इन राज्यों में औसत वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का 35 प्रतिशत है (इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट-2021)।
3. उच्च गरीबी दर जैसे - झारखंड में 42% (बहु-आयामी गरीबी सूचकांक- नीति आयोग)।
4. निम्न साक्षरता दर और उच्च विद्यालय छोड़ने की दर।
5. खराब स्वास्थ्य संकेतक -
- उच्च शिशु मृत्यु दर (छत्तीसगढ़ - 41 प्रति हजार जीवित जन्म)
 - मातृ मृत्यु दर (ओडिशा - 150 प्रति 1,00,000 जीवित जन्म) आदि।
6. कुपोषण और भूख का उच्च प्रसार।
7. 115 में से 39 आकांक्षी जिले इन तीन राज्यों के हैं।

विकासात्मक विरोधाभास के कारण :

1. प्रभावी और संवेदनशील प्रशासन का अभाव।
2. सुशासन का अभाव और उच्च स्तर का भ्रष्टाचार, जैसे : जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट फंड के उपयोग में अक्षमता।
3. राजनीतिक अस्थिरता, उदाहरण के लिए झारखंड में पिछले 22 वर्षों में 11 मुख्यमंत्री बने हैं।
4. 25% से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों (2011 की जनगणना) की है, जिनकी विशेष विकासात्मक आवश्यकताएं हैं।

5. कठिन भूभाग - पठारी और सघन वन क्षेत्र होने के कारण लॉजिस्टिक्स एवं अवसंरचना विकास चुनौती बना हुआ है।

6. नक्सलियों की मौजूदगी से सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

7. बुनियादी ढांचे की खराब उपलब्धता है। भौतिक अवसंरचना जैसे सड़कें, बिजली आदि के साथ ही सामाजिक अवसंरचना जैसे स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल आदि का अभाव है।

प्रधान मंत्री के शब्दों में, इन राज्यों को स्मार्ट (SMART) शासन की तत्काल आवश्यकता है, ताकि इन राज्यों के साथ-साथ भारत के सतत और समावेशी विकास को सुनिश्चित किया जा सके।

2. भारत की बढ़ती शहरी आबादी की जरूरतों को पूरा करना एक रणनीतिक नीतिगत मामला है। एक सतत शहरी विकास को प्राप्त करने के लिए उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालें जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है।

उत्तर:

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की शहरी आबादी 37.7 करोड़ थी, जिसके 2030 तक बढ़कर लगभग 60 करोड़ होने का अनुमान है (आर्थिक सर्वेक्षण - 2020-21)। शहरीकरण से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अपरिहार्य है।

भारत की शहरी आबादी का महत्व:

1. शहर राष्ट्र के आर्थिक विकास के इंजन हैं।
2. कोविड -19 महामारी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि शहरों में बड़ी संख्या में प्रवासी आबादी रहती है, जो किसी भी आपदा के प्रति सुभेद्य हैं लेकिन विकास के लिए महत्वपूर्ण भी हैं।
3. गरीबी, भूख, कुपोषण आदि जैसे विकासात्मक मुद्दों को संबोधित करने की कुंजी है (आर्थिक विकास का इंजन होने के कारण)।
4. शहरी क्षेत्रों का आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
5. वे उच्च शिक्षा, अनुसंधान के साथ-साथ तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं।

शहरीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है:

1. झुग्गी-झोपड़ी और मलिन बस्तियों का विस्तार नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है। लगभग 6.55 करोड़ लोग मलिन बस्तियों (जनगणना-2011) में रहते हैं।
2. अत्यधिक प्रवास के परिणामस्वरूप बहुत अधिक जनसंख्या

घनत्व है, उदाहरण के लिए दिल्ली में प्रति वर्ग किलोमीटर 11,300 व्यक्ति रहते हैं।

3. उच्च यातायात भीड़ और अक्षम सार्वजनिक परिवहन प्रणाली।
4. सीवरेज की समस्या के कारण मानसून में पानी जमा हो जाता है, जो कभी-कभी शहरी बाढ़ (जैसे-चेन्नई बाढ़) में परिणत हो जाता है।
5. भारत में सालाना लगभग 62 मिलियन टन नगरपालिका ठोस कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से केवल 70% एकत्र किया जाता है और 20% से कम का उपचार किया जाता है।
6. उच्च शहरी बेरोजगारी - आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार अक्टूबर-दिसंबर (2021-22) में 8.7%।
7. जनता के लिए खराब आवास सुविधाएं और आसमान छू रहा किराया एक बड़ी चुनौती है।
8. उद्योगों और परिवहन व्यवस्था(जीवाश्म ईंधन आधारित) के तेजी से विकास के कारण शहरों में उच्च प्रदूषण स्तर है। नीति आयोग के महत्वपूर्ण सुझावों के साथ भारत सरकार उपरोक्त मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना, अमृत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, स्किल इंडिया, मेड इन इंडिया आदि जैसी विभिन्न योजनाओं को लागू कर रही है।

3. भारत ने आबादी के वंचित वर्गों को सम्मान और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सकारात्मक कदम उठाए हैं। क्या इसने उन लोगों को गरिमा (सम्मान) प्रदान की है जो इससे वंचित थे?

उत्तर:

हाशिए के वर्गों का विकास और उन्हें समाज के बाकी हिस्सों के बराबर लाने के लिए उनका सशक्तिकरण करना भारत के संविधान में निहित एक प्रतिबद्धता है। प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सामाजिक न्याय दृष्टिकोण के माध्यम से इसे प्राप्त करने का मार्ग सुझाया गया है।

अब तक अपनाई गई सकारात्मक कार्यवाहियाँ:

अनुसूचित जाति के लिए:

1. शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण (अनुच्छेद 15(5)) और सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण(अनुच्छेद 16(4))।
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989।
3. सरकारी योजनाएं जैसे- शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, स्टैंड अप इंडिया, दलित उद्यमी के लिए उद्यम पूंजी कोष की स्थापना।

अनुसूचित जनजाति के लिए:

1. शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण (अनुच्छेद 15(5)) और सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण (अनुच्छेद 16(4))।
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989।

3. संविधान की 5 वीं और 6 वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं के लिए:

1. किशोर लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए सबला योजना।
2. व्यापक जननी सुरक्षा योजना- गर्भवती और स्तनपान कराने वाली मां के लिए।
3. बेटों बचाओ बेटों पढ़ाओ बालिकाओं की सुरक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए।

दिव्यांगजन के लिए:

1. सुगम्य भारत अभियान।
2. सरकारी नौकरी में आरक्षण।

अल्पसंख्यकों के लिए:

1. अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देने के लिए नई रोशनी योजना।
2. उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उस्ताद योजना।

क्या वंचित वर्गों को सम्मान दिया जा रहा है?

हाँ :

1. सामान्य जनसंख्या और हाशिए के वर्गों की साक्षरता दर के बीच अंतर कम हुआ है। महिलाओं की साक्षरता दर में 2001 और 2011 की जनगणना के बीच पुरुषों की तुलना में अधिक वृद्धि हुई है।
2. अधिकारों की आत्म-जागरूकता में वृद्धि हुई है। बेजवाड़ा विल्सन जैसे दलित कार्यकर्ता, दलितों से हाथ से मैला ढोने की प्रथा को छोड़ने और उनके पुनर्वास के लिए लड़ने की अपील करते हैं।
3. दिव्यांगों के लिए उन्नत डिजिटल और भौतिक बुनियादी ढांचे जैसे रैंप, लो फ्लोर बस आदि के परिणामस्वरूप सुगमता में वृद्धि हुई है।
4. सैनिटरी नैपकिन, परिवार नियोजन सेवाओं और शौचालय आदि तक पहुंच में वृद्धि के परिणामस्वरूप लड़कियों और महिलाओं के लिए सम्मानजनक और स्वस्थ जीवन सुनिश्चित हो रहा है।

नहीं :

1. हाशिए पर रहने वालों के खिलाफ हिंसा के विभिन्न उदाहरण अभी भी देखने को मिल रहे हैं, उदाहरण के लिए ऊना में दलितों की सार्वजनिक पिटाई, सहारनपुर में दलित लड़की के साथ क्रूर सामूहिक बलात्कार आदि घटनाएं।
 2. मैला ढोने वालों (मैनुअल स्कैवेजिंग) का अवैध रोजगार अभी भी जारी है , यह 2016 और 2020 (सफाई कर्मचारी आंदोलन) के बीच 472 मैनुअल स्कैवेजिंग मौतों से स्पष्ट है।
 3. भौतिक संसाधनों और घरों की कमी का अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में उच्च अनुपात है (सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011)।
 4. बाल विवाह, महिलाओं के खिलाफ अपराध, घरेलू हिंसा, वैवाहिक बलात्कार आदि का लगातार प्रचलन महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध है।
- इन सभी कमियों को सुधारते हुए सकारात्मक कार्यवाहियों को अधिक

तीव्रता से और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि पारंपरिक भारतीय समाज को एक आधुनिक समाज में बदलने के लिए सतत विकास लक्ष्यों 5 (लैंगिक समानता), 1 (शून्य गरीबी) आदि को साकार किया जा सके।

4. विश्व के प्रमुख ग्लेशियरों (हिमनदों) की पहचान करें। उनके अस्तित्व के लिए प्रमुख खतरे क्या हैं? ग्लेशियर कौन-सी पारितंत्रीय सेवाएं प्रदान करते हैं?

उत्तर:

ग्लेशियर या हिमानी सामान्य अर्थों में बर्फ की नदी है जो समय के साथ जमा हुई बर्फ से बनती है। वे उन क्षेत्रों में बनते हैं जहां तापमान बहुत कम होता है। पृथ्वी की सतह का लगभग 10% हिस्सा ग्लेशियरों से ढका है।

विश्व के प्रमुख ग्लेशियर-

1. लैम्बर्ट ग्लेशियर, अंटार्कटिका
2. पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर, अर्जेंटीना
3. मार्गरी ग्लेशियर, अलास्का
4. फर्टवांगलर ग्लेशियर, तंजानिया
5. पास्टर्ज ग्लेशियर, ऑस्ट्रेलिया
6. काराकोरम पर्वत श्रृंखला में हिस्पर ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर आदि।

ग्लेशियरों के लिए प्रमुख खतरे:

- उद्योग, परिवहन और अन्य मानवीय गतिविधियों में जीवाश्म ईंधन के उपयोग तथा वनों की कटाई से वातावरण में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा बढ़ती जा रही है जो कि ग्लोबल वार्मिंग और ग्लेशियरों के पिघलने का कारण बनती हैं।
- जब ग्लेशियर की सतह पर ब्लैक कार्बन जमा हो जाता है, तो यह ग्लेशियर की सतह के एल्बीडो (सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता) को कम करके सौर विकिरण के अवशोषण को बढ़ाता है।
- समुद्र का गर्म होना इसका एक कारण है। महासागर पृथ्वी की 90% ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। यह समुद्री ग्लेशियरों के पिघलने (ध्रुवों और अलास्का के) का कारण है।
- वनों की कटाई भी संभावित कारणों में से एक है। लेकिन इसकी सटीक प्रभाव को लेकर विशेषज्ञों में मतभेद है।
- अन्य कारकों में तेल और गैस ड्रिलिंग, बर्फ तोड़ने वाले जहाज और तीव्र औद्योगिकीकरण शामिल हैं।

ग्लेशियरों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं:

1. **खाद्य आपूर्ति** - मत्स्य पालन कई क्षेत्रों में भोजन के महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान करता है।
2. **जल आपूर्ति** - कई क्षेत्रों में बड़ी आबादी न केवल कृषि जल के लिए बल्कि पीने के पानी के लिए भी हिमनद स्रोतों पर निर्भर करती है।
3. **जल विद्युत** - हिमनद अपवाह जल विद्युत उत्पादन में महत्वपूर्ण

योगदान देता है। उदाहरण के लिए, स्विट्जरलैंड में, इसकी 25% विद्युत हिमनद से होने वाले अपवाह से प्राप्त होती है।

4. **पानी की गुणवत्ता** - ग्लेशियरों का स्वच्छ जल अन्य क्षेत्रों में जल की गुणवत्ता में सुधार करता है।
5. **जोखिम शमन** - ग्लेशियर के पीछे हटने के कारण निलंबित तलछट भार में कमी से अपरदन प्रक्रियाओं में कमी आ सकती है।
6. **कार्बन चक्रण** के माध्यम से जलवायु संबंधी जानकारी देता है।
7. **पर्यटन** - उदाहरण के लिए, कनाडा के बानफ नेशनल पार्क के ग्लेशियर हर साल 3 मिलियन से अधिक आगंतुकों को आकर्षित करते हैं।
8. **धार्मिक मान्यता** - हिमनद पर्वत चोटियों को आध्यात्मिक माना जाता है और इनका उच्च सांस्कृतिक महत्व है। उदाहरण के लिए, हजारों तीर्थयात्री प्रतिवर्ष भारत में गंगोत्री ग्लेशियर की यात्रा करते हैं।
9. **स्कीइंग** जैसे मनोरंजन के लिए वर्षभर अवसर प्रदान करते हैं। ग्लेशियरों के पिघलने की तीव्र दर से अत्यधिक बाढ़ और जैव विविधता के नुकसान जैसे बड़े प्रभाव हो रहे हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि दुनिया ग्लेशियरों को तेजी से खो रही है। अतः सभी को इसे रोकने के लिए सहयोगात्मक रूप से कार्य करने की आवश्यकता है।

5. विकास के इंजन भारत में कम सघन माध्यमिक शहरों को विकसित में विफल रहे हैं। भारत का स्थानिक विकास इतना एकतरफा क्यों है? संतुलित क्षेत्रीय विकास प्राप्त करने के उपायों का सुझाव दीजिए।

उत्तर:

2017-18 में भारत के पांच सबसे अमीर राज्यों की प्रति व्यक्ति आय नीचे के राज्यों की तुलना में 338% अधिक थी।

भारत में असमान विकास के कारण-

1. **ब्रिटिश उद्योगपति** ज्यादातर अपनी गतिविधियों को विशेष रूप से कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जैसे शहरों में केंद्रित करना पसंद करते थे। इससे देश के बाकी हिस्से अपेक्षाकृत पिछड़े रह गए थे।
2. **भौगोलिक कारक** जैसे जलवायु, समुद्र या भूमि मार्ग से संपर्क, भूभाग, मिट्टी, संसाधन आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
3. **सड़क, रेल आदि** जैसी बुनियादी सुविधाओं की अपर्याप्तता के कारण, कुछ क्षेत्र बहुत पिछड़े हुए हैं जैसे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, मध्य भारत, बिहार आदि।
4. **स्वास्थ्य और शिक्षा** जैसी सुविधाओं के मामले में राज्यों के बीच भारी असमानताएं हैं। इसके अलावा, गरीब राज्य कम खर्च करते हैं, इससे एक दुष्चक्र पैदा होता है।
5. **उत्तरी राज्य** घनी आबादी वाले हैं। हालाँकि, इस क्षेत्र में महानगरीय केंद्रों की कमी है, जिसने युवाओं को पश्चिम और दक्षिण भारत की ओर रोजगार हेतु पलायन करने के लिए मजबूर किया है।
6. **केंद्रीय योजनाओं** को डिजाइन करने में, केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य की प्रति व्यक्ति आवश्यकताओं को ध्यान में रखने में विफल

रहती है। नतीजतन, गरीब राज्यों की तुलना में अमीर राज्यों को प्रायः ऐसी योजनाओं से अधिक लाभ होता है।

संतुलित विकास के लिए आवश्यक उपाय-

1. स्थानीय औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने पर ध्यान देना आवश्यक है। कानपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, पीथमपुर और कटक जैसे कई पारंपरिक औद्योगिक शहरों को आर्थिक रूप से पुनर्जीवित करने और जीवंत बनाने की आवश्यकता है।
2. स्थानीय सरकार को सशक्त बनाना और केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच एक समन्वित कार्य योजना बनाना आवश्यक है।
3. भारत के दूर-दराज के हिस्सों में भी स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए उचित विकास अपेक्षित है।
4. भीतरी इलाकों को शहरी केंद्रों से जोड़ने के लिए भौतिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना होगा।
5. चूंकि भारत में एक बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है, इसलिए कृषि की स्थिरता और व्यवहार्यता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। समृद्ध और पिछड़े राज्यों के बीच की खाई को पाटने के लिए कई पहलों की गई हैं। वित्त आयोग के हस्तांतरण, जीएसटी आदि ने विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। केंद्र सरकार को ऐसी नीतियां बनाने की जरूरत है जो उच्च विकास दर हासिल करने के लिए पिछड़े राज्यों का समर्थन करे।

6. हाल ही में भारत सरकार ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लेकर आई है। ग्रीन (हरित) हाइड्रोजन क्या है? हरित हाइड्रोजन के लाभ और हानि की विवेचना कीजिए।

उत्तर:

ग्रीन हाइड्रोजन को ऐसे हाइड्रोजन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो अक्षय ऊर्जा द्वारा निर्मित विद्युत का उपयोग करके जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके उत्पादित किया जाता है। वर्तमान में उत्पादित हाइड्रोजन का 1% से भी कम ग्रीन हाइड्रोजन है।

हरित हाइड्रोजन नीति के महत्वपूर्ण प्रावधान:

- ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माता या तो विद्युत एक्सचेंज से अक्षय ऊर्जा खरीद सकते हैं या अपनी स्वयं की अक्षय ऊर्जा क्षमता का निर्माण कर सकते हैं।
- निर्माता अपनी अप्रयुक्त अक्षय ऊर्जा को 30 दिनों तक वितरण कंपनी के पास जमा कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इसे वापस ले सकते हैं।
- निर्माताओं को प्राथमिकता के आधार पर ग्रिड से कनेक्टिविटी दी जाएगी।
- समयबद्ध तरीके से वैधानिक मंजूरी सहित सभी कार्यों के लिए एक एकल पोर्टल होगा।
- 25 वर्षों की अवधि के लिए अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन शुल्क को हटाने का प्रावधान किया गया है।

हरित हाइड्रोजन के लाभ:

1. यह पूर्णतः पर्यावरण अनुकूल और धारणीय है। इसके उत्पादन

या दहन के दौरान किसी भी प्रदूषणकारी गैस का उत्सर्जन नहीं होता है।

2. इसे संग्रहित करना आसान है, जो इसे बाद में अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की अनुमति देता है।
3. इसे विविध रूप में प्रयोग किया जा सकता है जैसे- इसे बिजली या सिंथेटिक गैस में बदला जा सकता है।
4. ऊर्जा के अन्य स्रोतों जैसे डीजल या गैस की तुलना में अधिक कुशल है।
5. इसका उपयोग रसायन, लोहा, इस्पात, उर्वरक और शोधन, परिवहन, गर्म करने और विद्युत उत्पादन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है।
6. इसका उपयोग लंबी दूरी के परिवहन के लिए किया जा सकता है जैसे रेलवे, बड़े जहाजों, बसों या ट्रकों आदि में।

ग्रीन हाइड्रोजन के नुकसान:

1. अक्षय ऊर्जा, जो हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए आवश्यक है, का उत्पादन करना महंगा है, जिससे हरित हाइड्रोजन का उत्पादन भी अधिक महंगा हो जाता है।
2. सामान्य रूप से हाइड्रोजन और विशेष रूप से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन में अन्य ईंधनों की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
3. हाइड्रोजन एक अत्यधिक अस्थिर और ज्वलनशील तत्व है। इसलिए रिसाव और विस्फोटों को रोकने के लिए व्यापक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है।
4. पाइपलाइनों और शिपिंग कंटेनरों के माध्यम से इसका परिवहन आसान नहीं है।

ग्रीन हाइड्रोजन भारतीय ऊर्जा और रसायन क्षेत्र का भविष्य है। भारत में, समृद्ध, स्वच्छ ऊर्जा वाले भविष्य का मार्ग हरित हाइड्रोजन में निहित है।

7. भूकंप और सुनामी के बीच क्या संबंध है? विश्व के उन क्षेत्रों की पहचान करें जो सुनामी के खतरे के प्रति सुभेद्य हैं।

उत्तर:

सुनामी विनाशकारी तरंगों की एक श्रृंखला है, जो कभी-कभी दस मीटर से भी अधिक ऊंची होती है, जो समुद्री जल की एक बड़ी मात्रा के आकस्मिक विस्थापन से उत्पन्न होती है।

भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्र के भीतर विस्फोट, भूस्खलन और सुनामी के सबसे सामान्य कारण हैं। इतिहास में लगभग सभी बड़ी सुनामी समुद्र के नीचे के भूकंपों के कारण हुई हैं।

भूकंप सुनामी कैसे उत्पन्न करते हैं:

- भूकंप के प्रभाव से समुद्रतल में आकस्मिक विकृति से जल का लंबवत विस्थापन होता है।
- टेक्टोनिक भूकंप एक विशेष प्रकार का भूकंप है जो पृथ्वी के पटल विरूपण से जुड़ा है।
- जब ये भूकंप समुद्र के नीचे आते हैं, तो विकृत क्षेत्र के ऊपर

का पानी अपनी संतुलन स्थिति से विस्थापित हो जाता है।

- अधिकांश सुनामी बड़े भूकंपों से उत्पन्न होती हैं।
- दुनिया की 80% से अधिक सुनामी प्रशांत क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर सबडक्शन जोन के क्षेत्र में आती हैं।
- हालांकि, समुद्र के नीचे के कम तीव्रता वाले भूकंपों से जरूरी नहीं कि सुनामी आए। आमतौर पर, 7.5 से अधिक की रिक्टर तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी सुनामी उत्पन्न करता है।

सुनामी संभावित क्षेत्र:

1. प्रशांत महासागर के आसपास के तटीय क्षेत्र विशेष रूप से सुनामी से प्रभावित होते हैं जैसे चिली और पेरू, संयुक्त राज्य अमेरिका का पश्चिमी तट, जापान और न्यूजीलैंड।
2. ये एकमात्र ऐसे स्थान नहीं हैं जहां सुनामी आ सकती है, बल्कि सक्रिय प्लेट सीमाओं के क्षेत्रों में सुनामी प्रायः उत्पन्न होती है।
3. सुनामी से दुनिया के जिन अन्य हिस्सों के प्रभावित होने की अधिक संभावना है उनमें न्यूफाउंडलैंड (कनाडा के पूर्वी तट पर), पुर्तगाल, भारत और अधिकांश भूमध्यसागरीय क्षेत्र आदि हैं। प्राकृतिक आपदा होने के कारण सुनामी कहीं भी और कभी भी आ सकती है लेकिन इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, इसके लिए लचीला बुनियादी ढाँचा विकसित करना, पूर्व चेतावनी प्रणाली, त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र, आदि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मैंग्रोव वनों और प्रवाल भित्तियों का संरक्षण सुनामी के प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक है।

8. अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) क्या है? हम AMOC में गिरावट क्यों देख रहे हैं और इसके क्या निहितार्थ हैं?

उत्तर:

अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) महासागरीय धाराओं की एक बड़ी प्रणाली है। यह महासागर कन्वेयर बेल्ट या थर्मोहलाइन परिसंचरण (टीएचसी) की अटलांटिक शाखा है। यह दुनिया के महासागर में ऊष्मा और पोषक तत्वों का वितरण करती है।

AMOC का कार्य:

- AMOC उष्ण कटिबंध से उत्तरी गोलार्ध की ओर गर्म सतही जल ले जाता है, जहां यह ठंडा होकर नीचे बैठता है।
- यह फिर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों और दक्षिण अटलांटिक में तलीय धारा के रूप में लौटता है। फिर यह अंटार्कटिक सर्क्युलर करंट के माध्यम से सभी महासागरों में प्रवाहित होता है।

AMOC में गिरावट के कारण?

1. ग्रीनहाउस गैसों के कारण होने वाली ग्लोबल वार्मिंग अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन के धीमा होने का एक प्रमुख कारण है।
2. ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक महासागर गर्म हो गया है, ग्रीनलैंड में बर्फ पिघलने की दर बढ़ गई है, वर्षा की अनिश्चितता बढ़ गई है और उत्तरी समुद्रों में मीठे पानी का प्रवाह तेज हो गया है।

3. मीठे पानी के मिलने से पानी की लवणता और घनत्व कम हो जाता है जिससे पानी की शीतलन दर कम हो जाती है। अतः ऐसा जल 'कन्वेयर बेल्ट' में नीचे नहीं बैठता, जिससे एएमओसी कमजोर हो गया है।

AMOC में गिरावट के प्रभाव:

1. उत्तरी अटलांटिक में समुद्री उत्पादकता में कमी।
2. उत्तरी गोलार्ध में बहुत ठंड होगी और यूरोप में वर्षा में कमी आएगी।
3. इसका असर अल नीनो पर भी पड़ सकता है।
4. अटलांटिक में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम होगी।
5. सहेलियन ग्रीष्मकालीन वर्षा और दक्षिण एशियाई ग्रीष्मकालीन वर्षा में कमी आएगी।
6. यह दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में भी मानसून को स्थानांतरित कर सकता है।
7. यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वोत्तर तट के साथ क्षेत्रीय समुद्री स्तर को बढ़ा सकता है।

AMOC दुनिया भर में ऊष्मा के पुनर्वितरण और मौसम के पैटर्न को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें गिरावट उस सीमा को दर्शाता है जिससे आगे संपूर्ण जलवायु प्रणाली प्रभावित होगी।

9. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है कि भारत में 1.4 बिलियन से अधिक लोग हैं, जो इसे दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश बनाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अनुसार भारत 2030 तक दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकल जाएगा। क्या आप इस विचार का समर्थन करते हैं कि भारत को जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए।

उत्तर:

विभिन्न रिपोर्टों और सर्वेक्षणों ने भारत की बढ़ती जनसंख्या पर प्रकाश डाला है। उदाहरण के लिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2019 की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक भारत की जनसंख्या 1.64 बिलियन हो जाएगी। इस बढ़ती जनसंख्या ने बच्चों की संख्या पर वैधानिक सीमा रखने की आवश्यकता के बारे में एक बहस पैदा कर दी है।

2019 का जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, जिसे 2022 में वापस ले लिया गया था, ने प्रति युगल दो-बच्चे नीति का प्रस्ताव रखा और इसका उद्देश्य शैक्षिक लाभ, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, बेहतर रोजगार के अवसर, गृह ऋण और कर कटौती के माध्यम से इसे अपनाने को प्रोत्साहित करना था।

क्या भारत को जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है?

हाँ

1. कानून प्रवर्तन की भावना पैदा करता है इस प्रकार यह जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में प्रभावी साबित हो सकता है।
2. कई देशों में जनसंख्या नियंत्रण कानून हैं। जैसे- चीन, वियतनाम, नाइजीरिया आदि।
3. बार-बार बच्चे पैदा करना महिलाओं के स्वास्थ्य और अन्य पक्षों

पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इससे मैटरनल डेप्लेशन सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है।

4. बढ़ती जनसंख्या देश के सीमित संसाधनों पर दबाव बनाती है जो समग्र जीवन स्थिति को प्रभावित करती है।

5. विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देशों में स्वास्थ्य सुविधाओं के बिना बड़ी आबादी भयावह स्थिति पैदा कर सकती है जैसा कि हाल ही में कोविड -19 संकट के दौरान देखा गया था।

6. भारत में, आंध्र प्रदेश, असम, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने राजनीतिक प्राधिकारियों या सरकारी नौकरी के लिए दो-बच्चों का नियम लागू किया है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जा सकता है।

नहीं

1. बलपूर्वक जनसंख्या नियंत्रण के उपाय लिंग-चयन और असुरक्षित गर्भपात को प्रोत्साहित करेंगे।

2. बच्चों की संख्या को नियंत्रित और विनियमित करने की नीति अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान अवसर) और अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा) जैसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।

3. वास्तव में, अंतरराष्ट्रीय अनुभव से पता चलता है कि बच्चों की एक निश्चित संख्या के लिए कोई भी दबाव प्रतिकूल है और जनसांख्यिकीय विकृतियों की ओर ले जाता है। चीन ने हाल ही में तीन बच्चों वाले परिवारों को अनुमति देने के लिए अपने जनसंख्या नियंत्रण उपायों में ढील दी है।

4. जनसंख्या नियंत्रण पर कानून के बजाय, हमें अपने मानव संसाधन के लाभों को प्राप्त करने के लिए बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान देना चाहिए।

5. ऐसा कानून हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर सकता है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 15 और 16 का उल्लंघन।

6. जनसंख्या नियंत्रण के लिए मौजूदा नीतियां अच्छा काम कर रही हैं। हाल ही में एनएफएचएस 5 की सर्वेक्षण रिपोर्टें इसका प्रमाण हैं। नवीनतम एनएफएचएस 5 सर्वेक्षण के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर 2015-16 में 2.2 से घटकर 2019-21 में 2.0 हो गई है, जो प्रति महिला 2.1 बच्चों की प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है। भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम स्वैच्छिक प्रकृति का है, जो जोड़ों को अपने परिवार का आकार तय करने और परिवार नियोजन के सर्वोत्तम तरीकों को अपनी पसंद के अनुसार, बिना किसी बाध्यता के अपनाने में सक्षम बनाता है। अतः किसी भी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने से पहले सभी पक्षों के विस्तृत अवलोकन की आवश्यकता है।

10. दलितों द्वारा सामना किये जाने वाले मुद्दों पर चर्चा करते हुए, दलित सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालें।

उत्तर:

‘दलित’ शब्द का तात्पर्य अति पिछड़े और वंचित वर्गों से संबंधित

लोगों से है, संवैधानिक रूप से यह अनुसूचित जातियाँ कहलाती हैं। इस शब्द का प्रयोग उन भारतीयों के लिए किया जाता था जिन्हें अतीत में छुआछूत तथा जातिगत भेदभावों का सामना करना पड़ा था। दलित भारत की आबादी का लगभग 16.6% हैं (जनगणना-2011)।

दलितों की समस्याएं:

1. अस्पृश्यता अभी भी विभिन्न रूपों में व्याप्त है। उदाहरण के लिए, कई सरकारी स्कूलों में दलितों को अलग कमरों में बैठाए जाने की खबरें आती हैं।

2. दलित अपेक्षाकृत बहुत गरीब और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं (एसईसीसी-2011)। इसके कारण वे जाति-आधारित दासता और जबरन वेश्यावृत्ति के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं।

3. दलितों को यौन शोषण के आसान लक्ष्य के रूप में देखा जाता है, उदाहरण के लिए हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या और अन्य अपराधों जैसे सार्वजनिक रूप से दलित युवकों को पीटना आदि के मामले।

4. दलितों द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव का व्यापक प्रभाव पड़ता है। शिक्षा तक पहुँचने में भेदभाव उच्च स्तर की बेरोजगारी का कारण बनता और यह गरीबी की ओर ले जाता है।

5. दलितों के पास साफ पानी, पर्याप्त भोजन, आवास या कपड़े जैसी बुनियादी सुविधाएँ नहीं हैं (विश्व बैंक अध्ययन)।

6. समान अधिकार और कर्तव्य होने के बावजूद दलित सम्मान, जनक जीवन और बुनियादी मानवीय जीवन स्तर से वंचित हैं।

7. दलितों को सामाजिक अपमान का सामना करना पड़ता है क्या, कि उन्हें प्रायः धार्मिक स्थानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश करने से रोका जाता है।

8. दलितों में साक्षरता दर कम है, अखिल भारतीय (जनगणना 2011) स्तर 74% की तुलना में केवल 66.4%।

9. रोजगार के अवसरों को गंदी नौकरियों के रूप में संदर्भित किया जाता है। दलित अधिकार कार्यकर्ता के अनुसार हर दलित सफाई कर्मचारी नहीं है बल्कि हर सफाई कर्मचारी दलित है।

सरकार द्वारा किए गए उपाय:

1. उनके अधिकारों की रक्षा और उन्हें सशक्त बनाने के लिए विभिन्न संवैधानिक प्रावधान जैसे अनुच्छेद - 15, 16, 17, 46, 330 आदि किए गए हैं।

2. उनके अधिकारों की रक्षा और उनके लिए सकारात्मक कार्यवाई को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया।

3. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 दलितों के खिलाफ कुछ गतिविधियों को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध के रूप में वर्णित करता है। उदाहरण के लिए, किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को जूते पहनाना, किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की संपत्ति हड़पना आदि।

4. शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्र सरकार दोनों की प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएँ, लैपटॉप, साइकिल,

आवासीय विद्यालय आदि का वितरण।

5. 'हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013' (एमएस अधिनियम, 2013) हाथ से मैला उठाने वालों और उनके परिवारों के पुनर्वास का प्रावधान करता है।

6. दलितों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड-अप इंडिया योजना।

7. नीट, जेईई, सिविल सेवा आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग।

8. आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (NSFDC) की स्थापना।

9. संस्थागत ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि और ऋण वृद्धि गारंटी योजना। निश्चित रूप से उपरोक्त उपायों से दलितों की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन अक्सर यह कहा जाता है कि दलितों के दुखों के सागर के बीच समृद्धि के कुछ ही द्वीप हैं। इसलिए उपरोक्त उपायों को 'सबका साथ, सबका विकास', सर्वोदय और अंत्योदय लाने के लिए ई-गवर्नेंस जैसे उपायों के माध्यम से प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए।

11. कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान ने आयातित चीनी थोक दवाओं पर भारत के दवा उद्योगों की निर्भरता को उजागर कर दिया है। भारत में अविकसित थोक औषध उद्योग के क्या कारण हैं? थोक औषधियों के उत्पादन में 'आत्मनिर्भरता' के उपायों का भी उल्लेख कीजिए। उत्तर:

आज भारत में फार्मा उद्योग का अनुमानित मूल्य 42 बिलियन डॉलर है। फार्मास्युटिकल निर्यात में 20% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ भारत मात्रा के आधार पर दवाओं का तीसरा सबसे बड़ा प्रदाता है। हालांकि, भारत में बनने वाली अधिकांश दवाएं कम लागत वाली जेनेरिक दवाएं हैं। भारत वर्तमान में चीन पर 58 एपीआई के लिए बहुत अधिक निर्भर है, जबकि इन एपीआई पर निर्भरता दर 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक भिन्न-भिन्न है।

थोक दवा उद्योग के अविकसित होने के कारण-

- 1995 तक भारत किण्वन तकनीक में बहुत मजबूत था। लेकिन ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, जो 1995 में शुरू किया गया था, के बाद, भारतीय कंपनियों को आयात के लिए चीन का सहारा लेना पड़ा क्योंकि वहां एपीआई सस्ते थे। यह 15-20 साल तक चलता रहा और अब चीन से आयात पर निर्भरता बढ़ गई है। वर्तमान में देशी उत्पादन चीन की एपीआई कीमतों की बराबरी नहीं कर सकते।
- एपीआई निर्माण के लिए आवश्यक सबसे आम कच्चा माल खनिज और पेट्रोकेमिकल हैं। जबकि चीन के पास प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन हैं, भारत अधिकांश खनिजों के लिए आयात पर निर्भर है। वितरण घाटे और अपर्याप्त आपूर्ति के कारण भारत में बिजली और पानी जैसी उपयोगिता आवश्यकताएं अधिक महंगी हैं।

वित्त पोषण में समस्या एक और मुद्दा है।

- किण्वन-आधारित सामग्री जैसे विटामिन और एंटीबायोटिक्स, जो चीन से आयात किए जाते हैं, के लिए बिल्कुल शून्य बिजली कटौती होनी चाहिए। एपीआई उत्पादन में ऊर्जा आपूर्ति एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है।
- पिछले दो दशकों में तैयार फॉर्मूलेशन पर ध्यान केंद्रित करने के परिणामस्वरूप एपीआई के इन-हाउस भारतीय निर्माण में लापरवाही हुई है। इसके परिणामस्वरूप विशेष रूप से चीन पर निर्भरता बढ़ गई।
- चीन से आयात में वृद्धि चीन की बड़ी क्षमताओं (जो सरकार द्वारा निर्मित और निजी उद्योग द्वारा प्रबंधित) और चीनी उत्पादों के लिए पंजीकरण को मंजूरी देने में भारत के उदार दृष्टिकोण की ओर इशारा करती है।

थोक औषधियों में आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक उपाय-

1. भारत सरकार को चीनी आयातों की जांच करनी चाहिए और कार्खाई की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। रणनीतिक योजना के लिए, भारत सरकार को एक हाइब्रिड बॉटम-अप-टॉप-डाउन रणनीति का उपयोग करना चाहिए। विभिन्न सरकारी एजेंसियों को उद्योग संगठनों और डेटा माइनिंग की सहायता से अपनी रणनीतिक योजना बनानी चाहिए।
2. मौजूदा प्रौद्योगिकियों की पहचान करना आवश्यक है जिनका उपयोग लागत प्रभावी और पर्यावरणीय रूप से उन्नत तरीके से एपीआई का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है। ऐसी ही एक संभावित उपयोगी विधि कालीकट विश्वविद्यालय द्वारा छोड़े गए फलों से पेनिसिलिन के संश्लेषण के लिए बनाई गई थी।
3. लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) एपीआई के प्रमुख उत्पादक हैं, विशेष रूप से वे जो रासायनिक संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित होते हैं। एपीआई के वास्तविक उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसी योजनाओं को डिजाइन करने की आवश्यकता है।
4. एपीआई पार्कों में निवेश को लेकर निजी कंपनियों के लिए कारोबारी असुरक्षा का माहौल है। यह असुरक्षा दूर हो जाएगी यदि सरकार द्वारा सामान्य उपयोगिता वाले एपीआई पार्क स्थापित किए जाएं और फिर उद्यमों को वहां अपनी उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया जाए।
5. बिजली, पानी, भाप और वित्त जैसी उपयोगिता लागतों के संदर्भ में समर्थन आवश्यक है। जमीन की कीमत भी एक मुद्दा है। पर्यावरण अनुमोदन को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है। दवाओं जैसी महत्वपूर्ण वस्तु के लिए किसी एक आपूर्तिकर्ता पर निर्भर रहना देश के सर्वोत्तम हित में नहीं है। भारत ने अल्पावधि में अन्य स्रोतों की तलाश करने और मध्यम से लंबी अवधि में स्थानीय क्षमताओं को विकसित करने की सही रणनीति अपनाई है। हाल ही में शुरू की गई योजनाएं जैसे फार्मास्युटिकल उद्योग को मजबूत करने की योजना, देश में महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्री / ड्रग इंटरमीडिएट और एपीआई के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना सही दिशा में कदम हैं।

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. 'विश्व जनसंख्या दिवस' के संबंध में सत्य कथन चुनिये:

1. प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है।
 2. विश्व जनसंख्या दिवस 2022 की थीम है- "8 बिलियन की दुनिया: सभी के लिये एक लचीले भविष्य की ओर-अवसरों का दोहन और सभी के लिये अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना"।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2
- (d) ना तो 1 ना तो 2

उत्तर - C

2. 13 एक्सप्रेस-वे वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है?

- (a) हरियाणा
- (b) उत्तर प्रदेश
- (c) पंजाब
- (d) महाराष्ट्र

उत्तर - B

3. हाल ही में किस राज्य में इंटरनेट एक्सचेंज प्वाइंट का उद्घाटन किया गया?

- (a) महाराष्ट्र
- (b) पश्चिम बंगाल
- (c) उत्तर प्रदेश
- (d) उड़ीसा

उत्तर- B

4. G7 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. 2022 में आयोजित 48वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जर्मनी द्वारा की गई।
 2. यूके और कनाडा G7 के सदस्य हैं, लेकिन EU G7 का एकमात्र गैर-गणना सदस्य है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 न ही 2

उत्तर- C

5. निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिये:

1. इरिट्रिया
2. सोमालिया
3. रवांडा
4. इथियोपिया

उपर्युक्त में से कौन 'हॉर्न ऑफ अफ्रीका' का हिस्सा हैं?

- (a) केवल 1, 2 और 4
- (b) केवल 2 और 4
- (c) केवल 1, 2 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर - A

6. हाल ही में खबरों में रहा (CAPSTONE) किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लांच किया गया उपग्रह है?

- (a) इसरो
- (b) नासा
- (c) जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA)
- (d) ROSCOSMOS (रूस की) 56th

उत्तर - B

7. महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है?

- (a) कमल नगर
- (b) सोहन नगर
- (c) संभाजी नगर
- (d) जीजाबाई नगर

उत्तर - C

8. प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (Primary Agricultural Credit Societies) के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं?

1. PACS सहकारी ऋण संस्थाएँ हैं जो किसानों को विभिन्न कृषि और कृषि गतिविधियों के लिये दीर्घकालीन अवधि के कृषि ऋण प्रदान करती हैं
 2. पहली प्राथमिक कृषि ऋण समिति (PACS) का गठन वर्ष 1904 में किया गया था।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं
- (a) दोनों कथन सत्य हैं
 - (b) दोनों कथन असत्य हैं
 - (c) केवल 2 कथन सत्य है
 - (d) केवल 1 कथन असत्य है

उत्तर - C

9. आपदा रोधी बुनियादी ढाँचे के लिये गठबंधन (CDRI) के संबंध में असत्य कथन को चुनिए?

1. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI)** को 'अंतर्राष्ट्रीय संगठन' के रूप में वर्गीकृत करने को मंजूरी दी है
2. **CDRI** को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में लॉन्च किया था।

- (a) 1 और 2 दोनों सत्य हैं।
- (b) केवल 1
- (c) केवल 2
- (d) 1 और 2 दोनों असत्य हैं।

उत्तर - C

10. हाल ही में किस राज्य/UT में यूरेनियम की खोज की गई है?

- (a) महाराष्ट्र
- (b) उत्तर प्रदेश
- (c) बिहार
- (d) राजस्थान

उत्तर - D

11. हाल ही में इसरो ने **PSLV-C53** के माध्यम से किस देश के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया ?

- (a) सिंगापुर
- (b) बंगलादेश
- (c) भूटान
- (d) थाईलैण्ड

उत्तर - A

12. हाल ही में जारी 'स्टेट्स, स्टार्ट-अप रैंकिंग 2021' के संबंध में सत्य कथन चुनिये:

1. इसे नीति आयोग जारी करता है
2. गुजरात और कर्नाटक 'राज्यों की श्रेणी' में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरे हैं वहीं मेघालय ने केंद्र शासित प्रदेशों और उत्तर-पूर्वी राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।

- (a) कथन 1 और कथन 2 सत्य हैं
- (b) केवल कथन 1 सत्य है
- (c) केवल कथन 2 सत्य है
- (d) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर - C

13. राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) के बारे में असत्य कथन चुनिये-

1. यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है।
2. **NIA** को गृह मंत्रालय से लिखित उद्घोषणा के तहत राज्यों की बिना विशेष अनुमति के, राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जाँच करने का अधिकार है।

3. इसका मुख्यालय मुंबई में है।

- (a) 1, 2 और 3
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 3
- (d) केवल 1 और 3

उत्तर - C

14. भारत के उप-राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिये:

1. जहाँ राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, वहीं उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है
2. उप-राष्ट्रपति को राज्यसभा के एक प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जो उस समय उपस्थित सदस्यों के सामान्य बहुमत से पारित होता है, साथ ही लोकसभा द्वारा सहमति आवश्यक होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन असत्य है / हैं

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) दोनों कथन सत्य हैं।
- (d) दोनों कथन असत्य हैं।

उत्तर - B

15. किस देश में पहली बार घातक वारोआ प्लेग फैलने के बाद 60 लाख से अधिक मधुमक्खियों को मारा गया है?

- (a) जापान
- (b) कनाडा
- (c) न्यूजीलैण्ड
- (d) आस्ट्रेलिया

उत्तर - D

16. भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र छज्ज द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है?

- (a) आन्ध्रप्रदेश
- (b) तेलंगाना
- (c) केरल
- (d) तमिलनाडु

उत्तर - B

एपीजे अब्दुल कलाम : जनता के राष्ट्रपति



15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मे, डॉ अबुल पकिर जैनुलाबदीन अब्दुल कलाम को मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता प्राप्त थी। डॉ. कलाम ने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान (SLV&III) को विकसित करने के लिए परियोजना निर्देशक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की निकट की कक्षा में सफलतापूर्वक अंतःक्षेपित किया और भारत को स्पेस क्लब का एक विशिष्ट सदस्य बनाया। वह इसरो के प्रक्षेपण यान कार्यक्रम, विशेष रूप से पीएसएलवी विन्यास के विकास के लिए जिम्मेदार थे। इसरो में दो दशकों तक काम करने और लॉन्च वाहन प्रौद्योगिकियों में महारत हासिल करने के बाद, डॉ कलाम ने एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) के मुख्य कार्यकारी के रूप में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में स्वदेशी निर्देशित मिसाइलों को विकसित करने की जिम्मेदारी ली। वह अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास और संचालन के लिए और कई संस्थानों के नेटवर्किंग के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में स्वदेशी क्षमता के निर्माण के लिए जिम्मेदार थे। वह जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव थे। इस अवधि के दौरान उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से सामरिक मिसाइल प्रणालियों और पोखरण-द्वितीय परमाणु परीक्षणों के शास्त्रीकरण का नेतृत्व किया, जिसने भारत को एक परमाणु हथियार राज्य बना दिया। उन्होंने कई विकास कार्यों और हल्के लड़ाकू विमान (तेजस) जैसे मिशन परियोजनाओं को आगे बढ़ाकर रक्षा प्रणालियों में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया।

प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद (TIFAC) के अध्यक्ष और एक प्रख्यात वैज्ञानिक के रूप में, उन्होंने 500 विशेषज्ञों की मदद से देश का नेतृत्व किया, जो भारत को वर्तमान विकासशील स्थिति से विकसित स्थिति में बदलने के लिए एक रोड

मैप देकर प्रौद्योगिकी विजन 2020 तक पहुंचे। राष्ट्र डॉ. कलाम ने नवंबर 1999 से नवंबर 2001 तक कैबिनेट मंत्री के पद पर भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कार्य किया और कई विकास अनुप्रयोगों के लिए नीतियों, रणनीतियों और प्रतिष्ठानों को विकसित करने के लिए जिम्मेदार थे। डॉ. कलाम कैबिनेट की वैज्ञानिक सलाहकार समिति (एसएसी-सी) के अध्यक्ष, पदेन और इंडिया मिलेनियम मिशन 2020 के वास्तुकार भी थे।

डॉ कलाम ने नवंबर 2001 से अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई में प्रोफेसर, प्रौद्योगिकी और सामाजिक परिवर्तन के रूप में अकादमिक खोज की और शिक्षण और अनुसंधान कार्यों में शामिल थे। इन सबसे ऊपर उन्होंने देश भर के हाई स्कूल के छात्रों से मिलकर राष्ट्रीय विकास के लिए युवा दिमाग को प्रज्वलित करने का एक मिशन शुरू किया। उनकी साहित्यिक खोज में डॉ. कलाम की चार पुस्तकें 'विंग्स ऑफ फायर', 'इंडिया 2020 - ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम' 'माई जर्नी' और 'इग्नाइटेड माइंड्स - अनलीशिगिंग द पावर इन इंडिया' भारत में घरेलू नाम बन गए हैं। और विदेशों में भारतीय नागरिकों के बीच। इन पुस्तकों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। डॉ. कलाम 30 विश्वविद्यालयों और संस्थानों से मानद डॉक्टरेट प्राप्त करने के अद्वितीय सम्मान के साथ भारत के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक थे। उन्हें प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार - पद्म भूषण (1981) और पद्म विभूषण (1990) और सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न (1997) से सम्मानित किया गया था। वह कई अन्य पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता और कई पेशेवर संस्थानों के फेलो रहे थे।

डॉ. कलाम 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उनका ध्यान 2020 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने पर था। उन्होंने 27 जुलाई, 2015 को 83 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। जैसे गांधी जी ने कहा था कि 'मेरा जीवन ही मेरा संदेश है' उसी तरह डॉ एपीजे अब्दुल कलाम ने गांधी जी के सादा जीवन उच्च विचार के दर्शन को आत्मसात किया और दूसरों को प्रेरित करने के लिए एक खुली किताब के रूप में अपना जीवन जिया। वे न केवल एक महान वैज्ञानिक और राजनेता थे बल्कि भारतीय मूल्य और संस्कृति के सच्चे अग्रदूत भी थे। 'भारत के मिसाइल मैन' से लेकर 'पीपुल्स प्रेसिडेंट' तक वे सभी के चहेते रहे और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं।

ANNUAL SUBSCRIPTION OF PERFECT 7 CURRENT AFFAIRS MAGAZINE (FORTNIGHTLY)

About Perfect 7:

The role of Current Affairs in Civil Services has tremendously increased, in all the subjects of General Studies like Economy, Polity, Science and Technology, International Relations, Environment, etc.

Need: Knowledge of Current Affairs

Inadequate Solution: Monthly Magazines available in the Market.

Why Inadequate?

- ☛ All magazines are monthly: This means that you get to know about the event after more than one month and students are unable to match the pace with newspaper and other media.
- ☛ Not suitable for Civil Services: Events are not analyzed as these magazines also cater to the one day exams and hence they provide only factual information's.
- ☛ Too much to read in one go: A student is suddenly burdened to cover too many events in a short time which leads to stress.

Solution to all the above three issues is PERFECT 7 Magazine by Dhyeya IAS.

- ☛ Released Fortnightly: A student is abreast with the current events of the month, near real time.
- ☛ Detailed Analysis of every event: Civil Services demands a deeper understanding of events, concepts and its analyses and not just know the event and its date.
- ☛ Easy to study: Since the magazine is fortnightly, a student is saved from Information overload and can relate with the newspaper, TV and other media coverages with a profound understanding of the current happenings.

Features of PERFECT 7

Important conditions for an IAS/PCS centered magazine		PERFECT 7	OTHERS
• Fortnightly	Hindi	✓	✗
	English	✓	✗
• Civil Services Exam centered	Hindi	✓	*
	English	✓	*
• Micro-Analysis of current issues & not a mere compilation of facts	Hindi	✓	*
	English	✓	*
• Brain boosters for important issues	Hindi	✓	✗
	English	✓	✗
• Multiple choice questions & their solution based on brain boosters	Hindi	✓	✗
	English	✓	✗
• Case studies with model answers for Ethics	Hindi	✓	✗
	English	✓	✗
• Explanation of important theories through pictures & graphics.	Hindi	✓	✗
	English	✓	✗

(* some institutes)

Annual Subscription Fee along with Courier Charges:

Cost of the Magazine:	45 x 24 = Rs 1080
Price After 25% Discount	Rs 810
Courier Charges:	30 X 24 = Rs 720
Total Charges:	Rs 1530

BANK ACCOUNT DETAILS

Account Holder:-	Trueword Publication Private Limited
Bank A/C -	50200032675602
IFSC:-	HDFC0000609

Annual Subscription Fee for Student Collecting Magazine from Mukherjee Nagar Centre:

Cost of the Magazine:	45 x 24 = Rs 1080
Price After 25% Discount	Rs 810
Total Charges:	Rs 810

Terms and Condition:

1. Fee submitted one will not be refunded or adjusted in any condition.
2. Dhyeya IAS ensures no damage or delay during transit however some unavoidable circumstances are beyond our control, responsibility for the delay in delivery,
3. We put best efforts to make the Magazine reach to the subscribers by 10th & 25th of every month.
4. If due to COVID-19 Pandemic or any unforeseen natural disaster or by an act of God, Dhyeya IAS is not able to print the Magazine then the duration of subscription will be increased to compensate for the same.

AN INTRODUCTION



Dhyeya IAS, two decades old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q. H. Khan. Ever since its emergence it has unparalleled track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential aspirants realize their dreams which is evident from the success stories of the previous years.

As the nation progresses, the young generations become more conscious and aware about their career options. There is plethora of jobs and one among them is civil services, the most prestigious service in the country, which needs no introduction. It attracts many young minds hailing from almost all spectra of academic disciplines. The popular belief that the examination for this service is only meant for the brilliant lots has become a taboo as it also attracts the hardworking, sincere and disciplined minds. The saying- "In the end passion and hard work can substitute natural talent" holds true. It gives immense power and opportunity for young folks to bring about the positive changes in the society which would bring harmony and development. It inculcates values, moral, ethos and feeling of national integrity.

Quite a large number of students desirous of building a career for themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vastly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move may invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. Classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals' capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything, you can only help him find it within himself.

We feel that despite brilliance and diligence, most of the students are lacking proper guidance and aptitude needed to clear Civil Services Examination. This is why, we at Dhyeya IAS amalgamated the traditional as well as modern approach of teaching by incorporating best educators of the industry ably supported by Academic Associates, Class Notes and printed Study Material, routine as well as surprise Tests. Due to its arduous efforts, Dhyeya IAS is able to carve a niche among all the civil services coaching institutes in India. Access to an institution is as important as the quality of Institution. Our faith in this philosophy made us grow. With 12 Face to Face Centers located in different parts in India, Distance Learning Program, Live Streaming Centers and Residential Academy, we have made truly pan India presence. Ever since the foundation the institute has produced a heavy pool of bureaucrats both at central and state level. Dhyeya IAS not only aims at imparting the content of civil services in best way but also nurturing the aspirants as leaders of tomorrow who have a responsibility of fulfilling the dreams of around 1.4 billion Indians. Dhyeya IAS has guided over 50,000 aspirants with more than 4500 selections in civil services. Our journey is a small contribution for the development of the society and nation by nurturing the potential civil services aspirants.

Considering the toughness of Civil Services Exam, where success rate is a meager 0.1 percent, Dhyeya IAS has continuously produced phenomenal results over the years. Year after Year Dhyeya IAS is being recognized for imparting guidance to civil services aspirants using benchmarked quality practices. On the basis of scalability, innovation, achievements, impact potential our efforts and contribution have been acknowledged and rewarded with Education Excellence Awards by ET NOW, Brands Academy, Times of India, etc. This has enhanced motivation, pride and self-esteem of entire Dhyeya family.

₹ 45

For feedback write to us at :
perfect7magazine@gmail.com



dhyeyaias.com

Face to Face Centres

North Delhi : A 12, 13, Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009, Ph: 9205274741/42/44 | **Laxmi Nagar** : 1/53, 2nd floor, Lalita Park, Near Gurudwara, Opposite Pillar no.23, Laxmi Nagar, Delhi -110092, Ph: 9205212500/9205962002 | **Greater Noida** : 4th Floor Veera Tower, Alpha 1 Commercial Belt., Greater Noida, UP - 201310, Ph: 9205336037/38 | **Prayagraj** : II & III Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Prayagraj, UP - 211001, Ph: 0532-2260189/8853467068 | **Lucknow (Aliganj)** : A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow, UP- 226024, Ph: 0522-4025825/9506256789 | **Lucknow (Gomti Nagar)** : CP-1, Jeewan Plaza, Viram Khanda-5, Near Husariya Chauraha, Gomti Nagar, Lucknow, UP - 226010, Ph: 7234000501/ 7234000502 | **Lucknow (Alambagh)** : 58/1, Sector-B Opposite Phoenix Mall Gate No. 3, L.D.A Colony, Alambagh Lucknow,, Ph: 7518373333, 7518573333 | **Kanpur** : 113/154 Swaroop Nagar, Near HDFC Bank, Kanpur, UP - 208002, Ph: 7887003962/7897003962 | **Gorakhpur** : Narain Tower, 2nd floor, Gandhi Gali, Golghar, Gorakhpur, Uttar Pradesh 273001, Ph: 7080847474 | **Bhubaneswar** : OEU Tower, Third Floor, KIIT Road, Patia, Bhubaneswar, Odisha -751024, Ph: 9818244644/7656949029

Dhyeya IAS Now on Telegram



We're Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram

Channel from the link given below

["https://t.me/dhyeya_ias_study_material"](https://t.me/dhyeya_ias_study_material)

You can also join Telegram Channel through
Search on Telegram

"Dhyeya IAS Study Material"

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi



Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 9205274741, 9205274742, 9205274744